

# साहित्य प्रसारण

२००१६  
मेरुदंग

पत्रिका

मह मोहन रामा,  
एम.ए., साहित्यकाल

राष्ट्रभाषा प्रचार सामीति, वर्षी,

# साहित्य-परिचय

प्रकाशन-मैट.

राष्ट्रभाषा प्रचार समिति,

लेखक

मदन मोहन शर्मा

बी.ए., साहित्यरत्न



प्रकाशक


राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा

प्रकाशक:—

मन्त्री  
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति,  
हिन्दीनगर, वर्धा

८० • ४७  
मा २९५ ३

{ सब अधिकार  
प्रकाशकके आवीन }      { प्रथम संस्करण  
फरवरी, १९५४ }      { मूल्य  
अेक रुपया



सुदूरक:—

मोहनलाल भट्ट  
राष्ट्रभाषा प्रेस,  
हिन्दीनगर, वर्धा

## प्रकाशकीय वक्तव्य

'राष्ट्रभाषा कोविद' परीक्षाके परीक्षार्थियोंके लिए साहित्यके सभी अपादानोंका संगोषांग विवेचन सरल भाषामें प्रस्तुत करनेकी समितिकी बहुत दिनोंसे अिच्छा थी। हर्षका विषय है कि यह अिच्छा अिस पुस्तकके रूपमें अब पूर्ण हो रही है।

समिति परिवारके श्री मदनमोहन शर्मा, डैम. ओ., साहित्य-रत्नने अिस पुस्तकको तैयार किया है तथा नागपुर युनिवर्सिटीके हिन्दी-विभागके अध्यक्ष श्री विनयमोहनजी शर्मने अपना अमूल्य समय देकर पुस्तकको आद्योपान्त देखा और यथास्थान अचित परामर्श भी दिया तथा पुस्तकके अपयुक्त सुंदर प्रस्तावना लिख देनेकी भी अद्वारता दिखाई अतः समिति अनके प्रति आभारी है।

आशा है राष्ट्रभाषाके विद्यार्थियों तथा साहित्यके अन्य जिज्ञासुओंके लिए यह पुस्तक अवश्य अपयोगी सिद्ध होगी।

मंत्री,  
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा

## लेखककी ओरसे

साहित्यको पूरी तरहसे समझनेके लिए अुसके सभी अुपादानोंको समझना भी आवश्यक है। राष्ट्रभाषा कोविदके विद्यार्थी जो साहित्यकी देहरीपर खड़े होकर अुसके विशाल भवनमें झाँकनेका प्रयत्न करते हैं, अन्हें साहित्यका रूप दिखानेकी दृष्टिसे ही अिस पुस्तककी रचना की गयी है।

साहित्यके अंतर्गत आनेवाले कविता, कहानी, अुपन्यास, नाटक, निवन्ध, समालोचना आदि सभी अुपादानोंके अंगोंपांगोंका परिचयात्मक विवेचन सरल भाषामें करनेका ही यह प्रयत्न है। विषयकी दृष्टिसे 'कोविद'के विद्यार्थियोंकी आवश्यकताको ध्यानमें रखते हुअे अिसमें जानकारी देनेका प्रयत्न किया गया है।

राष्ट्रभाषाके अध्येताओं तथा अध्यापकोंका पुस्तककी जो कमियाँ खटकें अुनके विषयमें वे सहर्ष लेखक या प्रकाशकको लिख सकते हैं। अुनके, सुझाओंका सादर स्वागत किया जाओगा।

लेखक अुन सभी विद्वानोंका आभारी है जिनकी कृतियोंका अुपयोग जाने अथवा अनजानेमें अिस पुस्तकके तैयार करनेमें किया गया है। आदरणीय गुरुवर पं. विनयमोहनजी शर्माका भी लेखक हृदयसे आभारी है जिन्होंने अपने अमूल्य परामर्शोंसे तथा सुन्दर प्रश्नावाना लिखकर लेखकके अुत्साहको बढ़ाया है। राष्ट्रभाषा प्रेसके व्यवस्थापक तथा मित्रवर श्री आनन्द माधव मिश्र वी. ओ., विशारदका भी लेखक कृतज्ञ है जिनके सहयोग बिना पुस्तक अिस रूपमें न आ पाती।

विनीत-

मदनमोहन शर्मा

## प्रारूपतावाचान्दा

‘साहित्य-परिचय’ राष्ट्रभाषा-प्रचार-समितिकी राष्ट्रभाषा-कोविद परीक्षाके विद्यार्थियोंके लिअे लिखी गयी साहित्य-शास्त्रकी ओंक कृति है। अिसमें साहित्यके विभिन्न अंगोंके शिल्पों और अुपादानोंको सरल भाषामें समझाया गया है। साहित्य-शास्त्रपर आओ दिन पुस्तकें प्रकाशित होती रहती हैं जिनकी प्रतिपादन-शैली और विषयका विस्तार प्रायः दुर्लह और जटिल होते हैं। ऐसे ग्रंथोंको पढ़नेमें विद्यार्थियोंका अुत्साह मंद हो जाता है। प्रस्तुत पुस्तक अिन दोनों अतिवादोंसे मुक्त है। परीक्षार्थियोंके अतिरिक्त साहित्यके सामान्य जिज्ञासु पाठक भी अिससे लाभान्वित हो सकते हैं। साहित्यके मर्मतक पहुँचाने और अुसमें निहित कला-सौंदर्यसे साक्षात्कार करानेमें अिस पुस्तकका अध्ययन विशेष सहायक हो सकता है।

स्पष्ट है कि अिस पुस्तकमें असामान्य किसी साहित्य-सिद्धांतको प्रस्तुत नहीं किया गया है और यह अुसका अुद्देश्य भी नहीं है। साहित्यको सर्वसाधारणके लिअे बोधगम्य बनानेमें ही अिसकी अुपयोगिता है और अिस कार्यमें लेखकको निर्विवाद रूपसे सफलता प्राप्त हुअी है। अतअेव वह साधुवादका पात्र है।

नागपुर महाविद्यालय,  
नागपुर, १७-१-५४ } }

विनयमोहन शर्मा  
अध्यक्ष, दिन्दी-विभाग

## अनुक्रमाणिका

---

१. साहित्य	१
२. कविता	१२
३. व्युपन्थास	२४
४. कहानी	३९
५. नाटक	५२
६. गद्य-गीत	६९
७. निबन्ध	७२
८. समालोचना	८६
९. सूचनिका (रिपोर्टज)	९८
१०. जीवनी और रेखाचित्र	१००

---

## साहित्य

साहित्यको किसी अेक निश्चित परिभाषा द्वारा समझना अत्यन्त कठिन है। किर भी भिन्न-भिन्न लेखकोंने अपने-अपने ढंगमे इसकी परिभाषा बतानेका प्रयत्न किया है। संस्कृतके अेक महान् साहित्यकी पंडित राजशेखरने इसकी व्याख्या करते हुओ लिखा है—  
परिभाषा “शब्द और अर्थका व्यथायोग्य सहयोगवाली विद्या साहित्य विद्या है। शब्द-कल्पद्रुम नामक अेक ग्रंथमे साहित्यकी व्याख्या करते हुओ असे “इलोकमय ग्रंथ” कहा गया है। रवीन्द्रनाथ ठाकुरने साहित्य संवर्धी अपने विचारोंको इस प्रकार व्यक्त किया है ‘साहित्य शब्दसे साहित्यके मिलनेका अेक भाव देखा जाता है। वह केवल भाव-भावका, भावा-भावाका, ग्रंथ-ग्रंथका ही मिलन नहीं बल्कि मनुष्यके साथ मनुष्यका अतीतके साथ वर्तमानका दूरके साथ निकटका अत्यन्त अंतरंग मिलन भी है जो कि साहित्यके अतिरिक्त अन्यसे सम्भव नहीं है।’

इसमें संदेह नहीं कि साहित्य सम्मिलन ही का फल है। मनुष्य अेक ही जन्ममें नहीं किन्तु अनेक जन्मोंमें अेक दूसरेसे मिलते हैं और जुनके

<sup>1</sup> शब्दार्थयोग्यथावत्सह भावेन विद्या साहित्य विद्या।

<sup>2</sup> मनुष्य कृत इलोकमय ग्रंथ विशेषः साहित्यम्।

विचारोंका आपसमें आदान-प्रदान होता है। विचारोंका होनेवाला यह आदान-प्रदान ही बादमें साहित्यका रूप धारण कर लेता है। अस तरह विचारोंके सम्मलनका नाम साहित्य है। कुछ लोग साहित्यमें हितका भाव अधिक मानते हुअे साहित्यका जन हितकारी (हितके साथ जो हो, वह साहित्य) बताते हैं। साहित्यका व्येत्र भी बहुत विस्तृत है। किसी अंक साहित्य मर्मज्ञका कथन है कि 'साहित्य राष्ट्रके व्यापक मानसिक जीवनका निचोड़ है।' किसी भी देशके साहित्यको पढ़ लेनेपर अस देशमें रहनेवालोंकी विचार-धारा, रहन-सहन तथा अनुकी संस्कृतिके विषयमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। अिसीलिये साहित्यको 'समाजका प्रतिविम्ब' भी कहा जाता है। साहित्यको और भी स्पष्ट रूपसे समझनेके लिये हम यों भी कह सकते हैं कि 'साहित्य युग-युगके मानसिक अनुभवोंका प्रतिविम्ब है।' मनुष्य अभी तक जो भी सोचता और समझता आया और अपने प्रतिदिनके जीवनमें व्यक्तियोंसे विचार-विनिमयके बाद असने जो सीखा, अनुभव प्राप्त किये अस साहित्यके खजानेमें सुरक्षित रख दिया। कहनेका तात्पर्य यह कि साहित्यमें हमें सब कुछ मिलता है ज्ञात-विज्ञान, समाज-शास्त्र, भौतिक तथा रसायन-शास्त्र, ऐतिहास, दर्शन तथा राजनीति आदि। 'जीवनकी विभिन्न अनुभूतियों, भावनाओं तथा आदर्शोंकी अभिव्यक्तिका लिपिबद्ध रूप ही साहित्य कहा गया है।'

साधारण बोलचालकी भाषामें आजकल 'साहित्य' शब्दका अर्थ बड़ा व्यापक है। दवाओंके विज्ञान, न्योयालयके सूचना-पत्र या दीवालपर चिपकाये गये किसी विषयके पोस्टरसे लेकर गहनसे गहन विषयपर लिखे ग्रंथ आदि सभीको साहित्य कहा जाता है। परन्तु अस व्यापक अर्थके अलावा असका अंक विशेष अर्थ भी है और यहाँ हमें अिसी विशेष अर्थपर विचार करना है।

साहित्य-शास्त्रका विद्यार्थी साहित्यके अंतर्गत केवल अुसी सामग्री को ग्रहण करता है कि जो अेक तो विषयकी दृष्टिसे किसी अेक विशिष्ट वर्ग या थेमीसे संबंधित न हो वल्कि सभी लोगोंकी हचिसे सम्बन्धित हो और दूसरे वह आनन्दवायक अेवं कलात्मक हो। कहनेका तात्पर्य यह कि साहित्यका आनन्दवायक होता आवश्यक है और साथही जिस रूपमें वह हमारे सामने आता है वह कलात्मकभी होना चाहिअे। चूंकि साहित्यका प्रधान अदृश्य आनन्द है जिसीलिए अुसे दूसरे शब्दोंमें काव्यकी भी सज्जा दी गयी है।

साहित्य और विज्ञानका भेद भी हमारे समझ लेनेकी चीज है। साहित्यका सीधा सम्बन्ध भावनाओं और कल्पनाओंसे होता है। साहित्य हृदयका विषय है; विज्ञान मस्तिष्कका, बुद्धिका। जिसका साहित्य और यह अर्थ नहीं कि विज्ञानको समझनेमें कल्पना और हृदयकी विज्ञान आवश्यकता नहीं होती और साहित्यको अयवा काव्यको समझनेके लिए बुद्धिकी आवश्यकता नहीं होती। कहनेका तात्पर्य जितना ही है कि वैज्ञानिक तो वस्तुओंके रूप, आकार, रचना, गुण स्वभाव आदि पर विचार करता है। वह अनु कारणोंका भी पता लगानेका प्रयत्न करता है कि जिसके परिणाम स्वरूप अुसका यह रूप बना। पर-साहित्य जिन पञ्चडोंमें नहीं पड़ता। सुन्दर वस्तु जिस रूपमें हमारे सामने है अुसकी अद्भुतता और सुन्दरतासे वह प्रभावित होता है और अुसके अुस सीदर्य का वर्णन कर हमारे हृदयको भी प्रभावित करनेका प्रयत्न करता है।

कमलके फूलको देखकर कवि अनायास कह अुठता है 'ओह ! कितना सौंदर्य है ! कितनी मादकता और कितना आकर्षण है जिस पुष्पमें ।' कमल अुसे अपनी प्रेयसीकी बड़ी-बड़ी अँखोंकी याद दिला देता है, और अुसपर पड़ी हुभी ओसकी बूँदें अज्ञातके प्रति टपकते हुये अश्रुओंकी भाँति प्रतीत होती हैं। वह जिस दृश्यको अपनी कल्पनाओंके सहारे अत्यंत सजीव बना देता है। पर वैज्ञानिक केवल मात्र जितना ही कह कर रह जाता है,

" यहाँ कुछ नहीं, केवल कुछ पत्ते, कुछ पंखुड़ियाँ, और रंग हैं, जो कुछ दिनोंमें अड़ जायेंगे ! सब व्यर्थ और निस्सार ! "

परंतु बितना अवश्य सत्य है कि जीवनमें सत्य-शिव-सुंदरम् की स्थापनाके लिये हमें दोनोंकी ही समान रूपसे आवश्यकता है।

यह हम देख चुके हैं कि साहित्य का वास्तविक अर्थ बतानेवाला शब्द काव्य ही है। संस्कृतमें काव्यके अंतर्गत गद्य, पद्य और चम्पू (जिसमें गद्य और पद्य दोनों ही हों) ही लिये जाते हैं। अतव्येव साहित्य और कविता, कहानी, अपन्यास, नाटक आदि सभी काव्यके काव्य अंग हुआ। कुछ लोग केवल कविताको ही काव्यके अंतर्गत मानते हैं पर ऐसी बात नहीं है। काव्य शब्द साहित्यके सभी रूपोंके लिये प्रयुक्त हो सकता है।

भरत मुनि तथा आचार्य विश्वनाथने काव्यको 'रसात्मक वाक्य' कहकर रसको काव्यकी आत्मा माना है। दण्डी तथा भामहने अलंकारोंको काव्यकी आत्मा माना है। हिन्दीके आचार्य केशवदासने भी संस्कृतके अन्हीं आचार्योंका समर्थन किया और कहा—

जदपि सुजाति सुलक्षणी, सुबरन सरस सुवृत्त ।

भूषण विनु नहि राजभी, कविता, वनिता, मिति ॥

परंतु यह ध्यान रखनेकी बात है कि अलंकारोंको प्रधान मानते-चाले लेखक काव्यके मूलतत्व भावको भला देते हैं और अलंकारोंके फेरमें पड़कर शब्दोंका जालमात्र रच डालते हैं।

रस-नगाधर, नामक ग्रंथके लेखक पंडितराज जगन्नाथने ३ 'रमणीय अर्थके बतलानेवाले वाक्य' को काव्य माना है।

<sup>१</sup>वाक्यं रसात्मकं काव्यम् ।

<sup>२</sup>रमणीयार्थं प्रतिपादकः शब्दः काव्यम् ।

चाहे अपने-अपने ढंगसे ही क्यों न हो जिन सभी आचार्योंने आनंद नामक काव्यके प्रधान रसकी महत्ता अवश्य स्वीकार की है।

मनुष्य स्वभावसे ही कुछ न कुछ करता रहना चाहता है। अुसके लिये यह संभव नहीं कि वह चुपचाप बैठा रहे। अुसी तरह अुसके स्वभावकी

**साहित्यका** अेक और विशेषता यह भी है कि वह अपने मनकी बात

**प्रयोजन** दूसरे प्रकट करना चाहता है। अपने विचारों और

मनके भावोंको प्रकट करनेकी अुसकी अिच्छा हमेशा प्रबल रहती है। ये ही कारण हैं कि जिससे साहित्यका निर्माण होता है।

साहित्य सृजनके प्रयोजनको रवींद्र कवींद्रने जिन शब्दोंमें प्रकट किया है—

१. हमारे मनके भावकी यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह अनेक हृदयोंमें अपनेको अनुभूत कराना चाहता है।

२. हृदय-जगत् अपनेको व्यक्त करनेके लिये आकुल रहता है। अिसलिये चिर कालसे मनुष्यके भीतर साहित्यका बेग है।

३. बाह्य सृष्टि जैसे अपनी भलाओं-बुराओी तथा अपनी असं-पूर्णताको व्यक्त करनेकी निरन्तर चेष्टा करती है वैसे ही यह बाणी भी देश-देशमें, भाषा-भाषामें हम लोगोंके भीतरसे बाहर होनेकी बराबर चेष्टा करती है। यही कविताका प्रधान कारण है।

प्राचीन आचार्योंके अनुसार काव्यका प्रयोजन 'यश, अर्थ, व्यवहार ज्ञान तथा आनन्द अित्यादि अनेक फलोंकी प्राप्तिको माना गया है।' परन्तु अनेक कवियोंने 'स्वांतः सुखाय' (आत्म सुख, अपने ही सुखके लिये) ही काव्यकी रचना की है। साधनाके फलस्वरूप अुच्च कोटियोंके कवियोंका यही स्वांतः सुख जनताका सुख औरं लोक-कल्याण सिद्ध हुआ।

<sup>१</sup>काव्यं यशसेऽर्थं कुते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये ।

सद्यः पर निवृत्ये कांता सम्मिततयोपदेशयुजे ॥

‘कला कलाके लिअे’ या ‘कला जीवनके लिअे’ अिसको लेकर भी साहित्य शास्त्रियोंमें बहुत दिनोंतक विवाद चलता रहा। ‘कला कलाके लिअे’

के माननेवाले कलाको जीवनका निर्माण करनेवाली या साहित्य और चरित्रको बनानेवाली होना चाहिअे, यह नहीं मानते।

**समाज परिणाम** यह हांता है कि ऐसी कला मानव अवं समाजके लिअे हानिकारक सिद्ध होती है। ‘कला जीवनके लिअे’ यह सिद्धांत कलाको जीवनके अधिक निकट ला देता है और अिस सिद्धांतको माननेवाला कलाकार अेक निश्चित मर्यादा अथवा सीमामें चलकर जीवनको जहाँ सुंदर बना देता है वहाँ वह अूसमें शिव ( कल्याण ) की भी स्थापना करता है।

यह हम देख चुके हैं कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। जहाँ वह समाजका अेक अंग होनेके कारण अपने चारों ओरकी सामाजिक परिस्थितियोंसे प्रभावित होता है वहाँ अपने विचारोंका भी वह समाजमें प्रचार करनेका प्रयत्न करता है। और अिस तरह समाजको बनानेका प्रयत्न करता है। आदि कवि वाल्मीकिने अपनी रामायणमें समाजकी अेक आदर्श व्यवस्थाको जनताके सामने रखा और यह बतलाया कि किस तरह अिसी पृथ्वीपर स्वर्गीय-सुखको लाया जा सकता है। तुलसीदासजीने भी तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियोंसे प्रभावित होकर रामका अेक कल्याणकारी आदर्श चरित्र जनताके सम्मुख रखा। और अपने आदर्शके अनुसार यह बतानेका प्रयत्न किया कि आदर्श पारिवारिक जीवन तथा सामाजिक जीवन किस तरहका होना चाहिअे। तुलसीद्वारा प्रस्थापित अिस आदर्शसे आजभी हम प्रेरणा पाते हैं। साहित्य और समाजके अिन्हीं संबंधोंको ध्यानमें रखते हुअे अेक विज्ञ साहित्यकारने कहा है कि ‘कला और साहित्य मानव-जीवन के परे किसी स्वरूप-लोककी वस्तुओं नहीं, वे किसी अकांत लोकमें विकास पा ही नहीं सकती।’

साहित्यका समाजसे जो संबंध है अुसे ध्यानमें रखते हुअे हम साहित्य-कोंको तीन श्रेणियोंमें बाँट सकते हैं। अेक तो ऐसे साहित्यकार जो प्रचलित

सामाजिक व्यवस्था अेवं मान्यताओंको ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेते हैं। दूसरे वे जो समाजमें पाये जाने वाले दोपोंको धीरे-धीरे दूर करनेका प्रयत्न करते हैं। ऐसे लोग समाजके विरोधमें ओक दम विद्रोह नहीं करते बरत् धीरे-धीरे मुधारकी भूमिका तैयार करते रहते हैं। और तीसरे ऐसे साहित्यकार होते हैं जो क्रांति करके परिवर्तन करनेके पक्षमें होते हैं। ये साहित्यकार समाजके प्रचलित ढंगोंको ओकदम बदलकर अुसकी जगह ओकदम नअी व्यवस्थाको रखनेके पक्षमें होते हैं। किन्तु अितना तो अवश्य सत्य है कि कलाकारोंकी ये तीनों श्रेणियाँ अपनी प्रेरणा समाजसेही लेती हैं। अिनका यह विभाजन भी समाजके प्रति अपनाए गए दृष्टिकोणके आधारपर ही स्थित है।

साहित्य व्यक्तिगत भावनाओं और अनुभूतियोंका वर्णन होता है और यह स्वाभाविक ही है कि व्यक्ति अपने चारों ओरकी परिस्थितियों, जातिगत तथा समाजगत विशेषताओं आदिसे प्रभावित होता हो। अिन होनेवाले प्रभावोंका ये परस्पर आदान-प्रदान होता होता है। साहित्य जिसी आदान प्रदानके लिअे माध्यमका काम करता है और विभिन्नताके बीच भी ओक सूत्राताको कायम किअे रहता है। साहित्य और कला की अनुश्वति देश और जाति की, सभ्यता अेवं अत्कृष्टता की द्योतक है। साहित्यसे हमें अुस जातिके मानसिक और बीद्धिक विकासका ज्ञान हो जाता है। भारतीय साहित्यमें हम अुसकी सांस्कृतिक विशेषताका प्रत्यक्ष दर्शन पाते हैं। भारतीय साहित्यियों और कलाकारोंने जीवनके विभिन्न तत्वों (आशा-निराशा, सुख-दुःख आदि) में समन्वय स्थापित करनेका सतत प्रयत्न किया। आदर्शकी और अबाधगतिसे अग्रसर होतेका अमर संदेश हमारे साहित्यकार हमें सदैव देते आओ हैं और अिसका प्रधान कारण रहा है हमारे यहाँका आध्यात्म-प्रधान जीवन। अधर्म अेवं अन्यायके बीच हमारे साहित्यने सदैव धर्म अेवं न्यायकी ही विजय दिखाई। अिसके साथ ही साथ हमारे यहाँके अचार्योंने

काव्य और नैतिकताके संबंधोंपर भी विचार किया है। परिणामतः अश्लीलता आदिको काव्यमें दोष ही माना गया है। अस प्रकार नैतिक औचित्यको अुचित स्थान दिया गया है।

साहित्य और विज्ञानका भेद समझते समय हमने साहित्यमें भाव-पक्ष तथा कला-पक्षकी बातका थोड़ा जिक्र किया है। साहित्यके भाव-पक्षके अन्तर्गत रसोंका विवेचन आता है। रस नौ माने गये हैं। शृंगार, कहण, शान्ति, रौद्र, वीर, अद्भुत, हास्य, भयानक और वीभत्स। कुछ साहित्यकार वात्सल्य रसोंको दसवाँ रस मानते हैं। अन्य रसोंके संबंधमें विस्तृत चर्चा हम आगे करेंगे।

साहित्यके अन्तर्गत विचारोंके प्रकट करनेके ढंग का भी विचार किया जाता है। असीको शैली कहते हैं। भिन्न-भिन्न व्यक्तियोंके साथ यह

अपनी भिन्न-भिन्न व्यक्तिगत विशेषता लिये हुये रहती शैली है। शैलीको समझनेका प्रयत्न करते हुये एक विश्व-

साहित्यकारने अुसे अस प्रकार समझाया है—‘भावोंकी अभिध्यक्षितके प्रकारको शैली कहते हैं।’ दूसरे शब्दोंमें ‘किसी कवि या लेखक-की शब्द योजना, वाक्योंशोंका प्रयोग, वाक्योंकी बनावट और अुसकी ध्वनि आदिका नाम शैली है।’ दूसरे एक साहित्यकारने शैलीको अन्य शब्दोंमें समझानेका प्रयत्न किया है—‘शैली विचारोंकी वेश-भूषा है।’

शैली व्यक्तिगत विशेषता होनेके कारण कभी तरहकी होती है। किसी अवतरण, पाठ या लेखकी भाषाको पढ़ लेनेपर हम तुरंत बता देते हैं कि यह अमुक लेखकका लिखा हुआ होना चाहिये।

शैलीका मुख्य आधार, भाषा है। भाषा शब्दोंसे बनती है। शब्दोंमें एक विशेष प्रकारकी शक्ति होती है जो अुसमें निहित अर्थका द्योतक होती है। शब्द-शक्तियोंका यदि हमें पूरा ज्ञान न हो तो हम शब्दोंका वह अर्थ समझनेमें असफल रहेंगे कि जिस अर्थमें वह प्रयुक्त हुआ है अथवा लेखक अुसके जिस अर्थको प्रकट करना चाहता है। अतः शब्द शक्तिके संबंधमें भी हमें थोड़ी जानकारी होनी चाहिये।

शब्द शक्तियाँ तीन हैं— १. अभिधा २. लक्षणा और ३. व्यंजना ।

अभिधा से शब्दके साधारण अर्थका बोध होता है । शब्दोंको सुनते ही यदि अुसके अर्थका बोध हो जाए तो यह अुसकी अभिधा शक्तिका कार्य हुआ । अदाहरणके लिए हम गाय, मेज, आदमी, शेर आदि शब्दोंको ले सकते हैं । अन शब्दोंके सुनते ही हमारे मनमें जो चित्रखड़ा होगा वह सभीके मनमें

लगभग अेक सा ही होगा । गाय माने चार पैरका अेक शब्द औसा पशु जो दूध देता हो, जिसके दो सिंग हों, पूँछ हो शक्तियाँ आदि-आदि । अुसी तरह आदमी और शेर आदि शब्दोंसे

विशिष्ट जीवोंका ज्ञान होगा । यह सर्वसाधारणतया कोष, व्याकरण तथा अन शब्दोंका व्यवहार करनेवाले सर्व-साधारण लोगोंसे जाना जा सकता है । अतः यह अर्थ अभिधेय अथवा वाच्यार्थ कहलाएगा और शब्दकी यह शक्ति अभिधा शक्ति कहलाएगी ।

शब्दके प्रधान या मुख्य अर्थको छोड़कर किसी दूसरे अर्थकी अस-लिए कल्पना करनी पड़े कि अर्थ ठीक बैठ जाए वहाँ लक्षणा होती है ।

जब शब्दके अेकसे अधिक अर्थ होते हों और वाक्यके अर्थको ठीक समझनेके लिए विशिष्ट अर्थको समझनेका प्रयत्न करना पड़े वहाँ लक्ष्यार्थ होता है और शब्दकी शक्ति लक्षणा कहलाएगी जैसे—

“लाला लाजपतराय पंजाबके शेर थे ।” यहाँ निश्चय ही शेर शब्द अपने सामान्य अर्थमें प्रयुक्त नहीं हुआ है । आदमी शेर नहीं हो सकता । यहाँ शेर शब्दका अुपयोग करके अेक विशेष प्रकारका चमत्कार अुत्पन्न किया गया है । शेरसे यहाँ अर्थ है शेरके समान वीर, साहसी, निडर, निर्भीक । जब मुख्यार्थके साथ-साथ शब्दका और भी कोअी अर्थ प्रकट होता हो तो अुसे लक्ष्यार्थ कहते हैं ।

तीसरी शक्ति व्यंजना है । अभिधा और लक्षणा द्वारा व्यक्त होनेवाले अर्थके अलावा यदि और ही किसी अन्य अर्थमें शब्दका प्रयोग

किया गया हो तो अुसे व्यंग्यार्थ कहते हैं और जिस शक्तिके सहारे यह अर्थ निकाला जा सकता है अुसे व्यंजना शक्ति कहते हैं। यदि कोअी ओक मनुष्य किसी दूसरे मनुष्यसे कहता है कि 'तुम्हारे मुँहसे शठता झलक रही है।' और अिसका अुत्तर यदि यह दिया जाए कि 'मुझे आज ही जान पड़ा कि मेरा मुँह वर्षण है।' तिस अुत्तरसे यह भाव निकला कि तुमने अपनी शठताकी झलक मेरे मुँह-रूपी दर्पणमें देख ली अर्थात् तुम स्वयं शठ हो, मैं नहीं।

व्यंजना में ओक ही अर्थसे दूसरा अर्थ निकाला जाता है। अब संध्या हो गयी अिसका वाच्यार्थ सख्ल है, साधारण है; किन्तु अिसका ओक भाव यही अर्थ नहीं है। मजदूरोंके लिङ्गे अिसका यह अर्थ है कि अब छुट्टीका समय हो गया, घरके लोगोंके लिङ्गे यह कि दिया जलाया जाना चाहिए और यदि कोअी पास बैठा हुआ तो अुसके लिङ्गे यह कि महाराज ! अब आप विदा होजिए।

व्यंजना और लब्धणा ऐसी शक्तियाँ हैं जिनके कारण भाषामें ओक विशेष प्रकारका चमत्कार आ जाता है।


साहित्य वास्तवमें 'आत्माभिव्यक्ति' ही ताँ है। साहित्यका औसत कोअी अंग नहीं जिसमें साहित्यकारका अपना व्यक्तित्व छिपा न बैठा हो।

**साहित्य और साहित्यकार** वह जीवनकी सांसारिक समस्याओंकी विवेचना अपने दृष्टिकोणके अनुसार करता है और अिसीलिङ्गे किसी भी साहित्यकारी कृतिको पूरी तरहसे समझनेके लिङ्गे पहले अुसके व्यक्तिको समझना होता है।

वही साहित्य चिरंतन साहित्य कहलाया जा सकता है जिसमें निश्चल आत्माभिव्यक्ति हो और अुसका लिखनेवाला महान् व्यक्ति हो। महान् व्यक्तिके बिना महान् साहित्यकी रचना नहीं की जा सकती और साहित्यके महान् हुअे बिना वह पुण-पुणका संदेश देनेवाला नहीं बन सकता।

यिस तरह हम यह देखते हैं कि 'साहित्य सुर्वादिलोमें नभी जगत फूंक देता है, असलिभे वह आद्युर्वेदिक रसका काम भी करता है। काथ्यका सार है, असलिभे वह फलोंके रसकी अभिध्यक्षित है। आनन्द असका निजी रूप है, असलिभे वह परमार्थ है, स्वयं प्रकाश्य, चिन्मय, अखण्ड ब्रह्मानन्द-सहोदर है।'

भारतीय दृष्टिकोणके अनुसार दिये गये साहित्यके तरह-तरहके रूपोंको समझनेमें यह कोष्टक अनुयोगी होगा—



## कविता

पिछले अध्यायमें हम यह देख चुके हैं कि काव्य मोटे रूपसे दो भागोंमें बँटा गया है। १. दृश्य और २. श्रव्य। श्रव्य काव्य तीन भागोंमें बँटा गया। १. गद्य २. पद्य तथा ३. चम्पू। जिन परिभाषा तीनोंमें जिसे पद्य कहा गया है, अुसीको कविता कहा जाता है। अतः यिस अध्यायके अंतर्गत केवल पद्यबद्ध साहित्यपर ही विचार किया जाएगा। साहित्य क्षेत्रके विचारकोंने साहित्यकी ही भाँति अुसके अंतर्गत आनेवाले सभी अंगोपांगोंको परिभाषाकी सीमामें बँधनेका प्रयत्न किया है। पद्य शब्द संस्कृतकी 'पद' धातुसे बना है। यिसका कारण यह है कि कवितामें नृथ जैसी गति रहती है।

यद्यपि गद्य और पद्यमें वैसे काफी अन्तर है फिर भी हमें प्राचीन गद्यके कभी औसे नमूने मिल जाते हैं जिनमें लथ, ताल तथा अलंकार आदि सामग्री अितनी अधिक मात्रामें होती है कि वे पद्यको भी मात कर देते हैं।

कविता और काव्यको समानार्थी मानते हुओ संस्कृतके आचार्य विश्वनाथने 'रसयुक्त वाक्यको काव्य' माना है। पंडित जगन्नाथकी रायमें 'रमणीयार्थ प्रतिपादक काव्य' काव्य है। हिन्दीके सुप्रसिद्ध आलोचक

स्व.रामचंद्रजी शुक्लके अनुसार, 'जिस प्रकार आत्माकी मुक्तावस्था ज्ञान-दशा कहलाती है असी प्रकार हृदयकी वह मुक्तावस्था रस-दशा कहलाती है । हृदयकी जिसी मुक्तिकी साधनाके लिये मनुष्यकी वाणी जो शब्द-विद्यान करती है असे कविता कहते हैं ।' कविताकी व्याख्याके संबंधमें सुश्री महादेवी वर्माके ये विचार पठनीय हैं, 'कविता कवि विशेषकी भावनाका चित्रण है और वह चित्रण अितना ठीक है कि असे वैसी ही भावनाओं किसी दूसरेके हृदयमें आविर्भूत हो जाती है ।'

अूपर दी हुई सभी व्याख्याओंमें कविताको समझनेका प्रयत्न किया गया है । पर कविताको पूरी तरहसे समझनेके लिये हमें काव्यके चार प्रमुख तत्वोंको पूरी तरहसे समझ लेना होगा । ये तत्व काव्यके तत्त्व चार बतलाओं गओं हैं— १. भावतत्त्व २. बुद्धितत्त्व ३. कल्पनातत्त्व और ४. रचनातत्त्व । भाव तथा कल्पना कविताके प्रमुख तत्त्व हैं । कवि अपनी अनुभूति तथा आदर्शोंको भावनाओंसे परिपूर्ण करके चित्ताकर्षक रूपमें पाठकके सामने रखता है जिससे असे रचनाको पढ़नेपर पाठकमें भी अन्हीं भावोंका अदय होने लगता है तथा वे जिस रूपमें असके सामने अपस्थित किए गये हैं अनके असे रूपसे भी प्रभावित हो जाता है । अपनी अनुभूतियों और आदर्शोंमें इस तरह प्रभाव अंवं चित्ताकर्षकता पैदा करते समय असे कल्पनाका भी सहारा लेना पड़ता है । श्रेष्ठ काव्यमें तीन तत्वोंका रहना आवश्यक है । १. कल्पना तथा भाव, २. छंद और ३. भाषा और शैली ।

मनुष्यके हृदयमें जब भाव अेकके बाद अेक बादलोंके समूहकी तरह अमड़ने लगते हैं तब हम देखते हैं कि मनुष्य स्वभावतः कुछ गुनगुनाने लगता है और गाने लगता है । असकी जिस क्रियामें भाव-कल्पना तथा भाव छंदोंमें बांधकर कविताका रूप देता है, यह असका कलापक्ष है । जिसे यदि और विस्तारपूर्वक समझें तो यों कहा

जा सकता है कि कविताका प्राथमिक अर्व मुख्य आधार है । भाव और अनुभावोंको भाषा द्वारा व्यक्त किया जाता है । अन्हीं दो भिन्न-भिन्न तत्वोंके आधारपर कविताके दो पक्ष माने गये— १. भावपक्ष २. कलापक्ष । भाव यदि कविताकी आत्मा है तो भाषा अनुका शरीर । भाव अपनी अभिव्यक्तिके भेदके आधारपर भिन्न-भिन्न कलाओंका रूप धारण करता है । कहीं वह चित्र-कलाका रूप ले लेता है, कहीं नाट्य-कलाका और कहीं संगीतका तो कहीं कविता अथवा काव्य-कलाका ।

यद्यपि कवितामें भावों तथा कल्पनाकी प्रधानता होती है तथापि अेक मात्र अन्हींके सहारे अुत्कृष्ट कविताकी रचना नहीं हो सकती । कर्णोंकि गद्यके हम औसे-औसे अुत्कृष्ट अुदाहरण (वाण भट्टकी कादंबरी आदि) पाते हैं जिनमें कल्पना, भावना और चमत्कारका अंश कविताकी अपेक्षा किसी प्रकार भी कम नहीं है । किन्तु अिसका यह अर्थ नहीं कि कवितामें अनुगुणोंका होना आवश्यक नहीं । ये गुण तो होने ही चाहिए पर अिसके साथ-साथ छन्दकी तथा संगीतकी भी आवश्यकता है । छन्द तथा लय-शून्य, पर भाव तथा कल्पनापूर्ण रचनाको हम पद्यात्मक गद्य ही कहेंगे । कहनेका तात्पर्य यह कि ‘भाव तथा कल्पना वास्तवमें यदि कविताकी आत्मा हैं तो छन्द शरीर ।’ आत्मा बिना शरीरमें जीवन नहीं रहेगा । वह निष्प्राण कहलाएंगा और शरीर बिना, आत्माका निवास किसमें होगा ?

छन्द अितने ही पुराने हैं जितने कि वेद । छन्द-शास्त्रके आदि आचार्य पिङ्गल मुनि हैं । अन्हींके नामपर छन्द-शास्त्रको पिङ्गल भी कहते हैं । ‘वास्तवमें छन्द कविताकी स्वाभाविक गतिके नियम-बद्ध छन्द रूप हैं ।’ छन्दोंमें वर्णोंकी गिनती ही प्रधान होती है । चाहे वह फिर वर्णोंकी गिनतीके रूपमें हो, मात्राओंकी गिनतीके रूपमें हो या लघु-गुरुके निश्चित क्रमके रूपमें हो ।

अेक छंदमें प्रायः चार चरण होते हैं। किन्हीं-किन्हीं छंदोंमें जैसे छप्पय, कुंडलिया आदिमें छह चरण भी होते हैं। अच्चारणमें लगनेवाले समयके भेदके आधारपर वर्णोंको लघु और गुरुमें बाँटा गया है। जिसमें कम समय लगे वह लघु और जिसमें अधिक समय लगे वह गुरु। छंदको पढ़ते समय बीचमें जहाँ ठहरना होता है अुसे यति (विराम या विश्राम) कहते हैं। छंद मुख्यतया दो प्रकारके होते हैं—मात्रिक और वर्णिक। जिनमें अक्षरोंके हस्त, दीर्घ विभाजनमें मात्राओंकी गिनती की जाती है अन्हें मात्रिक कहते हैं और जहाँ केवल अक्षरोंकी गिनती की जाती है अन्हें वर्णिक-छंद कहते हैं।

प्रत्येक चरणमें प्रयुक्त मात्राओं और वर्णोंकी संख्याके आधारपर तीन विभाग और किये गये हैं— सम, अर्धसम और विषम। जिस छंदमें चारों चरणोंमें प्रत्येककी मात्राओं समान हों वे सम कहलाते हैं। जिनमें पहले और तीसरे तथा दूसरे और चौथे चरणोंकी मात्राओं अथवा वर्णोंकी संख्या मिलती हो वे अर्द्ध-सम कहलाते हैं। और जिन छंदोंके चारों चरणोंकी मात्राओं और वर्णोंका अेक दूसरेसे मेल नहीं खाता होगा वे विषम कहलाते हैं।

पदके अन्त्य अक्षरोंके अच्चारणके साम्यको तुक मिलना कहते हैं। तुकके आधारपर भी छंदके तीन भेद किये गये हैं—तुकाभ्युत, अतुकाभ्युत और भिन्न तुकाभ्युत। अजकल हम देखते हैं कि कवितामें छंदोंके प्रतिवन्धको आवश्यक नहीं माना जाता और यह प्रवृत्ति हिन्दीके अधिकांश आधुनिक कवियोंमें बढ़ती जा रही है। अनका कहना है कि 'छंद अेक बाह्य संस्कार है असका अपना कोओ स्वरूप नहीं, और वह अूपरसे आरोपित किया गया है।' पर वास्तवमें वात ऐसी नहीं है। छंद भी वास्तवमें कविके अन्तर्जगतकी स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। हाँ, नियमोंका आरोपण अवश्य बादमें किया गया है। कवितामें असके स्वाभाविक गुणोंको लानेके लिये छंद या लयका वन्धन सहायक ही होता है बाधक नहीं।

कवितामें छंद और लयके आधारपर अुसका संगीतमय रूप वांछनीय माना गया है। संगीतके कारण कविता ओक अलीकिक शक्ति प्राप्त करती है। कभी-कभी छंदोंके नियमोंके कारण शब्द कविता और स्वर (संगीत) में विरोध सा होने लगता है अस समय इस विरोधको हटानेके लिये संगीत अर्थात् छंदके नियमोंको थोड़ा शिखिल कर देना ही वांछनीय होता है। यद्यपि कवियोंको हमारे साहित्य मनीषियोंने निरंकुश माना है, अनपर किसी तरहका अंकुश नहीं होता। फिर भी चीजेके आकार-प्रकारको समझनेके लिये किन्हीं न किन्हीं नियमोंकी आवश्यकता तो होती ही है। हाँ! यह अवश्य है कि कहीं-कहीं बहुत अधिक नियमों ओवं बन्धनोंके कारण लाभ होनेके स्थानपर हानि भी हुआ है।

छन्दोंके बंधनको आवश्यक न माननेके कारण अधिर कभी कवियोंने छंदहीन कविताकी भी बहुत बड़ी मात्रामें रचना करना आरंभ कर दिया है। ऐसी कविताओंको मुक्त-छंदात्मक कविताओं कहा जाता है। छंद-हीन होती हुआ भी अन्हें कविता ही माना जाता है, गद्य नहीं कहा जाता और इसका प्रधान कारण यही है कि गद्य मस्तिष्क ('बुद्धि') की चीज है तो पद्य हृदयकी। ओक बात यहाँ अवश्य स्मरण रखने योग्य है कि यद्यपि कुछ आधुनिक कविताओंमें छंद भले ही न मिलते हों पर अनुमें लय अवश्य होती है। वे लय-शून्य नहीं होतीं।

कलापवधका मुख्य माध्यम भाषा है। कविकी भाषा साधारण लोगोंकी भाषासे भिन्न प्रकारकी होती है। असमें कभी ऐसे अर्थ छिपे रहते हैं जिन्हें समझनेके लिये तरह-तरहकी शक्तियों ओवं कल्पनाओंसे भाषा काम लेना पड़ता है। कवि बहुत थोड़में बहुत अधिक कहकर गागरमें सागर भरनेका प्रयत्न करता है। असके कहनेका ढंग भी इस प्रकारका होता है कि जिस वस्तु या दृश्यको वह हमारे सामने अपस्थित करना चाहता है असे सजीव रूपमें हमारे सामने अपस्थित कर देता है। ऐसा

करनेमें समर्थ होनेके लिये अुसकी भाषा असाधारण, चमत्कारपूर्ण, परिष्कृत तथा अच्छी मँजी हुओहोनी चाहिये या होती है।

काव्य-रचनामें भावोंके अतिरिक्त चितन भी आवश्यक है जिसलिये विस चितनके अनुरूप शब्दोंका चुनाव करना पड़ जाता है। अपने भावोंके अनुरूप शब्दोंको ढूढ़नेके लिये ही कवियोंको शब्द-शक्तियोंका ज्ञान होना आवश्यक है। वह बार-बार पढ़कर वह देखनेका प्रयत्न करता है कि शब्दावली ठीक है या नहीं और जिसी दृष्टिसे बार-बार अुसका परिष्कार करता रहता है। कवि या साहित्यकार अपनी भाषामें कभी भी अनावश्यक शब्दोंको नहीं आने देगा। विहारीमें यही कला होनेके कारण तो अुनके दोहोंके विषयमें कहा जाता है—“देखनमें छोटे लगें, धार करें गम्भीर।” भाषाकी जिसी विशेषताको ध्यानमें रखते हुओ आचार्योंने शब्दोंकी शक्तिके तीन भेद किये हैं—अभिधा, लक्षण, और व्यंजन। जिन तीनों शक्तियोंका अुल्लेख संक्षेपमें साहित्यके अध्यायमें कर दिया गया है।

कविता अथवा काव्यकी श्रेष्ठताकी दृष्टिसे शब्द तथा अर्थोंके तीन गुणोंका भी अुल्लेख किया गया है—१. माधुर्य, २. झोज तथा ३. प्रसाद। जिन तीनों गुणों द्वारा पाठकके चित्तकी वृत्तियोंपर तीन तरहके असर पड़ते हैं। जिस काव्यको पढ़नेपर हमारा चित्त द्रवित हो जाये, पिंडल जाए वह माधुर्य गुणयुक्त कहलाओगा। जिसके पढ़नेपर हमारे हृदयमें अुत्साह पैदा होगा, वह ओजयुक्त काव्य कहलाओगा।

चकित चक्कता चौंकि चौंकि अठे बार-बार,  
बिल्ली बहसति, चितै चाह करपति है ।  
बिलखि बदन बिलखात बिजेपुर - पति,  
फिरति फिरेगिन की नारी फरकति है ॥  
थर - थर कांपत कुतुबसाह गोलकुंडा,  
हहरि हवस भूप भीर भरकति है ।  
राजा सिवराजके नगरनकी धाक मुनि,  
केते पातसाहनकी छाती बरकति है ॥ ( भूषण )  
सा. प.-२

ओजयुक्त रचनाओंमें अधिकतर संयुक्ताक्षरों या द्वित्त वर्णोंका प्रयोग होता है। यदि यह द्वित्तयुक्त शब्दावली अनुप्रासपूर्ण हो तो प्रभाव और अधिक हो जाता है। जिस शब्दावलीको पढ़नेसे हमारा हृदय प्रसन्न होगा अुसे प्रसाद गुणसे युक्त कहा जाएगा। प्रसाद गुण कविताका या काव्यका एक सर्वसाधारण गुण है। ओज और माधुर्यपूर्ण रचनाओंमें भी हम प्रसाद गुण पाते हैं। ऐसे सरल तथा सरलतासे समझनेमें आनेवाले शब्द जिनको सुनते ही अनका अर्थ पाठककी समझमें आ जाता हो प्रसाद-गुणयुक्त कहे जाएंगे।

कविताके कला-पक्षमें अलंकार भी विचारणीय हैं। साहित्यपर विचार करते समय हमने देखा है कि—

जदपि सुजाति सुलक्षणी, सुबरन सरस सुखृत ।

भूषण बिनु नहि राजओ, कविता, वनिता, मित्त ॥

नारीके शारीरिक सौदर्यकी वृद्धिके लिये जिस प्रकार तरह-तरहके आभूषणोंकी आवश्यकता होती है अुसी तरह अलंकार कविता-कामिनीके सौदर्यमें भी वृद्धि ही करते हैं। पर अलंकारोंका होना अलंकार नितान्त आवश्यक नहीं। यदि नारी अपने-आपमें सुन्दर है तो आभूषण-विहीन होनेपर भी अुसके सौदर्यमें कमी न होगी। हाँ, अितना अवश्य माना जाता है कि यदि अलंकार हों तो अुसका सौदर्य और भी अधिक निखर ऊठेगा।

अलंकारोंकी अुपयोगिताके संबंधमें किसी साहित्य मर्मज्ञका विचार है कि 'एक तरफ तो अलंकारोंका काम भावोंको रमणीय और सौदर्ययुक्त बनाना है, दूसरी तरफ अनका काम भावोंकी अभिव्यक्तिको परिष्कृत करके अँउहें चमत्कारपूर्ण तथा प्रभावोत्पादक बना देना होता है।' वास्तवमें काव्यमें अलंकारोंकी यही अुपयोगिता है कि वे काव्यमें ऐसा चमत्कार अवं आकर्षण अुत्पन्न कर दें जिससे अुसे पढ़नेपर पाठक रसमग्न होकर आनंदित हो अुठें। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि अलंकार साध्य नहीं वरन् कवितामें रसकी वृद्धिके साधन-मात्र हैं। भावोंकी कमी होनेपर अथवा न होनेपर अेक-मात्र अलंकार क्या रस अुत्पन्न कर सकेंगे अवं क्या सौदर्यमें वृद्धि कर सकेंगे?

अलंकारोंके दो मुख्य भेद हैं— शब्दालंकार और अर्थालंकार । जहाँ शब्दोंमें चमत्कार हो वहाँ शब्दालंकार माना जाता है । जहाँ अर्थमें चमत्कार हो वहाँ अर्थालंकार होता है । कभी-कभी शब्द और अर्थ दोनोंमें चमत्कार होता है वहाँ अुभयालंकार । शब्दालंकारकी पहचान यही है कि जहाँ शब्दोंके बदल देनसे चमत्कार जाता रहे वहाँ शब्दालंकार होता है ।

कनक कनक तें सौगुनी, मादकता अधिकाप ।

या खाये बौरात है, वा पाये बौराप ॥

अपर्युक्त दोहेमें यदि दूसरे कनकके स्थानपर सोना शब्दका प्रयोग कर दिया जाए तो चमत्कार नष्ट हो जाओगा । अतः यिस दोहेमें चमत्कार यिस बातका है कि नाम अेक होते हुओ भी यिस कनकका अर्थ सोना है अुसमें अपनी कुछ अधिक विशेषता दर्शायी गयी है ।

जहाँ शब्दोंके बदलनेपर भी अर्थमें परिवर्तन नहीं होता, वहाँ अर्थालंकार होता है । यिसका कारण यह है कि अर्थालंकारमें चमत्कार स्थानपर नहीं वरन् अर्थपर निर्भर होता है । यदि 'यह चहर दुध फेन सम इवेत है'-में दुध फेन समश्वेतके स्थानपर बदलकर कपीर-फेन-सम इवेत कर दिया जाए तो अर्थमें किसी तरहका भी अन्तर नहीं पड़ता । अतः ऐसे स्थानपर अर्थालंकार होगा ।

काव्य अथवा कविताका आधार कल्पना है । कल्पना अुसका सबसे महत्वपूर्ण तत्व है । कवि अपनी कल्पनाके आधारपर यिस संसारकी वस्तुओंके संबंधमें तरह-तरहके विचार प्रकट करता है । यिस संसारकी ही नहीं वरन् यिस संसारसे परेकी बातोंके संबंधमें भी वह अपने विचार प्रकट करता है । कवि दिन-प्रतिदिनके जीवनकी घटनाओं, संपर्कमें आजे हुओं मनुष्यों तथा प्रतिदिनके अनुभवोंको तरह-तरहसे आकर्षक रूप देकर हमारे सामने प्रस्तुत करता है । अपनी यिस कल्पनाके बाहनपर वह ऐसे-ऐसे

रहस्योंका अद्वाटन करता है जहाँ सर्वसाधारणकी कल्पनाका पहुँचना भी कठिन है। असीलिए तो कहा गया है कि 'जहाँ न पहुँचे रवि, तहाँ पहुँचे कवि' अर्थात् जहाँ सूर्यकी किरणें भी नहीं पहुँच पातीं वहाँ कवि अपनी कल्पनाके सहारे सहज ही में पहुँच जाता है। कवियोंने अपनी कल्पनाके बलसे कितने ही ऐसे महान पात्रोंकी सृष्टि की है जो जनताके हृदयपर चिर कालतक शासन करते रहेंगे।

कविताके राज्यमें जहाँ कल्पनाका अितना बड़ा साम्राज्य है वहाँ अुसका महत्व भी कम नहीं है। अुसका सत्य होना भी अुतना ही अधिक महत्व रखता है। काव्यके राज्यमें ओकमात्र वही सत्य नहीं माना जाता जो वास्तवमें है, पर जो कुछ हो सकता है वह भी सत्य ही माना जाता है। कहनेका तात्पर्य यह कि 'कवि जीवन, जगत, प्रकृति तथा मन अित्यादिमें प्रविष्ट होकर अुसके आत्मिक अवेद्य चिरंतन सत्यकी खोज करता है।' वह संसारको जैसा देखता है औकमात्र वैसा ही स्वीकार नहीं करता परन्तु अपनी रुचिके अनुसार अुसका रूप बदल डालता है।

रामायणमें रामके बन जानेके समय दशरथनें जो विलाप किया था वह संभवतः अितिहासकी कसीटीपर सत्य न सिद्ध हो पर अुसके भीतर जो पुत्र-विशेषसे अत्यन्त होनेवाली दुखकी भावना है वह चिर सत्य है और सत्य रहेगी।

कृष्णके विरहमें गोपियोंकी मनःस्थितिका विरह-पूर्ण वर्णन अैतिहासिक दृष्टिसे संभवतः सदैहपूर्ण हो पर अुसमें विरही और विरहिणियोंके जीवनका ओक चिरंतन सत्य वर्तमान है। आज भी अपने प्रियके विशेषमें प्रेमिकाओंकी दशा ऐसी ही होती देखी गयी है। कवितामें वास्तवमें जीवनका चिरंतन सत्य सदा वर्तमान रहता है। वह कभी पुराना नहीं पड़ता। असी सत्यके वर्तमान रहनेके कारण कविता भी कभी पुरानी नहीं पड़ती। वह हमेशा सामयिक बनी रहती है और हर युगमें नयी ही लगती है। लोग ज्यों-ज्यों अुसे पढ़ते हैं त्यों-त्यों अुसका सीदर्य निखरता ही जाता है—

ज्यों ज्यों निहारिये नेरे है नैनि,  
त्योंत्यों खरी निकरै-सी निकाशी।

कविका संबंध ऐसे ही सत्योंसे होता है।

पाइचात्य अवं भारतीय आचार्योंने कविताके कभी भेद अवं अुपभेद किए हैं। अेक विद्वानने कविताके दो भेद किए हैं— शक्ति काव्य और कलाकाव्यके भेद अुपभेद जिनमें लोक प्रवृत्तिको परिचालित करने या प्रभावित करनेकी शक्ति होती है। कलाकाव्यमें आनन्द अथवा मनोरंजनकी भावना होती है।

कुछ लोगोंने नाटक काव्य, प्रकृत काव्य, आदर्शात्मक काव्य, अुपवेशात्मक काव्य, कलात्मक काव्य आदि कभी भेद किए हैं। किन्तु सर्वमान्य भेद दो ही हैं— व्यक्तित्व प्रधान अथवा विषयीगत और विषय-प्रधान अथवा विषयगत। भारतके विद्वानोंने भी अिसी विभाजनको स्वीकार किया है। रवीन्द्रनाथ ठाकुरने भी अिन्हीं भेदोंकी व्याख्या करते हुअे लिखा है— 'साधारणतया काव्यके दो विभाग किए जाते हैं। अेक तो वह जिसमें केवल कविकी बात होती है, दूसरा वह जिसमें किसी बड़े संप्रदाय या समाजकी बात होती है।'

दूसरी श्रेणीके कवि वे हैं जिनकी रचनाके अतः स्तरसे अेक देश, अेक सारा युग, अपने हृदयको अपनी अभिज्ञताको प्रकट करके अुपर रचनाको सदाके लिये समावरणीय सामग्री बना देता है। अिस दूसरी श्रेणीके कवि ही महाकवि कहे जाते हैं।

स्व. डॉक्टर श्यामसुदरदासने भी अिसी विभाजनको स्वीकार किया था। कहनेका लात्पर्य यह कि भाव-प्रधान और विषय-प्रधान ये दो भेद हीं सर्वमान्य, युक्तिसंगत अवं वैज्ञानिक भेद हैं।

भाव-प्रधान कविताकी विशेषता यह है कि असमें कविकी अपनी अनुभूतियों, भावनाओं और आदर्शोंकी प्रधानता होती है। कवि अपने अंतरके भावोंको प्रकट करना चाहता है। वह अपने अन भावोंको अिस दंगसे प्रकाशित करता है मानों वे मानव जातिके ही भाव हों और अिसका परिणाम यह होता है पाठक अन वर्णित भावोंमें अपने भावोंको पाने लगता है और अिस तरह कविके भाव पाठकके ही नहीं बरत् सारे संसारके भाव बन जाते हैं। श्रृंगार, नीति, आदिकी रचनाओंमें अिसी श्रेणीके अंतर्गत आती हैं। चूंकि अन रचनाओंमें भाव प्रधान होते हैं अतः अनमें गीत-तत्त्वकी प्रधानता होती है और अिसीसे असी रचनाओं गीत-काव्य कहलाती हैं।

विषय-प्रधान कविता की विशेषता यह होती है कि असमें केवल वर्णनकी ही प्रधानता होती है। अतः असी कविताओंका विषय बाहर संसारमें ही ढूँढ़ा जाता है। कवि अपनी प्रेरणा बाह्य संसारसे ही लेता है। असी रचनाओंमें कविका अपना व्यवित्तत्व परोक्ष रूपमें काम करता है। खण्ड-काव्य और महा-काव्य अिसी विभाजनके अंतर्गत आते हैं।

वंधकी दृष्टिसे आचार्योंने श्रव्य काव्यके दो भेद किए हैं १. प्रबंध-काव्य और २. निबंध या मुख्तक-काव्य।

प्रबंध-काव्यको भी तीन भेदोंमें बांटा गया है—

१. महा-काव्य २. काव्य और ३. खण्ड-काव्य।

महा-काव्यमें किसी महान अद्वेश्यको लेकर जीवनकी पूरे रूपमें अभिव्यक्ती की जाती है। असका नाथक जातीय जीवनका प्रतिनिधि स्वरूप होता है तथा असका भी जीवन जातीय-जीवनके साथ-साथ कभी विशेषताओंको लिये हुये चित्रित किया जाता है। महा-काव्यका आकार भी विशाल होता

है। संक्षेत्रके काव्य ग्रंथोंमें तो महा-काव्यके लक्षणोंकी ओर लंबी सूची दी गयी है। १

विश्वकवि रवीन्द्रनाथने महा-काव्यको संवेषणमें समझाते हुए कहा है कि 'महा-काव्यमें अेक महाच्छरित्र होना चाहिए और असी महाच्छरित्रका अेक महत्कार्य और महानुष्ठान होना चाहिए।' रामायण, महाभारत, कामायनी, कृष्णायन आदि महा-काव्यकी श्रेणीमें ही आते हैं।

काव्य वैसा ग्रंथ है जो महा-काव्यकी प्रणालीपर तो लिखा जाता है पर असमें महाकाव्यके पूरे लक्षण नहीं मिल पाते। कुछ लोग साकेत, प्रियप्रवास आदि ग्रंथोंको असी कोटिमें मानते हैं।

खण्ड-काव्यमें किसी प्रसिद्ध या अप्रसिद्ध घटनाको प्रधान कथाके रूपमें मानकर वर्णन किया जाता है। किन्तु यह घटना अपने आपमें पूर्ण होती है। यह घटना काल्पनिक भी हो सकती है। खण्ड-काव्यकी रचनाका अद्वेश भी, अत्यंत साधारण हो सकता है। मैथिलीशरणका 'जयदरथ-वध', अनघः रामनरेश त्रिपाठीके 'मिलन' तथा 'पथिक' विसी कोटिकी रचनाओंहैं।

मुक्तक-काव्य में कथाका वैसा तारतम्य नहीं मिलता जैसा महाकाव्य, काव्य या खण्ड-काव्यमें मिलता है। मुक्तक काव्यका प्रत्येक पद अेक स्वतंत्र घटनाको लिये होता है और वह अपने आपमें पूर्ण होता है। विहारीके दोहे, सूरके पद आदि मुक्तक रचनाके अंतर्गत आते हैं।

१महा-काव्यका सर्गबद्ध होना आवश्यक है। असका नायक धीरोदात्त कथनिय अथवा देवता होना चाहिए। यह आठ सर्गोंसे बढ़ा तथा अनेक वृत्तों (छन्दों) से युक्त होना चाहिए; पर प्रवाहको व्यवस्थित रूपसे काथम रखनेके लिये अेक सर्गमें अेक ही छंद होना चाहिए। महा-काव्यकी कथा अितिहास-सिद्ध होती है अथवा सज्जनाश्रित। सृंगार, वीर और शान्त रसोंमेंसे कोअी अेक रस, प्रधान होता है। प्रकृति वर्णनके रूपमें असमें नगर, समुद्र, पर्वत, संध्या, प्रातःकाल, संग्राम, यात्रा तथा ऋतुओं आदिके वर्णन भी आवश्यक हैं।

## अुपन्यास

अुपन्याससे पहले नाटक और कविता द्वारा लोगोंका मनोरंजन होता था किन्तु आजकल चारों ओर अुपन्यास और कहानियोंका ही राज्य है। अिस युगमें अुपन्यास सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ।

समय और परिस्थितिके अनुसार चीजोंकी अच्छाओं और बुराओीमें भी परिवर्तन होता रहता है। जो चीज आज अच्छी होती है वही कुछ समयके पश्चात् बुरी और अनुपयोगी भी सिद्ध हो सकती है। यही स्थिति नाटककी अुपयोगिताके संबंधमें भी हुआ। नाटक सामंती-युगकी चीज माता जाने लगा। यद्यपि अुससे शिक्षित और अशिक्षित दोनोंहीका समान रूपसे मनोरंजन होता है तथापि नाटकके प्रति लोगोंकी रुचि कम होती गयी और मनोरंजनकी व्यवस्था खर्चीली तथा अधिक श्रम-साध्य सिद्ध होने लगी। नाटक और कवितासे आनन्द प्राप्त करनेमें एक विशेष प्रकारको शक्तिकी आवश्यकता होती है जो जन साधारणके सभी व्यक्तियोंमें सर्व-साधारण तौरपर नहीं होती। अुपन्याससे साधारण शक्तिका आदमी भी अपना मनोरंजन कर सकता है। अिसलिए भी अुपन्यासोंकी लोक-प्रियता तीव्रगतिसे बढ़ी।

धीरे-धीरे अुपन्यासके अुद्देश्योंमें भी अन्तर हो गया। जहाँ प्रारम्भमें अुपन्यासोंकी रचना केवल मनोरंजनके लिए ही की जाती थी, वहाँ आज व्यक्ति, समाज और अनकी बौद्धिक तथा नैतिक धारणाओंके

विश्लेषणके लिये ही अनंतकी रचना हो रही है। संस्कृतके लक्षण-ग्रंथोंमें अुपन्यास शब्द पाया जाता है। अुपन्यास नाट्य-शास्त्रमें वर्णित प्रतिमुख-संधिका ओके अुपभेद है। अिसकी व्याख्या अिस प्रकार की गयी है ॥ 'किसी अर्थको अुसके युक्तियुक्त अर्थमें प्रस्तुत करनेको ही अुपन्यास कहते हैं।' कुछ लोगोंके अनुसार <sup>२</sup>'प्रसन्नता प्रदायक कृतिको अुपन्यास कहते हैं।'

आजकल अुपन्यासके अन्तर्गत 'गाढ़ द्वारा अभिध्यक्षत, संपूर्ण व्याख्या कल्पना प्रसूत कथा-साहित्य प्रहण किया जाता है।' अतः और हम देखते हैं कि अुपन्यासकी परिभाषामें भी धीरे-धीरे अन्तर होता गया है। प्राचीन कालके अुपन्यास शब्दमें तथा आजमें केवल मात्र नामकी ही समता है। अुपन्यास सम्राट् स्व. मुंशी प्रेमचंद्रजीने अुपन्यासकी परिभाषा करते हुओ कहा है, "मैं अुपन्यासको मानव-जीवनका चित्र मानता हूँ। मानव-चरित्रपर प्रकाश डालना और अुसके रहस्योंको खोलना ही अुपन्यासका भूल तत्व है।" अिससे स्पष्ट है कि अुपन्यास मानव-जीवनमें प्रतिदिन घटनेवाली, घटनाओंका ओके जीवन-चित्र है। यह अेक साधन है जो जीवनके संघर्षोंका चित्रण करते हुओ सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक गुरुत्वोंको सुलझानेमें सहायता करता है। निश्चय ही साहित्य ही में नहीं बरन् प्रत्यक्ष जीवनमें भी अुपन्यासोंका महत्वपूर्ण स्थान है।

अुपन्यासके निर्माणमें विभिन्न तत्व कार्य करते हैं। ये प्रधानतः अिस प्रकार हैं— कथा-वस्तु, पात्र, चरित्र-चित्रण, कथोपकथन, देशकाल और वातावरण, भूड़ेश्य, तथा शैली।

<sup>१</sup> अुपपरिति कृतोद्यर्थः अुपन्यासः प्रकीर्तिः

<sup>२</sup> अुपन्यासः प्रसादनम्

किसी विज्ञ साहित्यकारका मत है कि अुपन्यासमें कथानकका वही स्थान है जो शरीरमें हड्डियोंका । बिना हड्डियोंके जैसे मांस-पेशियाँ स्थिर नहीं रह सकतीं वैसे ही बिना कथानकके किसी भी अुपन्यासका ढाँचा नहीं खड़ा किया जा सकता । यह बात दूसरी है। कि चतुर लेखक

अपने व्यक्तिगत चातुर्यके कारण किसी भी कथानकको लेकर  
कथावस्तु अपनी प्रतिभाके बलपर अके सुन्दर अुपन्यास लख डाले ।

किन्तु अगर लेखक की प्रतिभाके साथ-साथ कथानक भी सुन्दर है तो अुपन्यास भी अतीव ही सुन्दर बनेगा। अिसमें सन्देह नहीं । कथानकका अर्थ केवल वे घटनाओं हैं जो लेखकको सम्मिलित रूपमें अपने विचार प्रकट करने तथा अुपन्यासका ढाँचा तैयार करनेके लिये अत्येजित करती हैं ।

संसार घटनाशील है। अिसमें प्रतिदिन घटने वाली किसी भी घटनाको लेकर अुपन्यासकी रचना की जा सकती है। कहनेका तात्पर्य यह कि अुपन्यासके कथानककी सामग्री संसारके विस्तृत क्षेत्रसे मिल सकती है। आवश्यकता अिस बात की है कि लेखक अनुभवशील हो और साथ-साथ अध्ययनशील भी हो। विषय कुछ भी हो पर लेखकको असका पूरा ज्ञान होना चाहिये। अितिहास, पुराण या जीवनीसे भी अुपन्यासका कथानक चुना जा सकता है पर आजकल जीवनसे सम्बन्धित कथानकको ही अधिक महत्व दिया जाता है। अैतिहासिक और पौराणिक कथावस्तुको लेनेपर असमें रोचकता और सजीवता लानेके लिये हमें कल्पनासे काम लेना ही होगा अतः यह संभव है कि असमें अस्वाभाविकताका समावेश हो जाए।

जीवनके दैनिक संघर्षसे बूढ़कर मनोरंजनके लिये, वित्तको शान्ति देनेके लिये, जी बहलानेके लिये हम कुछ देर अुपन्यास लेकर बैठ जाते हैं। अिसलिये अुपन्यासमें वर्णित कहानी गितनी रोचक होनी चाहिये जिसे पढ़ते-पढ़ते पाठक असीमें तन्मय होकर अपनी असली दुनियाको भूल जाए। किन्तु

अिस तरहकी काल्पनिक सृष्टिकी रचना विलक्षण, सुसंगत, दुद्धिगम्य और सत्य होनी चाहिए। रोचकताको कायम रखनेके लिये लेखकको यह भी ध्यानमें रखना होगा कि कथा वस्तुमें अनावश्यक अंशका कहीं समावेश न हो जाए। सारा कथानक पाठकके सामने सुसम्बद्ध रूपमें प्रस्तुत किया जाए। कथावस्तुकी सामग्रीका सफल अपयोग करनेमें भी एक कला होती है। प्रत्येक घटनाका परस्पर अिस तरहका सम्बन्ध हो जिससे कुछ भी असंगत न जान पड़े। तात्पर्य यह कि असके सब अंगोंमें परस्पर साम्य और समीक्षीनता रहे।

अुपन्यासोंकी कथा कहनेके तीन ढंग हैं। पहले ढंगके अुपन्यासोंमें अुपन्यास लेखक वितिहासकारका स्थान ग्रहण करता है। वर्णनीय कथासे अपनेको अलग रखकर लेखक अपनी कथा-वस्तुको क्रमयः विकसित करता है तथा पढ़नेवालोंको अन्तिम परिणाम तक पहुँचाकर अपना अभीष्ट प्रभाव अुपन्न करता है। अिस प्रकारको वर्णनात्मक ढंग भी कहा जा सकता है। प्रेमचंदजीका 'गोदान' वृन्दावनलाल वर्मा का 'गढ़कुण्डार' आदि अुपन्यासोंके कथानक अिसी प्रकारके हैं।

दूसरे ढंगमें अुपन्यास लेखक नाथकका आत्म-चरित असीके मुँहसे अथवा कभी-कभी गौण पात्रके मुँहसे कहलाता है।

तीसरे दर्जेमें चिदिठ्यों आदिके द्वारा कथानक वर्णित होता है। अिसमें कथा-वस्तुके वर्णनमें लेखकको अनेक कठिनाइयाँ अुठानी पड़ती हैं। जिनमेंसे पहला ढंग अधिक काममें लाया जाता है और तीसरा बहुत ही कम।

कथा-वस्तुके आधारपर अुपन्यासोंके दो भेद होते हैं। एक तो वे अुपन्यास जिनकी कथा-वस्तु गठित (Novels of Organic plot) होती है। जैसे—अुग्रजीका 'चंद हसीनोंके खदूत' और दूसरे वे जिनकी कथा-वस्तु गठित नहीं होती (Novels of Loose plot)।

यह आवश्यक नहीं है कि किसी अपन्यासको पढ़ लेनेपर अुसकी कथावस्तु हमें बहुत दिनोंतक याद रहे ही किन्तु असमें आनेवाले पात्रोंका असर हमपर बहुत दिनोंतक बना रहता है। पात्रोंके किसी या किन्हीं विशिष्ट गुणोंका कुछ औसा मधुर और प्रभावोत्पादक असर होता है कि भुलाये भी नहीं भूलता। अिसीलिए किसी लेखकने ठीक ही पात्र और कहा है कि 'चरित्रांकनकी सफलता तो यह है कि पुस्तक चरित्र-चित्रण बन्वकर देने तथा सूक्ष्म विवरण भूलजानेवर भी अुसके पात्र हमारी स्मृतिमें जीवित रह सके।' यह तभी संभव है जब लेखक द्वारा किये गये चरित्र-चित्रणमें न तो बहुत कुछ बदाचढ़ाकर ही कहा गया हो और न अुसे आवश्यकतासे कम महत्व दिया गया हो। अिसको यदि हम दूसरे शब्दोंमें कहना चाहें तो कह सकते हैं कि "प्रत्येक कलाकारका अमर पात्र अुसके अपने अमरस्वका द्योतक है।" प्रेमचंदके गोदानका होरी ऐसे ही पात्रोंमेंसे है।

चरित्र-चित्रणके अन्तर्गत पात्रोंकी बात्य और आन्तरिक दोनों विशेषताओंपर प्रकाश डाला जाता है। प्रत्येक पात्रमें सर्व साधारण तौरपर गुण भी होते हैं और दोष भी। अतः अुसके संवर्धनमें जानकारी होनेके साथ ही साथ हमारी सहानुभूति भी अुसके साथ-साथ चलती है। अुसे दुखी देखकर सहज ही हमारे मनकी करुणा जाग अठती है। यह सब अेक मात्र अिसीलिए कि अुसे हम अपने जैसा ही पाते हैं। आज तो चरित्र-चित्रणका मुख्य अुद्देश्य मानवकी कमजोरियोंके साथ-साथ अुसकी सबलताओंका प्रदर्शन है।

यद्यपि पात्रोंकी अवतारणा यारचना लेखक ही करता है तथापि अुनका अपना अेक स्वतंत्र अस्तित्व भी होता है। अपन्यासकार अुन्हें अपने अिशारोंपर नहीं नचा सकता। यदि औसा होता है तो पात्र कठपुतलीसे निर्जीव लगने लगते हैं। पात्रोंको निरंतर गतिशील होना चाहिए।

सफल चरित्र-चित्रण सबसे सुन्दर और कठिन कला है। सजीव तथा मार्मिक चित्र अुपस्थित करना ही अपन्यास-लेखककी कलाकी सजीवता

और निपुणता है। जिसमें सफल होनेके लिये मनोवैज्ञानिक अध्ययन तथा सजीव वर्णन करनेकी शक्तिकी नितांत आवश्यकता है।

चरित्र-चित्रण कठी प्रकारसे किया जा सकता है कुछ लेखक स्वयं वर्णनद्वारा अपने शब्दोंमें पात्रोंके चारित्रिक गुण दोपोंका वर्णन करते हैं। प्रेमचन्द्रजीके अपन्यासोंमें हम यह बात पाते हैं। किन्तु आधुनिक युगमें जिस शैलीका विशेष महत्व नहीं है क्योंकि पात्रोंको आँकनेका मापनयथ अपन्यासकारका दृष्टिकोण ही नहीं होता। पाठक स्वयं पात्रोंका अध्ययन कर अनुके विषयमें अपनी धारणा बनाना चाहता है। जिस प्रणालीको साक्षात् या विश्लेषणात्मक (Analytic) प्रणाली भी कहते हैं।

दूसरे प्रकारके चरित्र-चित्रणको संकेतात्मक या नाटकीय (Indirect or Dramatic) चरित्र-चित्रण कहते हैं। जिसमें लेखक स्वयं अपनी ओरसे कुछ नहीं कहता। पात्रोंके ही कथन और व्यापारसे तथा अन्य पात्रोंकी सम्मति, टीकाटिप्पणी तथा दूसरा पात्र असे किस भावनासे देखता है, जिन सारी संकेतात्मक बातोंसे ही पात्रके चरित्रका पता लगता है। वर्तमान युगमें यही प्रणाली अधिक अपेक्षित जान पड़ती है। लेखकके लिये यही अचित है कि वह स्वयं पात्रोंके चरित्र-चित्रणपर अपना निर्णय न दे। निर्णय करनेका मौका तो पाठकोंको ही दिया जाए।

कथोपकथन द्वारा पात्रोंकी आपसमें टीकाटिप्पणी होती है। अतः अभिनयात्मक प्रणालीमें पात्रोंके वारालिप (वातचीत) करते समय, अकें दूसरेके चरित्रपर प्रकाश डालते समय अनुके चरित्रोंका भी पता लग जाता है। जो व्यक्ति जैसा कुछ बोलता है असफरसे असके चरित्रकी विशेषताओंका भी तो पता लग ही जाता है। आत्म-कथात्मक और पत्रात्मक प्रणालीमें चरित्र-चित्रणका यह ढांग विशेष अपेक्षित होता है। 'गोदान'में रायसाहब और खन्नाकी बातचीतसे मेहताके चरित्रका भी पता लग जाता है। देखिये—

रायसाहब बोले— यह मेहता कुछ अजीब आदमी है, मुझे तो कुछ बना हुआ-सा मालूम होता है।

खन्ना बोले— मैं तो अनुहें केवल मनोरंजनकी वस्तु समझता हूँ। कभी अनुसे बहस नहीं करता। और करना भी चाहूँ तो जितनी विद्या कहाँसे लायूँ। जिसने जीवनके व्येत्रमें कभी कदम भी नहीं रखा वह अगर जीवनके विषयमें कोअी नया सिद्धांत अलापता है तो मुझे असपर हँसी आती है। ‘मैंने सुना है चरित्रका अच्छा नहीं।’ ‘वेफिकीमें चरित्र अच्छा रह ही कैसे सकता है?’ समाजमें रहो और समाजके कर्तव्यों और मर्यादाओंका पालन करो तब पता चले। अस वार्तालापमें जहाँ मेहताके चरित्रको प्रकाशित किया जाता है, वहाँ रायसाहब और खन्नाका चरित्र भी प्रकट हो जाता है।

अपन्यासोंके चरित्र-चित्रणके सम्बन्धमें अेक बात और ध्यान देने योग्य है। अपन्यासकार अपने पात्रोंके विषयमें सब कुछ अेक ही बार न कह दे। असके पात्रोंके चरित्रका विकास क्रमशः हो। ऐसा करनेसे पात्रोंका जीता-जागता और चित्ताकर्वक चित्र पाठकोंके सामने अपस्थित किया जा सकता है। यिससे पाठकोंके चित्तको आकृषित किया जा सकता है। पाठक सोचता है, फिर आगे क्या हुआ?

भाषा भी चरित्र-चित्रणको सफल बनानेमें बहुत बड़ा हाथ बँटाती है। मुहावरेदार और अपमापूर्ण, सुन्दर भाषा सफलताके साथ पात्रोंके चरित्रोंपर प्रकाश डालती है। भाषाकी सुन्दरताका अर्थ है— अपयुक्त शब्दोंका प्रयोग और स्पष्ट भाव-व्यंजन।

दो प्रकारके पात्र या चरित्र होते हैं। अेक तो वे जो किसी श्रेणी या वर्ग विशिष्टका प्रतिनिधित्व करते हैं। अपन्यास गोदानमें होरी अस किसान वर्गका प्रतिनिधित्व करता है, जो निरन्तर पिसते और शोषित होते हैं। दूसरे वे पात्र होते हैं जो अपने आपका प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे पात्र व्यक्तित्व प्रधान होते हैं तथा जन-साधारणसे कुछ विलक्षण होते हैं अथवा

किन्हीं विशेष गुणोंको लिये हुथे होते हैं। अदाहरणार्थ शस्तके 'श्रीकांत' और अज्ञेयके 'शंखर' को हम ले सकते हैं।

कथोपकथनसे घटनाओंको गति-शील बनानेमें सहायता मिलती है। पात्रोंके जिस पारस्परिक या आपसी वातचीतसे कथा-वस्तु आगेको बढ़ती है तथा पात्रोंकी चारित्रिक विशेषताओंका पता लगता है असे ही कथोपकथन कहते हैं। कथोपकथन द्वारा अपन्यासमें आकर्षण और मनोरंजनकी भी अभिवृद्धि होती है। कथोपकथनमें बाहरी अथवा दिलाअू, कथोपकथन अनावश्यक और नीरस बातें तो बिलकुल ही नहीं होनी चाहिए। अपयुक्त बातें भी असी हृदतक होनी चाहिए कि जहाँतक वे वस्तु-विकासमें सहायक हों। कहनेका तात्पर्य यह कि कथो-पकथन बहुत विस्तृत न हो जिससे अपन्यास लेखक अपदेशक समझा जाने लगे; अन्यथा पाठक थूब जाओंगे। जो कथोपकथन न तो कथावस्तुको विकसित करे और न पात्रोंकी विशेषताओंका ही प्रदर्शन करे वह अपन्यासके सर्वथा अनुपयुक्त है।

अपन्यासोंको स्वाभाविक बनानेके लिये देश, काल तथा वातावरणका पूरा-पूरा ध्यान रखना होता है। अपन्यासके पात्र किसी विशिष्ट देश, काल या वातावरणके होते हैं। अतः जिस देश काल तथा वातावरणके वे पात्र हों अन्हींके अनुरूप अनका वर्णन किया जाना देश-काल तथा चाहिए। देश, काल, वातावरणका विशेष महत्व अैति-वातावरण हासिक अपन्यासोंमें होता है। जिस कालका अपन्यासमें वर्णन इष्ट होता है अस समयकी धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक परिस्थितियोंका तथा अस समयके मुख्य-मुख्य रीति-रिवाजों, रहन-सहनका ढंग, वेश-भूषा व आचार-विवारका ध्यान रखना होता है। अपन्यासमें देश-काल-वातावरणका वर्णन वहीं तक अनिवार्य है, जहाँतक वह कथा-प्रवाहमें सहायक हो।

भुपन्धासका अद्वेश्य मनोरंजन तो अवश्य है लेकिन आज थेकमात्र वही अद्वेश्य नहीं रह गया है। मनोरंजनके साथ-साथ असका एक विशिष्ट लक्षण भी होता है। थेकमात्र मनोरंजनकी दृष्टिसे लिखे अद्वेश्य गओ अपन्यासोंको अत्कृष्ट नहीं माना जाता। अपने विशिष्ट अद्वेश्यकी सिद्धिके लिये ही लेखक अपन्यासमें अनुरूप पाठोंकी अवतारणा करता है और नायक इन विचारोंका प्रतिनिधित्व करता है।

अपन्यास-लेखकका अद्वेश्य सदा महान होना चाहिए। अद्वेश्य ऐसा हो जो अपनी महानताके कारण सहज ही में पाठकको प्रभावित कर ले। अपने अद्वेश्यको व्यक्त करनेकी शैली भी रोचक तथा प्रभाव अत्पन्न करनेवाली हो।

औयारी और तिलसी अपन्यासोंको छोड़कर वाकी सभी अपन्यासमें कुछ-न-कुछ सत्य अवश्य ही रहता है। क्योंकि जो कुछ कभी हुआ हो अथवा नित्य होता हो वही केवल सत्य नहीं है; किन्तु जो कुछ हो सकता है, वह भी सत्य है। और यही सुंदर है। अपन्यासमें वास्तविकता और कल्पन। दोनोंकी समानरूपसे आवश्यकता है। न तो कोरी कल्पनासे ही काम चल सकता है और न निरी वास्तविकतासे ही। वास्तविकतासे आजकल कुछ लोग यथार्थका अर्थ लगाते हैं। यह विचारधारा वितनी तेजीसे और विकृत-रूपमें फैलती जा रही है कि कलाके परदेका कोअभी अर्थ ही नहीं रह गया अपन्यासमें है। जीवनकी कमियों और कमजोरियोंको नम्न-रूपमें वास्तविकता हमारे सामने रखनेका जो प्रयत्न जारी है असे यह भी शका होने लगती है कि क्या वह समाजके लिये कल्याणकर होगा! समाजकी जिन कमजोरियोंका दिग्दर्शन कराया जाता है असे यदि कलाका आवरण पहनाकर ही पाठकके सामने रखा जाए और असे

जोरीको दूर करनेका भी ढंग कलात्मक हो तो अधिक वाँछनीय होगा । यथार्थ-चित्रणके नामपर समाजकी कमजोरियोंका ही अकमात्र चित्रण हितकर न होगा ।

प्रबंध-काव्य और अुपन्यास बहुत नजदीक-नजदीककी वस्तु है क्योंकि दोनोंमें अुसका विषय प्रधान होता है । इसी दृष्टिसे किसी लेखकने कहा है, “अुपन्यासोंको गद्यमय प्रबंध-काव्य (Epic in Prose) अुपन्यास और तथा महाकाव्योंको भी अुपन्यास (Novel in Verse) कविता कहा जा सकता है ।” दोनों ही में वर्णनकी प्रधानता होती है । दोनोंमें जीवनके विविध अंगोंका विविधतापूर्ण प्रदर्शन किया जाता है ।

यद्यपि अुपन्यास और महाकाव्यमें अितनी समानता है कि फिर भी, महाकाव्य अुपन्याससे भिन्न वस्तु है । महाकाव्य किसी महान् व्यक्तिकी महानताका वर्णन करनेके लिये ही लिखा जाता है । किन्तु अुपन्यास तो साधारणसे साधारण व्यक्तियोंकी अत्यन्त साधारण घटनाको लेकर भी लिखा जा सकता है, लिखा जाता है । ‘अुपन्यासकारकी कल्पनाके पंख कवि-कल्पनाकी भौति अनुभूत नहीं होते, अुसके परोंमें यथार्थताका बंधन होता है ।’

कविताको समझनेके लिये, अुसका आनन्द प्राप्त करनेके लिये अेक विशेष प्रकारकी दुद्धि, संस्कृत मन तथा भावकृ हृदयकी आवश्यकता होती है, वह सर्व साधारणके समझनेकी वस्तु नहीं है । पर अुपन्यासमें यह बात नहीं है । यही कारण है कि सर्व-साधारण लोग भी अुपन्यासको पढ़नेमें रस लेते हैं ।

नाटकपर विचार करते समय हम देखेंगे कि नाटक कोओ अकेली स्वतंत्र कला नहीं है । वह तो कलाओंका अेक समूह मात्र है । पर अुपन्यासमें ऐसी बात नहीं है । अुपन्यासका आनन्द अुसीमें अुपन्यास और निहित होता है । नाटक लेखक नाट्य-शास्त्रके अनेक नाटक नियमोंसे जकड़ा रहता है । वह अपनी ओरसे अुसमें कुछ नहीं कह सकता । अुसे जो भी कुछ कहना होता है वह सा. प.-३

पात्रोंके मुँहसे ही कहला सकता है। अपने मनके अनुसार वह अनावश्यक पात्रोंकी अवतारणा नहीं कर सकता। अुपन्यासमें लेखक अपने पात्रोंके द्वारा कहलवानेके अतिरिक्त स्वयं भी बहुत कुछ कह सकता है। अस तरह 'नाटक, साहित्यका सबसे बँधा रूप और अुपन्यास सबसे खुला रूप है।'

कुछ लोगोंकी ऐसी धारणा है कि कहानीका विकसित रूप ही अुपन्यास है, किन्तु वात ऐसी नहीं है। कहानी और अपन्यासमें केवल आकारका ही नहीं, प्रकारका भी अन्तर है। कहानीके अुपन्यास और छोट व्येचमें जीवनकी अुत्तीर्ण विस्तृत विवेचना नहीं हो सकती जितनी अुपन्यासमें होती है। मानव-चरित्रके किसी ओक पहलूपर प्रकाश डालने अथवा किसी घटना या वातावरणकी सूचिके लिये कहानी लिखी जाती है।

अुपन्यासमें बहुतसे विश्योंका समावेश होता है, पर कहानीमें नहीं। अुसका केवल एक ही विषय, एक ही घटना होती है। कहानीमें घटना, क्रमसे विकसित होकर एक अंतिम सीमापर पहुँचती है, जिसे घटनाओंकी तीव्रतम स्थिति कहते हैं और वहीं कहानीका अन्त होता है। यद्यपि कथानककी आवश्यकता कहानी और अुपन्यासमें दोनों रूपसे है तथापि कथानक पर रखे हुमें स्वरूपमें विभिन्नता होती है। कहानियोंमें अनके पात्रोंका और हमारा बहुत ही थोड़े समयके लिये साथ होता है। हमें अनके बहुत ही थोड़े कायों और व्यवहारों आदिका परिचय मिलता है। हमारे चित्तपर अनके अध्ययनसे जो प्रभाव पड़ता है वह भी अपेक्षाकृत बहुत ही अल्प होता है।

अुपन्यास और अितिहास दोनोंका मानव जीवनसे संबंध होनेपर भी अन्यमें पर्याप्त अन्तर है। कब, कहाँ क्या हुआ अितिहास अिसका केवल अुलेख मात्र करता है। अर्थात् अितिहासमें केवल तथ्योंका अुपन्यास और वर्णन किया जाता है। अुपन्यासमें केवल तथ्योंका वर्णन-अितिहास मात्र ही नहीं होता वरन् कल्पनाका आधार लिया जाता है और अस तरह सुष्क ओवं नीरस चीजोंमें भी सरसता अुपन्न की जाती है।

अुपन्यासमें व्यक्तिको महत्ता दी जाती है अतिहासमें देश, जाति या समाजको । अुपन्यासकार व्यक्तिके अन्तरमें प्रवेश करके अुसमें निहित रहस्यको भी खोजनेका प्रयत्न करता है पर अतिहासको अन सब वातोंसे कोई सरोकार नहीं ।

अुपन्यासोंके भेद साहित्य-मर्मज्ञोंने कभी प्रकारसे किए हैं । ऐक तो चरित्र प्रधान अुपन्यास, जिसमें पात्रोंकी प्रधानता होती है । घटनाका स्थान गौण रहता है । दूसरे घटना प्रधान अुपन्यास जिनमें अुपन्यासके घटनाओंकी प्रधानता रहती है और पात्रोंका अुपयोग घटनाचक्रके ठीक ढंगसे चलानेमें किया जाता है । चरित्र-प्रधान अुपन्यास अच्छे होते हैं क्योंकि पात्रोंके चरित्रों द्वारा मनुष्यके हृदयपर अधिक स्थायी प्रभाव डाला जा सकता है ।

कभी लोग अुद्देश्योंके अनुसार अुपन्यासोंके भेद किया करते हैं । अुदाहरणार्थ सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, अतिहासिक आदि । किन्तु यह विभाजन-प्रणाली ठीक नहीं प्रतीत होती । अुद्देश्य और प्रकारमें बहुत अन्तर होता है । अुपन्यासका प्रधान गुण ही विभाजनका आधार होना चाहिए । अस दृष्टिसे चरित्र-प्रधान, घटना-प्रधान, अतिहासिक, सामाजिक तथा सामयिक ये पाँच प्रकारके अुपन्यास हो सकते हैं ।

अुपन्यास साहित्यमें चरित्र-प्रधान अुपन्यासोंका अधिक महत्व है । ऐसे अुपन्यासोंमें घटनाओंपर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता । कथानक भी अधिक विस्तृत और स्पष्ट नहीं होता । पात्रोंकी रचना कथानकके आधार-पर नहीं की जाती । पात्रोंके स्वतन्त्र रहनेके कारण कियाका विकास-पात्रों-पर अवर्लंबित रहता है । पात्र परिस्थितियों और घटनाओंके अधीन नहीं होते वरन् परिस्थितियाँ और घटनाओं पात्रोंके अधीन होती हैं । चरित्र-प्रधान अुपन्यासोंमें कथा-वस्तुका काम पात्रोंकी भिन्न-भिन्न विशेषताओंको यथा समय

सामने लाकर रख देना होता है। अिसलिये वावश्यकतानुसार नभी परिस्थितियाँ पैदा करनेकी स्वतन्त्रता लेखकको होती है। ऐसे अपन्यासोंमें कथानक गठित ओवं सुदृढ़ नहीं रहने पाता। स्व. प्रेमचन्दजीके अपन्यास प्रायः चरित्र-प्रधान ही हैं। श्री जैनेन्द्रकुमार, अमरजी, चतुरसेन शास्त्री आदिकी कृतियाँ भी अिसी कोटि में आती हैं।

साहित्यमें घटना-प्रधान अपन्यासोंकी संख्या बहुत अधिक है। ऐसे अपन्यासोंमें किसी अंक घटनाको विशेष रूपसे चित्रित किया जाता है और असुकी पोषक अन्य अनेक गौण घटनाओंको सहायक रूपसे असुके चारों ओर गूँथा जाता है। ये घटनाओं क्रमशः पाठकोंके सामने आती हैं और अनुकी जिज्ञासा अथवा अत्युक्ताको बढ़ाती चली जाती है। 'फिर क्या हुआ?' के जाननेकी जिज्ञासा ही पाठकके हृदयमें प्रबल होती है। अिन्हीं घटनाओंपर कथानकका विकास अवलंबित रहता है।

घटना-प्रधान अपन्यासोंमें घटनाओं चाहे साधारणसे साधारण हों, वे किसी भी आश्चर्यजनक अथवा असाधारण परिणामपर पहुँच सकती हैं। अैसे अपन्यासोंमें कथानकका कोअी भी वैज्ञानिक स्वरूप नहीं होता। कथानकका ढाँचा तैयार करनेमें लेखककी अिच्छा या कल्पनाका ही अधिकतासे हाथ होता है। वह पाठकको घटनाओंके जालमें झुलझाओ रखकर आगेकी ओर खींचता चला जाता है और अन्तमें अंक आश्चर्यजनक परिणामपर पहुँचाकर खड़ा कर देता है। अिसलिये अैसे अपन्यासोंमें जीवनका चित्र बहुत ही कम मात्रामें मिलता है। जो भी कुछ होता है वह जीवनका सच्चा चित्र नहीं, कल्पनाका केवल ढाँचा मात्र होता है। अैसे अपन्यासोंमें पात्रोंका चरित्र वैसा ही और अतनाही होता है जितना घटनाओंको अप्रसर करनेमें आवश्यक है।

अैतिहासिक अपन्यासोंमें अैतिहासके सत्यकी रक्षा करते हुओ लेखक अपन्यास रचनाकी ओर अग्रसर होता है। अैतिहासिक घटनाको विस्तृत रूप देकर असुके महत्वपूर्ण अंगपर प्रकाश डालना ही लेखकका अद्वैत रहता

है। युदि वह अिस औतिहासिक रसको अवधुण्ण रख सका है तो वुसे अपनें अुद्देश्यमें सफल समझना चाहिए। औतिहासिक अुपन्यासोंमें सबसे अधिक आदर असी अुपन्यासका होता है जो किसी प्राचीन काल-विशेषका सच्चा, सजीव तथा मनोरंजक चित्र हमारे सामने अपस्थित करता है।

सामाजिक अुपन्यासोंमें जीवन या समाजके सभी अङ्गों और स्वरूपोंका समावेश होता है। सामाजिक अुपन्यास लिखना सरल कार्य नहीं है और अिसीलिए औसे अुपन्यास कम मिलते हैं। अधिर औसे अुपन्यास काफी संख्यामें लिखे गये हैं। सामाजिक अुपन्यासोंमें जिस अुपन्यासका वर्णन जितना ही ठीक और स्वाभाविक होता है वह अुपन्यास अुतना ही अच्छा माना जाता है।

सामयिक अुपन्यासोंमें जिस काल-विशेषमें अनकी रचनाओं हो रही हैं, अस काल विशेष की भावनाओं, गतियों तथा विचारोंका दिग्दर्शन कराया जाता है। प्रायः औसे अुपन्यासोंमें वास्तविक जीवनके नग्न-चित्रको अंकित करते हुओ लेखक अस आदर्श-जीवनका अल्लेख करता है जिसकी औसे समयमें असकी दृष्टिमें अपयोगिता अव आवश्यकता प्रतीत होती है।

स्व. प्रेमचन्द्रजीके प्रायः सभी अुपन्यासोंमें समायिकताकी छाप अधिक रहती है। यही कारण है कि वे अिनने अधिक लोकप्रिय हो सके हैं। वास्तवमें दरिद्र किसानोंकी जैसी दशा है, असीका सफल वर्णन अनके अुपन्यासोंमें मिलता है।

वादोंके आधारपर अुपन्यास दो प्रकारके होते हैं। अेक आदर्शवादी और दूसरे यथार्थवादी। यथार्थवादी अुपन्यास चरित्रोंकी पाठकके सामने

अनके यथार्थ रूपमें, नग्न-रूपमें (ज्योंका त्यों) रख अुपन्यासोंमें यथार्थ देता है। मानव-चरित्रमें दुर्बलताओं होती ही है और

तथा आदर्श यथार्थवाद हमारी अिन्हीं दुर्बलताओं, विषमताओं और कूरताओंका नग्न-चित्र होता है। हमें अपने चारों ओर बुराओं ही बुराओं नजर आने लगती है। परिणामतः मानव-चरित्रपरसे हमारा विश्वास अुठ जाता है।

दूसरी ओर अेकमात्र आदर्शवाद हमें सुन्दर आदर्शोंकी मनोरम झाँकी दिखाता है। यह चित्र वास्तविकतासे कोसों दूर होता है। किसी विद्वान् समालोचकने ठीक ही कहा है कि, 'यथार्थवाद यदि हमारी आँखें खोल देता हैं, तो आदर्शवाद हमें अठाकर किसी मनोरम स्थानमें पहुँचा देता है।'

अिसलिये वेही अुपन्यास अुच्चकोटिके समझे जाते हैं जिनमें यथार्थ और आदर्शका अुपयुक्त समन्वय हो। अैसे अुपन्यासोंको 'आदर्शभूल-यथार्थवादी' अुपन्यास कहा जा सकता है। आदर्शको सजीव बनानेके लिये ही यथार्थका अुपयोग होना चाहिये।

अधरके अुपन्यासोंमें वर्तमानके सुख-दुखोंका ही चित्र अंकित करनेकी चेष्टा पावी जाती है, पर अुनमें जो अुपन्यास स्थायी कहलाने योग्य होते हैं, अुनमें प्रतिदिनकी सुखदुखकी वासनाको अनन्तके साथ सम्मिलित करनेकी अ्याकुलता भी प्रकाशित होती है।

---

## कहानी

स्वभाव ही से मनुष्यको अकोत नहीं भाता। वह अपनी कहना चाहता है और दूसरेकी सुनना। यह आदान-प्रदानकी प्रवृत्ति मनुष्यके जीवनमें प्रतिक्षण एक नयी स्फूर्तिका संचार करती है। इसीके दूतेपर वह सुख-दुख राग द्वेष आदिके धात-प्रतिधातोंको सहन करते हुओ अविरल गतिसे चलता है। आत्माभिव्यञ्जनाकी आधार-भूमिपर ही प्रारंभिक कथा-मंदिरका निर्माण हुआ। अपनी कहने और दूसरेकी सुननेकी रुचि ही कथा-साहित्यके जन्मका कारण है।

आत्माभिव्यञ्जनाके दो साधन हैं। एक तो पद्म और दूसरा गद्य। पद्मके अंतर्गत मुक्तक, महा-काव्य और खंड-काव्यका समावेश होता है तथा गद्यके अंतर्गत अुपन्यास, कहानी, नाटक, निर्बंध, जीवन-चरित्र, पत्र और आलोचना आदिका समावेश होता है। आजके युगमें पद्मकी अपेक्षा गद्यकी प्रधानता है और गद्यमें भी अुसके अन्य अंगोंकी अपेक्षा अुपन्यास तथा कहानीकी।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है—विश्वके समस्त साहित्यमें भारतीय साहित्यकी सर्व प्राचीनता निर्विवाद रूपसे सिद्ध है। अुसका अपना भारतका प्राचीन साहित्य वैदिक-साहित्यसे प्रारंभ होता है। अुपनिषद्, पुराण तथा ब्राह्मण-ग्रंथोंमें कथा साहित्यका अुत्तरोत्तर विकास होता गया। दादी और नानीका कथा-साहित्य

अेकमात्र वालकोंके मनोरंजनके लिये होता था। अपनिधियोंकी कहानियाँ दार्शनिक सिद्धांतोंको समझनेके लिये होती थीं।

कथा-साहित्यकी अुत्पत्ति सर्व प्रथम कहाँ और किस रूपमें हुआ, यह आज बता सकता कठिन है। किन्तु यह निर्विवाद कहा जा सकता है कि विश्वके समस्त साहित्योंमें भारतीय साहित्य सर्व-प्राचीन है। अुसके प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेदमें अनेकों कथाओंका वर्णन मिलता है। समय जैसे-जैसे बदलता गया अुसीके अनुसार कहानीका रूप भी बदलता गया। कहानीका आजका रूप आधुनिक-युगकी देन है और वह अुसके प्राचीन रूपसे पर्याप्त भिन्न और विकसित है। कहानीका मीखिक रूप समान रूपसे सभी देशोंमें पाया जाता है। सभी देशोंकी बूढ़ी स्त्रियाँ बच्चोंके मनोरंजनके लिये कहानियाँ सुनाती हैं।

कहानी, गल्प, लघु-कथा अथवा आख्यायिका एक ही वस्तु है और अुनका रूप भी एक ही है। पर आजकी कहानी जिस विकसित रूपमें प्राप्त है अुसकी व्याख्या करना अथवा अुसे परिभाषाके एक निश्चित आकारमें बांध देना कठिन है। कुछ आलोचकोंका तो यहाँ तक कहना है कि कहानीका कोआई विशेष आकार-प्रकार होता ही नहीं। ओच. जी. कहानीकी वेल्सका मत है कि 'कहानी वह चित्रण है जिसे साहस और कल्पनाके साथ एक घटेसे कममें पढ़ा जा सके।' दूसरे लोगोंका कहना है कि 'किसी वस्तु या व्यक्ति-विशेषके परिमार्जित एवं कलापूर्ण वर्णनका ही नाम कहानी है।' दार्शनिक आलोचकोंने तो यहाँ तक कहा है कि 'जो किसी सद्वस्तु, सत्तत्व, सत्सिद्धान्त या सद्व्यवहारका सच्चा प्रतिनिधित्व करती हो वही कहानी है।' जो भी हो, यह संपूर्ण विश्व-जीवन ही एक कहानी है। संभवतः असी कारण साहित्यकी कहानी भी रोचक लगती है।

कहानीका निश्चित आकार वाँधना अिसलिए भी तो कठिन है कि वह निरंतर विकासशील है और दूसरे अुसके मूलमें अनेक विभिन्न तत्व (Elements) काम कर रहे हैं जोकि परिभाषामें नहीं वाँध सकते। अिसी-लिए प्रत्येक आलोचक या लेखकने अपने-अपने दृष्टिकोणके अनुसार कहानीकी परिभाषा की है। गल्प-साहित्यको आधुनिकतम रूप प्रदान करनेवालोंमें से अमेरिकाके सुप्रसिद्ध<sup>१</sup> गल्पकारने कहानीकी परिभाषा अिस प्रकार की है—

‘छोटी कहानी अेक ऐसा आख्यान है जो अितना छोटा है कि अेक बैठकमें पढ़ा जा सके और जो पाठकपर अेक ही प्रभावको अुत्पन्न करनेके लिये लिखा गया हो। अुसमें ऐसी वातांको त्याग दिया जाता है जो अुसकी प्रभावोत्पादकतामें बाधक हों। वह स्वतः पूर्ण होती है।’

हिन्दीके सुप्रसिद्ध कथाकार मंशी प्रेमचंद कहानीकी रूप-रेखा अिस प्रकार निर्धारित करते हैं ‘गल्प ऐसी रचना है जिसमें जीवनके किसी अेक अंग या किसी अेक मनोभावको प्रदर्शित करना ही लेखकका अद्वेश्य रहता है। अुसके चरित्र अुसकी शौली, अुसका कथा-विन्यास सब अुसी अेकभावको पुष्ट करते हैं। अुपन्यासकी भाँति अुसमें मानव-जीवनका संपूर्ण बृहदरूप दिखानेका प्रयास नहीं किया जाता। न अुसमें अुपन्यासकी भाँति-भाँतिके फूल, बेल-बूटे सजे हुओ हैं, बल्कि अेक गमला है जिसमें अेक ही पौधेका माधुर्य अपने समुन्नतरूपमें दृष्टिगोचर होता है।’

वा. श्यामसुन्दरदासने कहानीमें नाटकीय तत्वोंको प्रमुखता प्रदान करते हुओ लिखा है कि ‘आख्यायिका अेक निश्चित लक्ष्य या प्रभावको लेकर नाटकीय आख्यान है।’

<sup>१</sup> अेडगर अेलिन पो

कहानी वस्तुतः जिन सभी परिभाषाओंमें निर्दिष्ट की जाती हुई भी अपनी विकास-शीलताके कारण स्वतंत्र है। ये सभी परिभाषाओं कहानीके आधिक कहानीके रूपको समझनेमें सहायक मात्र हो सकती है। कहानीका निर्माण कुछ विभिन्न तत्वोंके आधार-तत्व पर होता है। ये साधारणतः जिस प्रकार कहे जा सकते हैं— कथावस्तु, पात्र, चरित्र-चित्रण, कथोपकथन, देशकाल तथा बातावरण, शैली और अद्वेष्य। यहाँ हम अन्हीं आवश्यक तत्वोंपर विचार करेंगे।

कहानीमें वर्णित घटना तथा वस्तु या तत्वको कथा-वस्तु कहते हैं। 'कथा-वस्तु कहानीका प्राण है।' भाषा, भाव, चरित्र-चित्रण या शैली अित्यादि सब तत्व कहानीमें विद्यमान हों, पर कथा-वस्तु न हो तो कहानी प्राण-हीन ही कही जाएगी। कथा-वस्तुकी रचना अत्यन्त कथा-वस्तु वैज्ञानिक ढंगसे होनी चाहिये। अुसकी प्रत्येक घटना शृंखलावद्ध हो और अुसका विकास क्रमिक हो। प्रत्येक घटनाके आगमनसे पूर्व अुसके कारणोंका विवेचन किया जाना चाहिये। कथा-वस्तुमें परस्पर विरोधिनी घटनाओं न रहें। प्रत्येक घटनाका समान विस्तार हो। घटनाओंका क्रम स्वाभाविक होना चाहिये तथा कथा-वस्तुका परिणाम घटनाओं तथा परिस्थितियोंके अनुकूल होना चाहिये। कथा-वस्तुमें घटनाओंकी प्रमुखता होती है।

कथा-वस्तुमें व्यर्थकी बातोंके समावेशकी कतई गुंजाइश नहीं होती। अतः अुसमें अनावश्यक घटनाओं, असम्बन्धित तथ्यों और अस्वाभाविकताका समावेश नहीं होना चाहिये।

कहानीका प्लॉट ( कथा-वस्तु ) जीवनकी अत्यंत साधारणसे-साधारण घटनासे लिया जा सकता है। किन्तु आवश्यकता है लेखकमें सूक्ष्म पर्यावरण-शक्तिकी तथा सुंदर ढाँचा खड़ा करनेकी क्षमताकी। जीवनमें प्रतिदिन अनेक घटनाओं घटती रहती हैं; अनमेंसे कथा-वस्तुका

चुनाव किसी भी घटनासे किया जा सकता है। सूक्ष्म पर्यवेक्षण-शक्तिके आधारपर नगण्य वस्तु भी कथा-वस्तुका आधार बन सकती है। साधारण बातोंको भी लोकोत्तर बना देना कथा-वस्तुका धर्म है।

कथा-वस्तुको निर्दिष्ट स्थानतक ले जानेमें प्रयत्नशील रहनेवाले व्यक्ति, पात्र कहलाते हैं। कथा-वस्तुको कहानीका माधुर्य कहा जा सकता है। किन्तु अस्का रसास्वादन करानेवाले पात्र ही होते हैं। पात्रोंको कथा-वस्तुका संचालक कहा जा सकता है, अन्हींके सहरे कहानीकी कथा-वस्तु अग्रसर होती रहती है। चूँकि पात्र कथा-वस्तुके पात्र संचालक होते हैं अतः अन्हें कथा-वस्तुके अत्यंत समीप होना चाहिए। अन्हें कथानकमें लीन होना है किन्तु जिसका यह अर्थ नहीं कि पात्र अपना निजी व्यक्तित्व ही न रखें। पात्र दृश्य होते हुअे भी अदृश्य और प्रस्तुत होते हुअे भी अप्रस्तुत लगने चाहिए, तभी कहानीमें अेक रहस्य अत्पन्न होगा और यह पाठककी जिज्ञासाको जाग्रत रखेगा। पाठक यह जाननेको अत्सुक रहेगा कि आगे क्या हुआ? परिणामतः कहानीमें आनन्दकी सृष्टि होगी।

आजकी कहानियोंमें चरित्र-चित्रणको कथानकसे भी अधिक महत्व मिलता जा रहा है। कहानियोंमें पात्रके संपूर्ण चरित्रपर प्रकाश नहीं डाला जाता वरन् ऐसे ही अंशको अद्व्याप्ति अवं प्रकाशित किया जाता है, जिससे अस्का पूरा व्यक्तित्व चमक अठे। आजकल वही कथा सर्वश्रेष्ठ समझी जाती है, जिसमें लेखक पात्रोंका चरित्र-चित्रण करता हुआ चरित्र-चित्रण किसी मनोवैज्ञानिक सत्यकी व्याख्या करे। सफल चरित्र-चित्रणके लिये लेखकको मनोविज्ञानका विशेष ज्ञान होना चाहिए तभी वह पात्रोंकी आंतरिक वृत्तियोंमें प्रविष्ट होकर अस्के विशद अध्ययन द्वारा सूक्ष्म-चित्रण करनेमें समर्थ हो सकेगा। यद्यपि पात्र लेखककी कल्पनाकी अपेक्षा होते हैं फिर भी अनका अपना अेक स्वतंत्र व्यक्तित्व होता

है। वे लेखकके हाथकी कठपुतली-मात्र नहीं होते। यदि ऐसा ही हो तो वे व्यर्थ अेवं असचिकर होंगे। अिस संबंधमें ओक अंगरेजी 'अुपन्यासकार-का मत पठनीय है 'मेरे पात्र मेरे वशमें नहीं वरन् मेरी लेखनी अन पात्रोंके वशमें हो जाती है'। वस्तुतः पात्रोंके स्वाभाविक और सजीव-चित्रणके लिये लेखकको अपना व्यक्तित्व पात्रोंपर थोपना नहीं चाहिए।

चरित्र-चित्रण द्वारा प्रणालियों द्वारा किया जा सकता है— १. वर्णन-द्वारा २. संकेत द्वारा ३. वार्तालाप द्वारा ४. घटनाओं द्वारा।

१. वर्णन द्वारा किया गया चरित्र-चित्रण प्रत्यक्ष या विश्लेषणात्मक ( Direct or Analytic ) कहलाता है। विश्लेषणात्मक ढां द्वारा लेखक स्वयं पात्रोंके चरित्रपर प्रकाश डालता है—

'वह पचास वर्षसे बूपर था। तब भी युवकोंसे अधिक बलिष्ठ और दृढ़ था। चमड़ेपर कुरियाँ नहीं पड़ी थीं। वर्षकी झड़ीमें, पूसकी रातोंकी छायामें, कड़कती हुओ जेठकी धूपमें, नंगे शरीर धूमनेमें वह सुख मानता था। अुसकी चढ़ी मूँछें विच्छूके डंककी तरह, देखनेवालोंकी आँखोंमें चुभती थीं। अुसका साँविला रंग, साँपकी तरह चिकना और चमकीला था। अुसकी नागपुरी धोतीका लाल रेशमी किनारा दूरसे भी ध्यान आकर्षित करता था। कमरमें बनारसी सेलहेका फेटा, जिसमें सीपके मूठका बिछुआ खोंसा रहता था। अुसके धुंधराले बालोंपर सुनहरे पल्लेके साफेका छोर अुसकी चौड़ी पीठपर फैला रहता। औंचे कन्धेपर टिका हुआ चौड़ी धारका गेंडासा, यह थी अुसकी धज। पंजोंके बल जब वह चलता, अुसकी नसें चटचट बोलती थीं। वह गुंडा था।'

(प्रसाद)

२. चरित्र-चित्रणमें वर्णनात्मक प्रणालीकी अपेक्षा संकेतात्मक प्रणाली आजकल अधिक अपयुक्त और कालात्मक मानी जाती है। लेखक चरित्र-चित्रणके अिस प्रकारमें स्वयं कुछ न कहकर संपूर्ण परिणामसे अवगत

<sup>१</sup> विलियम शेकरे

होनेका अुत्तरदायित्व पाठकपर ही छोड़ देता है। वह तो केवल पात्रोंकी चारित्रिक वृत्तियोंका ही अल्लेख मात्र करता है—

‘वह अभी-अभी जागे थे और पै-दर-पै जँभाजियाँ लेते हुओ पूरी तरह सचेत होनेके लिअे समाचार-पत्र और प्यालीभर चायका अंतजार कर रहे थे। सूर्य किष्टिजकी ओटमें से अुभर आया था और असकी सुनहली रश्मियाँ भोर पंखकी तरह आकाशपर विखर रही थीं। पूर्वकी ओरकी तमाम लिडकियाँ सोनेकी तरह जगमगा रही थीं, परन्तु यह चमक केवल लिडकियोंके बाहर ही थी। कमरोंके भीतर पहुँचनेतक यह प्रकाशन भी ओश्वरदासके जीवनकी भाँति मैला और ज्योति-शून्य हो जाता था।’

३. वार्तालाप द्वारा चरित्र-चित्रणका ढंग परोक्ष या नाटकीय (Indirect or Dramatic) चरित्र-चित्रणके लिअे अधिक अपयुक्त है। अिसमें लेखकका पात्रोंसे कोअी सरोकार नहीं होता। पात्रोंकी आपसी वातचीतसे ही अेक दूसरेके चरित्रपर प्रकाश पड़ता चलता है। अेक पात्रका कथन दूसरे पात्रके चरित्रकी विशेषताओंका अुद्घाटन करता है। जहाँ पात्रोंके कथन अेक दूसरे-की चरित्रगत विशेषताओंका अुद्घाटन करते हैं वहाँ अनकी कथन-शैली, भाव-भंगी और भाषा अनकी अपनी विशेषताओंका भी दिखर्दान करा देती है। लेखक अिसमें अपने आप कुछ नहीं कहता।

व्यर्थके लंबे वार्तालाप निर्जीव, शुष्क और बोझिल हो जाते हैं। प्रेमचंदकी किन्हीं-किन्हीं कहानियोंमें वार्तालापका बहुत ही सुंदर ढंग अपनाया गया है।

४. वैसे तो कहानीमें कोअी घटना होती ही है, किन्तु साधारणतः छोटी-छोटी घटनाओं ही पात्रोंके चरित्र-चित्रणमें सहायक होती हैं। ये छोटी-छोटी घटनाओं मुख्य घटनाकी पूरकके रूपमें कार्य करती हैं। अतः अिन घटनाओंको न तो अप्रासंगिक ही होना चाहिये और न बहुत लंबी ही। कहनेका सारांश यह कि मुख्य घटनाके साथ अिनका पूर्ण सामन्जस्य हो।

चरित्र-चित्रणमें वार्तालाप और घटनाओंका यदि सम्मिश्रण ही तो अधिक सुंदरता आ जाती है। जिससे कथाका घटना-प्रवाह भी अवाध बना रहता है और पात्रोंके चरित्रका क्रमिक-विकास भी अत्यंत सुंदर ढंगसे होता चलता है।

गति, कथा-वस्तुका प्राण है और अुसकी प्राप्तिका साधन है—कथोपकथन। कथोपकथन पात्रोंके चरित्र-चित्रणमें तो सहायक होता ही है किन्तु कथानकका भी वह एक आवश्यक गुण है, क्योंकि कथाकी स्वाभाविकताके लिये कथोपकथनका समावेश आवश्यक है। कथोपकथन ही एक ऐसा कथोपकथन साधन है जिसके जरिये हम पात्रोंके दृष्टिकोण, आदर्श तथा अद्वेशसे परिचित हो सकते हैं। अतअदेव कथोपकथन स्वाभाविक ऐवं अपयुक्त होना चाहिये। कथोपकथनमें रोचकता लानेके लिये अुसमें अभिनयात्मकता भी हो। कथोपकथन पात्रोंके व्यक्तित्वके योग्य ऐवं अनुकूल होना चाहिये।

कहानीमें कथोपकथन चरित्र-चित्रण करनेमें, घटनाओंको गतिशील बनानेमें तथा भाषा-सौलीका निर्माण करनेमें सहायक होता है। कथोपकथनसे कहानीमें प्रवाह, सजीवता और अत्सुकताका निर्माण होता है अतः अुसमें फालतू अंश नहीं होने चाहिये। पात्रोंके मुखसे लंबे-लंबे अभिभाषण करानेसे कथाका प्रभाव भंग होनेका डर रहता है तथा कथानकमें शिथिलता आजानेकी संभावना रहती है। अुपन्यासके कथोपकथनकी अपेक्षा कहानीके कथोपकथनमें अधिक संयम और नियंत्रणकी आवश्यकता होती है। संक्षिप्त ऐवं गठा हुआ कथोपकथन कहानीको गतिशील बनानेमें अधिक सफल सिद्ध होता है।

घटनाओंके घटित होनेके स्थान और समयको 'वेश-काल' कहते हैं। अुपन्यासमें तो जिसका चित्रण होता ही है, कहानीमें भी अुसकी आवश्य-

कता रहती है; यद्यपि अुससे कम। कहानीकारको अपनी कहानीमें स्वाभा-  
विकता लानेके लिये देश-कालका पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। अितिहास  
या प्रकृति-विरोधी वातावरण बनाकर लेखक अुपहासका  
देश-काल तथा पात्र बनता है। अिसलिये देश-काल तथा वातावरणके  
**वातावरण** चित्रण बहुत स्वाभाविक, आकर्षक और यथासंभव पात्रोंकी  
मानसिक परिस्थितिके अनुकूल होने चाहिये। विशेषतः  
अैतिहासिक कहानियोंमें तो देश-कालका ज्ञान और भी आवश्यक है, अन्यथा  
कहानीमें स्वाभाविकताका अभाव हो जाओगा। अुसके पात्रोंका वर्णन यदि  
देश-कालके अनुरूप न होगा तो निश्चय ही अुसका वर्णन मजाकका विषय  
बन जाओगा। रामायण-कालीन पात्रोंको यदि कोट, पेट, हैटकी वेशभूषामें  
खड़ा कर दिया जाए तो कितना अस्वाभाविक और देशकाल वातावरणके  
कितना विषद्ध होगा !

कहानीके सभी तत्वोंसे वर्णन-शैलीका संबंध होता है। वर्णन-शैली  
ही में लेखक अपनेको सबसे अधिक प्रतिबिम्बित करता है। अिसके द्वारा  
लेखक पाठकके हृदयपर अपनी अभिट छाप डालता है। कहानीकी वर्णन-  
शैली अत्यन्त आकर्षक, प्रवाहमयी और धारावाहिक होनी  
**वर्णन-शैली** चाहिये। अपनी वर्णन-शैलीके जरिये ही लेखक गूढ़से  
गूढ़ भावनाओं और सूक्ष्मसे सूक्ष्म अनभूतियोंकी सफल  
अभिव्यक्ति कर सकता है। वर्णन शैलीकी अुत्कृष्टताके लिये भाषा सजीव और  
मुहावरेवाइ हो। भाषाकी सजीवता और शक्तिमत्ता तथा कथामें गतिशीलता  
अुत्पन्न करती है। सजीव वर्णन-शैलीके लिये लेखकमें वर्णन करनेकी शक्ति  
(Power of Description) तथा विवरण-शक्ति (Power of Narration)  
दोनोंकी समान रूपसे आवश्यकता है।

कहानीमें वर्णन-विषयोंके अनुसार लेखन-शैलीमें परिवर्तन होता जाता  
है। व्यंग्य-प्रधान कहानियोंमें व्यंग्यपूर्ण शैली ही अपनाई जाओगी। भावा-  
त्मक तथा वर्णनात्मक कथाओंमें भावुकता तथा वर्णनकी प्रधानता होगी।

किन्तु यिसका यह अर्थ नहीं कि जिन नियमोंके बंधनमें लेखककी अपनी स्वतंत्र सत्ताका बिलकुल ही लोप हो जाता हो । लेखक अपनी वैयक्तिक रुचि औं आदशोंकि अनुरूप ही भाषा तथा वर्णन-शैलीका निर्माण करता है । सर्वश्री स्व.प्रसादजी ओं प्रेमचंदकी शैली व्यक्तिगत शैलियोंके सुंदर नमूने हैं ।

कहानी लिखनेकी कुछ प्रमुख शैलियाँ हैं—अंतिहासिक, चरित्र-प्रधान, तथा पत्र-शैली । अंतिहासिक-शैलीमें लेखक वास्तविक घटनाओंसे परे बैठकर अन सवकां ओं तटस्थ दर्शककी भाँति वर्णन करता जाता है । यिसमें नाटकीय ढंग भी अपनाया जा सकता है । यह ढंग ओं विशेष रोचकता पैदा कर देता है ।

कुछ कहानियाँ चरित्र-प्रधान शैलीको अपनाकर लिखी जाती हैं । यिस शैलीके अंतर्गत लिखी जानेवाली कहानियोंमें पात्र स्वयं अपनी कथा अपने मुखसे कहते हैं । यिस शैलीमें पात्रोंके विस्तार तथा विकासको कम स्थान है ।

कुछ कहानियाँ पत्रात्मक ढंगपर भी लिखी जाती हैं, किन्तु ऐसी कहानियोंका अभी अधिक प्रचार नहीं हो सका है । यिसमें कहानीकी गतिको कायम रखनेके लिये लेखकको विशेष प्रयत्न करनेकी आवश्यकता होती है ।

डायरियोंकी शैलीमें भी कुछ कहानियाँ लिखी गयी हैं यद्यपि वे अभी बहुत ही कम हैं ।

### अन्य विशेष बातें

कहानीका शीर्षक कहानीपर ओं अच्छा प्रभाव डालता है । अतः कहानीका शीर्षक छोटा, विषयका द्वीतक, विषयसे सीधा संबंधित, रोचक

तथा प्रभावशाली होना चाहिये । शीर्षकका चुनाव

१. शीर्षक कहानी लेखककी दुष्टिमत्ताका द्वीतक है । अधिकांशतः

लंबे शीर्षक पसंद नहीं किये जाते । 'दुखवा मैं कासे कहूँ मोरी सजनी' जैसे लंबे शीर्षक अुचित नहीं जाँचते ।

कहानीका प्रारंभिक भाग अैसा लिखा जाना चाहिए कि अुसे पढ़ते ही पाठक मुख्य हो जाए। प्रारंभिक भागमें भी अुसका पहला वाक्य अत्यंत मासिक होना चाहिए, किसी लेखकने ठीक ही कहा है—

“कहानीका प्रारंभिक वाक्य-समूह पाठकोंके लिये प्रथकार-

२. प्रारंभ व  
प्रस्तावना का परिचय-पत्र है।” कहानीका यह प्रारंभिक अंश कहानीसे पूर्ण सामन्जस्य रखता हो। अैसा न हो कि वह कहानीके अन्य अंशसे अेकदम अलग ही नजर आए। अुसका अन्य अंशके साथ पूरा तारतम्य होना आवश्यक है। कहानीके अिस प्रारंभिक अंशमें कहानीका अद्वैत सन्धिहित होना चाहिए। प्रारंभिक अंशको सफल बनानेके लिये प्रायः वातालिप, संकेत अथवा विवरणात्मक-शैलीका आश्रय लिया जाता है।

कहानीके प्रारंभिक भागमें जिसे प्रस्तावना कहा जा सकता है, घटनाओंका अत्थान प्रारंभ होता है, जो मुख्यांशमें विकासको प्राप्त होकर चरम-स्मीमापर पहुँचता है। अिस विकासमें लेखकको यह ध्यान रखना

चाहिए कि वह पात्रोंकी स्थिति और चरित्रोंके अनुकूल हो।

३. मुख्यांश संघर्षका अप्राकृतिक अद्वैत पाठकमें कहानी और अुसके वाता-वरणके प्रति विश्वास नहीं रहने देता। कहानीके अिस अंशमें कौतूहलकी जो सृष्टि होती है वह अितनी स्पष्ट न हो कि पाठक पहलेसे ही समझ जाए कि आगे चलकर घटनाका स्वरूप क्या होगा? कौतूहलका फल स्पष्ट न रहनेसे कहानीकी अत्युक्ता बनी रहती है, अुसकी रक्षा करना कहानी लेखकका कर्तव्य है। कहानीके विकासका सुंदर अदाहरण हमें श्री चतुरसेन ‘शास्त्रीकी’ दुखवा में कासे कहूँ मोरी ‘सजनी’ शीर्षक कहानीमें देखनेको मिलता है।

कलाभिमेक्स (Climax) में घटनाओं पाठकके औत्सुक्यको अच्छतम सीमा पर पहुँचा देती है। जिस परिस्थिति, घटना और संघर्षका प्रारंभ प्रस्तावनासे होकर मुख्यांशमें वृद्धिको प्राप्त करता है, वह कलाभिमेक्समें आकर चरम-सीमाको

प्राप्त कर लेता है। जिस स्थिति पर पहुँचकर पाठकके

#### ४. कलाभिमेक्स

कुतूहलका चमत्कारिक ढंगसे अंत प्रारंभ होता है। कुछ

लोग चरम-सीमापर ही कहानीका अंत कर देते हैं। वैसे देखा जाए तो कहानियोंमें समाप्तिपर बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए। यदि प्रारंभमें कथानक बहुत अच्छी तरहसे बढ़ाया जाए और अंतमें अुसे यों ही छोड़ दिया जाए तो कथानकके प्रारंभिक भागका सारा सौंदर्य नष्ट हो जायेगा। अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि जिस सावधानीके साथ कहानीका प्रारंभ किया जाता है वही सावधानी अुसकी समाप्तिमें भी हो। जिस कहानीमें अंत होनेसे पहले ही पाठकको अुसके परिणामका ज्ञान हो जाए अुसमें कलाका अभाव माना जाता है। और विसीलिये जनतामें ऐसी कहानियोंका आदर होता है जिनका परिणाम या अंत आकस्मिकसा हो। पर वह आकस्मिकता अस्वाभाविक न हो। प्रेमचंदजीकी कभी कहानियोंमें हमें मनोहर अंत देखनेको मिलते हैं।

### कहानी और अुपन्यास

कहानी और अुपन्यासके मूलतत्वोंका मिलान करनेपर हमें यह पता लगेगा कि दोनोंमें समान तत्व कार्य कर रहे हैं फिर भी दोनोंके मूलमें अथवा अुद्देश्यमें भेद भी है। यह भेद कहानी और अुपन्यासको एक दूसरेसे अलग रखे हुए है।

कहानी और अुपन्यासमें सबसे बड़ा अन्तर तो आकारका है। आकारके अंतरके विषयमें कहा गया है कि कहानी जीवनके केवल एक भागकी ज्ञानीकी मात्र है और अुपन्यास जीवनकी विविधताओंका विस्तृत प्रदर्शन। किन्तु कहानीकी यह ज्ञानीकी अपने-आपमें सर्वथा पूर्ण होती है।

कहानी और अुपन्यासमें केवल आकारका ही नहीं, प्रकारका भी अंतर है। कहानीमें अुपन्यासकी-सी अेकल्पता नहीं होती, क्योंकि कहानीका कलेवर बहुत छोटा होता है। अिसके फलस्वरूप कहानीमें न तो प्रासांगिक-कथाओं होती हैं और न वातावरण व देश, कालकी परिस्थितियोंका विस्तार ही। कहानीमें अुपन्यासकी-सी जटिलता नहीं होती। वह अुपन्यासकी अपेक्षा सरल होती है।

कहानीमें कथानक, चरित्र-चित्रण, शैली आदि विभिन्न तत्वोंमेंसे किसी अेकको ही प्रधानता दी जा सकती है, अिन सभीको अेक साथ नहीं। किन्तु अुपन्यासमें कथा-वस्तुके अंतर्गत अिन सभीका समावेश किया जा सकता है।

कहानीमें चूँकि कथन-शैलीका बहुत अधिक महत्व होता है अतः अुसमें अुपन्यासकी अपेक्षा काव्यत्वकी मात्रा अधिक रहती है।

संघेपमें कहनेका तात्पर्य यह है कि कहानी अपनी प्रभावोत्पादकता, संविष्पत्ता, अेकध्येयता तथा अनुभवकी तीव्रताके कारण अुपन्याससे सर्वथा स्वतन्त्र सत्ता रखती है।

## नाटक

हम यह देख चुके हैं कि काव्य मीटे रूपसे दो भागोंमें बांटा गया है। ओक दृश्य और दूसरा श्रव्य। दृश्य काव्य वह है जो देखा जा सके अर्थात् जिसका अभिनय किया जा सके। यद्यपि दृश्य-काव्यको नाटक कहा जाता है, तथापि वस्तुतः यह रूपकके अनेक भेदोंमें से ओक है। रूपकके लिये रुढ़ हो जानेके कारण अिसका यह नाम भी प्रचलित हो गया।

परिभाषा १<sup>१</sup> 'ओक व्यक्तिका दूसरे व्यक्तिपर आरोप करनेको' रूपक कहते हैं। नटपर जब अन्य पात्रोंके रूपका आरोप किया जाता है तो रूपक बनता है। अिससे यह मालूम होता है कि काव्यके अिस अंगमें दूसरेकी नकल करनेकी प्रवृत्ति छिपी हुआ है। और अिसीलिए प्रत्येक नाटकके खेलनेमें किसी न किसीके कार्योंकी नकल करनी पड़ती है। नाटक शब्दकी व्युत्पत्ति संस्कृतकी 'नट' धातुसे हुआ है, जिसका अर्थ है सात्विक भावोंका प्रदर्शन। चूंकि नाटकका संबंध नटसे (अभिनेतासे) आता है। अतः भरतमुनिके सिद्धांतके अनुसार <sup>२</sup>'अुसकी भिन्न-भिन्न अवस्थाओंके अनुकरण' का नाम नाटक है। कुछ लोगोंने नाटककी व्याख्या करते हुए लिखा है कि <sup>३</sup>'सात्विक भावोंके प्रदर्शनको नाटक कहते हैं।'

<sup>१</sup> रूपारोपात्मरूपकम् २ अवस्थानुकृतिर्नार्थियम्

<sup>३</sup> नाट्यमिति च 'नट अवस्थाने अिति नटः किञ्चित् चलनार्थत्वात् सात्विक बाहुल्यम्। अतभेव तत्कारिषु नट व्यपदेशः।'

अुपन्यास और कहानीकी ही भाँति नाटकका भी संबंध कथात्मक साहित्यसे ही है। अतः कहानी, अुपन्यास और प्रबंध-काव्य अुसके सजातीय ही हैं। चूंकि नाटकमें गद्य और पद्य दोनोंका मिश्रण होता है। अतः काव्य-शास्त्रकारोंने नाटकको चंपू कहा है। आजकल कभी ऐसे नाटक भी लिखे गये हैं, जिनमें कविताकी ओक भी पंचित नहीं होती।

नाटक वास्तवमें कोओ एक स्वतंत्र कला नहीं है। वह तो कलाओंका ओक समूह है जिसके अन्तर्गत अभिनय, चित्रकला, वास्तुकला आदि कलाओंका समावेश होता है। नाटक बहुत अच्छा लिखा जानेपर भी यदि अुसमें काम करनेवाले पात्र अच्छे न हों तो नाटक कदापि सफल नहीं हो सकता। नाटक अच्छा लिखा हो और पात्र भी अस्त्वष्ट हों परं रंगमंच सुन्दर बना हुआ न हो अथवा अुपयोगमें आनेवाले परदे सुन्दर न हों तो भी नाटक सफल न होगा। अतः यह कहा जा सकता है कि नाटक कलाओंका ओक समूह है। अपर्युक्त कलाओंके अतिरिक्त इसमें संगीत, मूर्ति और काव्यकलाका भी समावेश होता है। विसीको ध्यानमें रखकर भरतमुनिने ठीक ही कहा है—  
 \* 'न असा योग है न कर्म, न शास्त्र न शिष्य, अथवा अन्य कोओ असा कार्य जिसका नाटकमें अुपयोग न हो।' सभी कलाओंसे युक्त होनेपर तथा सभी वर्गोंके लिये समान रूपसे अुपयोगी होनेकी श्रेष्ठताके कारण ही तो 'काव्यमें नाटकको रमणीय' कहा गया है।

\* न स योगो न तत्कर्म, नाट्येऽस्मिन् यन्त दृश्यते।

सर्वशास्त्राणि, शिल्पाणि, कर्माणि, विविधानि च ॥

'काव्येषु नाटकं रम्यं'

जहाँ अुपन्यास, कहानी, कविता आदिमें पाठकोंको बहुत-सी बातें कल्पनाके आधारपर जाननी होती हैं वहाँ नाटकमें शब्द, पात्रोंकी वेशभूषा, अनुकी भावभंगी तथा अनुकी क्रियाओं अथवा कार्योंद्वारा बहुत-सी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। अिसी नाते नाटकोंको जीवनके अधिक निकट नाटकके तत्व समझा जाता है। नाटकोंके भारतीय प्राचीन आचार्य भरत-मुनि द्वारा नाटकके तीन प्रमुख तत्व माने गये हैं— १. वस्तु २. नायक और ३. रस। परन्तु पाश्चात्य सभीक्षकोंने विनकी संख्या बढ़ा-कर छह तक पहुँचा दी है। आज नाटकके प्रमुख तत्व ये माने जाते हैं— १. कथा-वस्तु २. पात्र ३. कथोपकथन ४. देश-काल ५. अद्वैत ६. शैली।

**कथा-वस्तु** — आदर्शोंकी भिन्नता होते हुअे भी अुपन्यास और नाटकोंके अवयव बहुत कुछ मिलते-जुलते होनेके कारण अुपन्यासकी ही तरह नाटकमें भी कथा-वस्तु एक महत्वपूर्ण अंग है। अिसमें व्यर्थकी बातोंके लिअे गुजाबिश नहीं है। नाटककार हर बातमें बहुतसे वंधनोंसे बँधा रहता है अिसलिअे वह कथा-वस्तुमें अन्हीं बातोंका समावेश करता है कि जिनके बिना घटनाक्रममें शिथिलता आ जानेकी संभावना होती है। नाटक केवल पढ़ लेनेकी वस्तु तो है नहीं; रंगमंचपर खेला जा सकना भी अुसका एक आवश्यक गुण है। अतः नाटककारको यह देखना चाहिअे कि जो दृश्य रंगमंचपर अभिनीत होनेवाले हैं वे वास्तवमें मार्मिक हैं या नहीं।

नित्य नभी बढ़ती हुअी सामाजिक समस्याओंके कारण आज कथा-वस्तुका व्येत्र भी काफी व्यापक हो गया है। यही कारण है कि जहाँ प्राचीन-कालमें लोग करुण नाटकोंको देखना पसंद नहीं करते थे वहाँ यथार्थवादके आधारपर अब करुण नाटकों ( ट्रैजडी ) की भी सृष्टि जोरोंपर है।

जैसा कि अूपर कहा गया है कथा-वस्तुका व्येत्र भी काफी व्यापक हो गया है। अतः नाटकोंमें भी अुपन्यास ही की तरह अेकसे अधिक कथा-वस्तुओं रह सकती हैं, जिसमें अेक प्रधान और अुसीको परिपूष्ट अेवं विकसित करने-

वाली अन्य गौण । विन्हींको प्राचीन आचार्योंने कमशः आधिकारिक और प्रासंगिक कथा-वस्तु कहा है । प्रासंगिक कथावस्तुओं दो तरहकी होती हैं— पहली पताका स्थान और दूसरी प्रकरी । जब प्रासंगिक कथा आधिकारिक कथाके साथ अंततक संवंधित रहती है तो पताका स्थान कहाती है । और प्रासंगिक कथा थोड़ी दूरतक आधिकारिक कथावस्तुके साथ चलकर जब बीच ही में समाप्त हो जाए तो प्रकरी कहलाती है । कथावस्तुके दो भेद और होते हैं जिन्हें वृद्धि और सूच्य कहते हैं । वृद्ध्यके अंतर्गत घटनाओंका अभिनय रंगमच्चपर दिखाया जाता है और जहाँ घटनाओंके तारतम्यको कायम रखनेके लिये कुछ महत्वपूर्ण घटनाओंकी सूचना मात्र दी जाती है अन्हें सूच्य कहते हैं ।

कथावस्तुको अग्रसर करनेमें विभिन्न अवस्थाओं सहायक होती हैं । ये अवस्थाओं अंतर्गत हैं— १. प्रारंभ २. विकास ३. चरम-सीमा ४. अनुतार ५. अंत या समाप्ति ।

१. प्रारंभ में कुछ संघर्षमयी घटनाका प्रारंभ होता है । यह संघर्ष भिन्न-भिन्न प्रकारोंसे अनुपन्न होता है तथा अपस्थित किया जाता है । कभी-कभी विभिन्न आदर्शों, अुहेश्यों और दलोंको लेकर यह अपस्थित किया जाता है तो कभी-कभी सिद्धांतोंकी विभिन्नताको लेकर सामान्यतः अंतर्गत होता है । अंतिम अंतर्गत विरोधी भावनाओं और आदर्शोंके प्रतीकका काम करते हैं ।

२. कथा-वस्तुकी दूसरी अवस्था विकास है । अंतर्गत परिस्थितियोंके परिणामस्वरूप पारस्परिक मनमुटाव अथवा भेदको और भी अधिक बढ़ानेमें सहायक होनेवाली घटनाओंके घटित होनेमें वृद्धि होती है । अंतर्गत के फलस्वरूप आपसी संघर्ष और अधिक बढ़ जाता है ।

३. चरम-सीमा वह स्थिति है जहाँ पहुँचकर यह संघर्ष अपनी पराकाण्ठाको पहुँच जाता है। यहाँ पहुँचकर जिस बातका भी थोड़ा-योड़ा आभास होने लगता है कि विजय अमुक दलकी होगी।

४. बुतार में विजयी पक्षकी विजय निश्चित हो जाती है। और

५. अंत या समाप्तिमें सारा संघर्ष समाप्त हो जाता है।

अपर्युक्त अन्धीं अवस्थाओंको प्राचीन भारतीय आचार्योंने क्रमशः  
 १. प्रारंभ २. प्रथत्न ३. प्राप्त्याशा ४. नियताप्ति तथा ५. फलागम कहा है।  
 प्रारंभमें कथानकका प्रारंभ होता है। प्रथत्नमें फल-प्राप्तिकी अच्छाको पूतिके लिये प्रथत्न किये जाते हैं। प्राप्त्याशामें जिस बातकी आशा होने लगती है कि अभीष्ट फलकी प्राप्ति हो जाएगी। नियताप्तिमें जिस आशाका निश्चित रूप वैध जाता है और फलागममें फलकी प्राप्ति हो जाती है।

यद्यपि प्राचीन नाटकोंमें कथानिकमें संघर्षमय बातावरणकी कमी नहीं थी तब भी असे प्राधान्य नहीं दिया गया था। किन्तु आजके नाटकोंमें यदि संघर्षमय बातावरणकी कमी हो तो असमें नाटकीयताका अभाव माना जाता है। संघर्षके अभावमें नाटकके पात्र जीवनरहित कठपुतलोंसे लगने लगते हैं। असका परिणाम यह होता है कि कथा-वस्तु शुष्क अवधि नीरस हो जाती है।

कथानकको मुख्य फल-प्राप्तिकी ओर ले जानेवाले चमत्कारपूर्ण अंशको अर्थ-प्रकृति कहते हैं। अर्थ-प्रकृतियाँ पाँच हैं १. बीज २. विन्दु ३. पताका ४. प्रकरी और ५. कार्य। जिससे पहले हम पाँच अवस्थाओंकी भी चर्चा कर आओ हैं। अवस्थाओं और अर्थ-प्रकृतियोंमें मेल करानेका कार्य सन्धियों द्वारा होता है और ये भी पाँच हैं, जिन्हें मुख-संधि, प्रतिमुख-संधि, गर्भ-संधि, अवमर्श-या विमर्श-संधि तथा निर्वहण या अपसंहार-संधि के नामसे पुकारा जाता है।

आजके नाटकोंमें कथा-वस्तुसे संबंधित जिन प्राचीन नियमोंका पालन नहीं हो रहा है। अनुमें हमें सर्वशा नवीनता मिलती है। आजके नाटकोंमें प्रधान-कथाके साथ-साथ प्रासंगिक-कथाओं रखना आवश्यक नहीं समझा जाता। प्राचीन कालमें नाटक प्रायः पाँच अंकके होते थे पर धीरे-धीरे वे तीन अंकोंके होने लगे। तीन अंकवाले जिन नाटकोंमें कथा-वस्तुकी विभिन्न अवस्थाओंका तो निवाह हो सकता है पर सारी संघियों और अर्थ-प्रकृतियोंका समावेश होना कठिन है।

यह तो हम देख ही चुके हैं कि कथा-वस्तुके बृह्य और सूच्य ये भेद होते हैं। सूच्य कथावस्तु के अंतर्गत असकी सूचना देनेके जो साधन हैं अन्हें अर्थोपब्देपक कहा जाता है। ये पाँच प्रकारके होते हैं—१. विष्कंभक २. चूलिका ३. अंकास्थ ४. अंकावतार ५. प्रवेशक।

विष्कंभक में पहले ही अथवा वादमें घटित होनेवाली घटनाकी सूचना-मात्र दी जाती है। जिसमें केवल दो अप्रधान पात्रोंकी वातचीत चलती ही रहती है। यह या तो नाटकके आरंभमें अथवा दो अंकोंके बीचमें हो सकता है।

जहाँ कथाभागकी सूचना पद्देके पीछेसे दी जाती है असे चूलिका कहते हैं। अंकास्थमें आगे आनेवाले अंककी कथाका सार बाहर जानेवाले पात्रों द्वारा देविया जाता है। जब पात्रोंके बदले चिना ही अंककी कथाको अन्य अंकोंमें आगे बढ़ाया जाता है तब अंकावतार होता है और प्रवेशकमें आगे आनेवाली घटनाओंकी पूर्व-सूचना दी जाती है। जिस दृष्टिसे विष्कंभक और प्रवेशकमें यह अंतर है कि विष्कंभक नाटकके प्रारंभमें आता है और प्रवेशक दो अंकोंके बीचमें ही। प्रवेशकके पात्र निमनस्तरके होते और प्राकृत बोलते हैं।

आधारको लेकर कथा-वस्तुके और तीन भेद किये गये हैं—१. प्रस्थात २. अत्पाद्य और ३. मिथ। प्रस्थात कथा-वस्तु वह है जो ऐतिहासिकपौराणिक

तथा परंपरागत जन-श्रुतिके आधारपर आधारित हो। भुत्पाद्य कल्पनाके आधारपर आधारित होती है और निष्ठ में अतिहास तथा कल्पना दोनोंका सम्मिश्रण होता है।

आजके नाटकोंकी कथा-वस्तुका आधार पूरी तौरपर जिस शास्त्रीय विदेच्छनके अनुसार नहीं होता। आजके नाटकोंकी कथा-वस्तु विविध प्रकारकी होती है— सामाजिक, राजनीतिक, पौराणिक, अंतिहसिक और समस्यामूलक। कहनेका तात्पर्य यह कि कथा-वस्तुमें प्रतिपादित समस्याओंके आधारपर भी असुका वर्गीकरण किया जाता है।

जैसा कि कहा जा चुका है कि कथा-वस्तुमें नाटककारको अनावश्यक और कम महत्वपूर्ण घटनाओंका समावेश नहीं करना। चाहिए वरन् माधुर्य तथा रसपूर्ण अदात्त आवश्यक अंवं महत्वपूर्ण और प्रभाव अत्पन्न करनेवाली घटनाओंका ही समावेश करना अचित है।

संकृतके सभी और हिन्दीके भी प्रायः अनेक प्राचीन नाटकोंमें पहले सूत्रधारका प्रवेश होता था। संभवतः यह शब्द कठपुतलियोंके नाचसे लिया

गया है, जिसमें सूत्रधारका काम धारोंसे कठपुतलियोंको सूत्रधार और नचाना होता था। सूत्रधार मानों रंगशालाका स्वामी और स्थापक

व्यवस्था करनेवाला होता था। यह रंगशालामें आता, सबसे पहले प्रार्थनाके गीत गाता और तब किसी न किसी रूपमें दर्शकोंको नाटकका नाम बताता और विषय आदिका परिचय कराता था। प्राचीनकालमें यह परिचय बहुत बड़ा होता था। पर धीरे-धीरे नाट्य-कलाकी अनुनतिके साथ ही साथ सूत्रधारका यह परिचय कम होता गया और अब तो यह सर्वथा समाप्त ही हो गया है।

पाठोंके सहारे ही नाटककी कथा-वस्तु आगेको बढ़ती है। कथा-वस्तुकी आदिसि अंततक निवाहनेके लिये जेक प्रथान पात्र (नायक) होता

है तथा कभी गौण पात्र होते हैं, जो प्रधान पात्रके सहायक-स्वरूप होते हैं । नायककी प्रिया अथवा पत्नी नायिका कहलाती है । प्राचीन आचार्योंने नायकके लिये आवश्यक गुणोंकी ओक तालिका दी है किन्तु आज जहाँ मनो-

वैज्ञानिक नाटकोंकी सृष्टि जोरोंपर है और कथानक भी

पात्र            जीवनकी साधारण घटनाओंसे लिये जाते हैं, वहाँ इस तरहके वंधनोंकी आवश्यकता नहीं समझी जाती । प्रधान पात्रके गुणोंको और अधिक चमकानेके लिये ऐसे पात्रोंकी भी अवतारणा की जाती है, जिनकी अवतारणा करनेपर यह प्रधान पात्र अधिक अुठाव-दोर लगे । रावणकी दुष्टापूर्ण अवतारणा यदि न की जाती तो संभवतः रामचन्द्रजीकी अनिष्ट-संहारिणी ओवं मर्यादा स्थापित करनेवाली शक्तिके रूपका जितना सुन्दर ओवं सहानुभूतिपूर्ण अुत्पादन न हो सकता ।

प्राचीन आचार्योंद्वारा गिनाए गये नायकके गुणोंकी आजके युगमें अधिक आवश्यकता नहीं मानी जाती । आजके नाटकोंका नायक तो जुआरी और चरावी भी होता है । नायिकाके लिये भी यह आवश्यक नहीं माना जाता कि वह नायक की पत्नी अथवा प्रिया ही हो । स्त्री पात्रोंमें जो प्रमुख हो और कथा-वस्तुमें प्रमुख भाग ले, वही नायिका समझी जाती है ।

प्रतिनायक, विद्वषक, विट और चेट भी नाटकके मुख्य पात्र होते हैं । नायकका जो प्रमुख विरोधी हो वह प्रतिनायक कहलाता है । विद्वषक हँसानेवाला पात्र होता है । नायकसे असकी अत्यधिक घनिष्ठता होनेके कारण वह अससे भी परिहास कर सकता है, करता है । यह असका सलाहकार भी होता है । संस्कृत नाटकोंमें प्रायः पेटू-ब्राह्मण ही यह कार्य करते थे । आज-कल इसकी पृथक् सत्ता नहीं रही । नायकके अनुचरको चेट कहते हैं । और विट बाद्य-गायनमें निपुण नायकका अंतरंग सेवक होता है ।

यद्यपि अुपन्यासकी तरह नाटकोंमें चरिण-चित्रणके लिये व्यापक क्षेत्र नहीं होता तथापि अिसका यह अर्थ नहीं कि नाटकोंमें चरित्र-चित्रण कम महत्वकी वस्तु है। वास्तवमें अुत्कृष्ट चरित्र-चित्रण ही नाटककारकी रचनाको गैरवशाली बनाता है। अति सीमित क्षेत्र होनेके कारण नाटक-चरित्र-चित्रण कारको अिसमें सफल होनेके लिये बड़ी ही सतर्कतासे काम लेना होता है। अपने पात्रोंके क्रिया-कलाओं और बातचीतको अिस ढंगसे रखना होता है कि दर्शक पात्र संबंधी सारी जानकारी प्राप्त कर ले। अिन्हींके द्वारा नाटककारके विचारोंकी भी जानकारी मिलती है। कहनेका तात्पर्य यह कि सफल चरित्र-चित्रणके साथ ही साथ नाटककारका अपना व्यक्तित्व भी अिन्हीं पात्रोंमें निहित होता है। नाटककी सफलता पात्रोंके चरित्र-चित्रणपर ही आधारित होती है। नाटकमें तीन प्रकारसे चरित्र-चित्रण किया जाता है— १. कथोपकथन द्वारा २. स्वगतकथन द्वारा तथा ३. पात्रोंके कार्यकलाप द्वारा।

१. कथोपकथन पात्रोंके बातचीतके ढंगसे अनुके चरित्रका अनुमान सहज ही में लगाया जा सकता है। वे जब अेक दूसरेके विषयमें बातचीत करते हैं तब अनुकी अिस बातचीतसे अनुकी चारित्रिक विशेषताओंका अपने-आप अुद्घाटन हो जाता है।

२. स्वगतकथन में जेकांतमें जब मनुष्य अपने आप सोचता है और अपने मनके विचारोंको अभिव्यक्त करता है तो स्वाभाविक ही अुसका चरित्र भी प्रकाशित होता है और मनके भीतरी संघर्षका चित्रण भी हो जाता है। जैसा करते समय पात्र मन ही मनमें कुछ कहता जाता है। यह कथन श्रोताओंको तो सुनाया जाता है परं पास ही में खड़े हुए पात्रोंसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे जिसे न सुनें। यह बड़ा अस्वाभाविक-सा लगता है। अतः स्वगतकथनकी परंपरा भी अब धीरे-धीरे समाप्त होती जा रही है।

३. कार्यकलाप पात्रोंकी चारित्रिक विशेषताओंके अुद्घाटनका एक प्रमुख साधन है क्योंकि मनुष्यके कार्यों द्वारा ही अुसकी अुच्चता नीचताका अनुभव किया जा सकता है।

यह वताया जा चुका है कि नाटकमें पात्रोंके क्रिया-कलाप और वात-चीतका ओक विशेष स्थान है। यह वातचीत ही नाटकका कथोपकथन है।

भारतीय नाट्य-साहित्यका विकास भी वेद तथा अुप-कथोपकथन निषदादिमें प्राप्त कथोपकथनसे ही भाना गया है। कथोपकथन

अथवा वातचीत द्वारा हमें पात्रोंके मनमें बुठनेवाले भावों और अनुके क्रिया-कलापोंके पीछे रहनेवाले विचार समझमें आते हैं। नाटक-कारके पास यही ओक साधन है जिससे पात्रोंके द्वारा वह अपने मनकी वातको व्यक्त करता है।

आचार्योंने कथोपकथनके तीन भेद किए हैं— १. नियत शाव्य २. सर्व शाव्य और ३. अशाव्य। रंग-मंचपर सब पात्रोंके सामने वात नहीं की जाती बल्कि कुछ निश्चित पात्रोंसे ही वातचीत की जाती है अुसे नियत-शाव्य कहते हैं। सर्व-शाव्य को प्रकट या प्रकाश भी कहते हैं। यह सभीके सुनने-लायक होता है। अशाव्यको ही अत्मगत या स्वगत कहते हैं। यह किसी अन्यके सुननेके लिये नहीं होता। जैसा कि अूपर कहा जा चुका है, स्वगत-कथन कुछ अस्वाभाविक-सा लगता है पर मनकी किसी विशेष वातके स्पष्टीकरणके लिये अुसका अुपयोग किया जाता है। वास्तवमें यह पात्रके मनमें बुठनेवाले विचारोंके द्वारोंका केवल स्पष्टीकरण मात्र है जिसे नाटककार अपनी सुविधा और श्रोताओंकी जानकारीके लिये अुस पात्र द्वारा जोरसे बुलवाकर करा देता है। पाश्चात्य साहित्यमें स्वगतकथनको दूर करनेके लिये ओक युक्ति निकाली गयी है। अिसके अनुसार ओक और नवीन पात्रकी अवतारणा की जाती है जो नायकका घनिष्ठ मित्र होता है और जिसपर अपने मनके भाव प्रकट किये जाते हैं। आकाश-भाषित भी अुसका ओक रूप ही है। 'मुद्रा-राक्षस'में मदारी कहता है—

(आकाशकी ओर देखकर) महाराज क्या कहा ? तु कौन है ? महाराज, मैं जीर्णविष नामक सैपेरा हूँ। (फिर आकाशकी ओर देखकर) 'क्या कहा'

कि मैं भी साँप का मंत्र जानता हूँ ?' खेलूँगा ? तो आप क्या काम करते हैं, यह तो कहिए ? (फिर आकाशकी ओर देखकर) 'क्या कहा, मैं राज-सेवक हूँ ? तो आप तो साँपके साथ खेलते ही हैं !' अित्यादि ।

यों तो कथोपकथनमें कविताका अुपयोग अति प्राचीन है । पर धीरे-धीरे अिसका स्थान गीण बनता गया । संगीतको स्थान देनेकी दृष्टिसे कुछ गीत किसी या किन्हीं पात्र विशेषोंके द्वारा प्रस्तुत करनेकी परिपाठी पिछले दिनोंतक चलती रही है । आज भी अिस पद्धतिको कई लेखक अपनाते हैं, परन्तु कविता या गीतोंका नाटकमें होना अब कदापि अनिवार्य नहीं माना जाता । असे भी सफल नाटक लिखे गए हैं जिनमें कविताकी ओक पंकित भी नहीं होती । कविताको कुछ लोग वार्तालापका अंग बनाना अुचित नहीं मानते ।

अुपन्यासोंकी तरह ही नाटकोंमें भी देश-काल और वातावरणका ध्यान रखा जाता है । पात्रोंको ठीकसे समझने तथा अनमें वास्तविकता लानेके लिये जिस देश-काल परिस्थिति तथा वातावरणमें वह पात्र खड़ा है, असे भी समझ लेना अत्यंत आवश्यक है । ठीकसे समझनेके लिये अिसका अुपयुक्त अब सही वर्णन किया जाना चाहिए । यदि गुप्त-देश-काल तथा कालके समाजका, रामायण-कालीन अथवा महाभारत-वातावरण कालीन समाजका चित्रण करते समय आधुनिक-कालीन वातोंका समावेश कर दें तो वह अनुपयुक्त अब असंगत ही नहीं, हास्यास्पद भी होगा । पात्रोंके बोलनेका ढंग, अनकी वेश-भूषा, संस्कृति, सभ्यता व रीतिरिवाज सब अस समयके अनुरूप ही होने चाहिए कि जिस कालका वह पात्र हो । राम या कृष्णको हैट, नेकटाडी पहने अथवा किसी यूरोपीय राजा तथा पात्रको धोती, कुर्ता पहने हुबे चित्रित करनेपर क्या सचमुच ही अस्वाभाविक न लगेगा ?

नाटकमें देश-कालकी समस्यापर विचार करते हुओ संकलनव्रय पर भी हमें विचार करना चाहिए। प्राचीन ग्रीक नाटकोंमें स्थल, कार्य-कालकी ओकताका बहुत अधिक ध्यान दिया जाता था। अन आचार्यों का यह मत था कि नाटकमें जिस घटनाका वर्णन किया गया हो, असका संबंध किसी ऐक ही कार्यसे हो, वह ऐक ही स्थानकी हो और ऐक ही दिनमें घटी हो। ऐक दिनमें, ऐक स्थानपर जो कार्य हुओ हों अन्हींका अभिनय ऐक बारमें होना चाहिए। ऐसा न हो कि ऐक दृश्य दिल्लीका हो तो दूसरा पटनाका। नाटकमें वर्णित घटना ऐक ही स्थानकी हो और जिसे ही स्थलकी ओकता कहते हैं।

नाटकमें जिन घटनाओंका वर्णन हो अनमें वर्धोंका अन्तर न हो। अनके होनेमें अतना ही समय लगा हो जितना कि नाटकके अभिनयमें लगे। असे ही समयकी ओकता कहते हैं।

कथावस्तुमें रसका ऐक समान स्रोत वहता रहे तो कहा जा सकता है कि नाटकमें कार्यकी ओकता है। असी अवस्थामें कथावस्तुमें प्रासंगिक अथवा गौण कथाओंको स्थान नहीं मिल सकता।

काल-संकलन वाले नियमको भवभूतिके 'अुत्तर राम चरित' नाटकमें बिलकुल ही नहीं पाला गया है किर भी वह ऐक अत्युत्तम नाटक बन पड़ा है। वास्तवमें 'काल संकलन' संबंधी नियम वहींतक सहायक हो सकते हैं जहाँतक कि वे नाटककी स्वाभाविकतामें सहयोगी हों।

भाषा अपने विचारोंको प्रकट करनेका ऐक महत्वपूर्ण साधन है। अतः भाषाका प्रयोग ऐसे ही ढंगसे होना चाहिए, जिससे वह पात्रोंके द्वारा

प्रदर्शित किये जानेवाले भावोंको सफलतासे दर्शाकोको पात्रोंकी भाषा सके। चूंकि नाटकमें विभिन्न श्रेणीके कभी पात्रोंका

प्रयोग होता है। अतः जिस श्रेणी और योग्यताका पात्र हो और जिस परिस्थितिमें हो असीके अनुसार पात्रकी भाषा होगी। 'भाषा भी पात्रोंके अनुकूल होनी चाहिए' इस बातकी यथार्थताको ठीकसे न

समझनेके कारण अेक अनावश्यक-सा विवाद खड़ा हो गया था, जिससे कभी-कभी किसी नाटकको भाषाका अजायबघरतक समझनेकी बारी आ गयी थी। किन्तु अब अेक ही भाषाके अंतर्गत पात्रोंकी श्रेणी तथा परिस्थितिके अनुकूल भाषाका अपयोग अधिक बांछनीय अेवं अचित समझा जाता है। यदि पात्र ग्रामीण होगा तो अवश्य ही अुसकी भाषामें तथा किसी पंडितकी भाषामें अंतर होगा। ग्रामीण शब्दों तथा रात-दिनके प्रचलित मुहावरोंका ग्रामीण पात्रकी भाषामें अधिक प्रमाणमें अपयोग होगा।

नाटककी असली कथा-वस्तुका आरंभ अुसमें प्रदर्शित किसी विरोधसे होता है। यह विरोध भिन्न-भिन्न प्रकारके नाटकोंमें भिन्न-भिन्न प्रकारसे प्रदर्शित किया जाता है। सामाजिक नाटकोंमें यह सामाजिक बंधनोंसे अुत्पन्न

परिस्थितियोंसे आरम्भ होता है, मनोवैज्ञानिक नाटकोंमें अंक-विभाजन हृदयमें अठनेवाले अंतर्दृष्टके परिणामस्वरूप; तो ऐतिहासिक नाटकोंमें किन्हीं बड़े-बड़े राज्योंके मनमूटावके कारण। यह विरोध जितनी तीव्रताके साथ प्रदर्शित किया जाओगा, नाटककी घटना-ओंकी गति अुतनी ही जोरदार होगी। यह विरोध किसी स्थानसे आरम्भ होकर विकास पाता है, और चरमविद्वत्क पहुँचनेपर अुसका अंत होता है। विरोधका यही आरम्भ, विकास और अंत कथा-वस्तुका भी आरंभ, विकास, और अंत होता है।

संभवतः नाटककी पाँच अवस्थाओंके निर्वाहके लिये ही प्राचीन आचार्योंने पाँचसे लेकर दस अंकोंतकका नियम बनाया था। परन्तु आजकल अितने बड़े नाटकोंको देखना कोअी दर्शक पसंद नहीं करता। सिनेमाकी कलाका नाटकके आकारपर बड़ा प्रभाव पड़ा। नाटकका आकार अुतना ही बड़ा पसंद किया जाता है कि जिसके अभिनयमें दो या ढाअी घण्टेसे अधिक समय न लगे। अिसीलिये अंकोंका भी तीनसे अधिक न होना अुत्तम माना

जाता है। नाटककारको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वह नाटककी पाँचों अवस्थाओंमें सामंजस्य रखे और यथासंभव प्रत्येक अवस्थाके बीच समान समय लगाए।

यद्यपि कुछ लोग नाटकमें रंगमंचको विशेष महत्व नहीं देते तथापि रंगमंचकी सुविधा और असुविधाके अनसार नाटकोंमें परिवर्तन होता आया है। आजकल रंगमंचको यथार्थ और वास्तविक बनानेकी प्रवृत्ति बढ़ रही है। अिसके लिये प्राचीन कालमें रंगमंच या तो वाँस या सरकंडेके बनाए

जाते थे जिनपर कपड़ा बगैरह लपेटकर पहाड़ आदिके दृश्य रंगमंच और अंकित किये जाते थे या फिर अभिनेता अिस प्रकारकी रस चेष्टाओंका प्रदर्शन करता था कि जिससे अिस प्रकारकी भावनाओंका देखनेवालोंको बोध हो जाता था। अिस प्रकार रंगमंचकी सजावट, पात्रोंकी वेशभूषा, अनुकी वातचीतका ढंग तथा अनुका भावात्मक प्रदर्शन भी अभिनय ही है। तात्पर्य यह कि अभिनय वह क्रिया है जो दर्शकके हृदयमें किसी भावको अनुपत्ति करे। किन्तु यह ध्यान रहे कि सजावट, वेशभूषा और वातचीत ये सब रसोत्पत्तिमें सहायक हैं, प्रधान नहीं। जहाँ रसानुभूति गौण हो जाएगी वहाँ वह नाटक-लेखकका एक दोष ही समझा जाएगा।

हमारे यहाँ यह विवाद बहुत दिनोंसे चला आ रहा है कि वास्तवमें रसकी निष्पत्ति नाटकके पात्रोंमें होती है या दर्शकोंमें। अभिनवगुप्तके मतके अनुसार रस नाटकके दर्शकोंमें वर्तमान रहता है। नाटकके पात्रों, अनुकी वेशभूषा तथा अनुके क्रिया-कलापोंको देखकर अनुके मनमें सोये हुये वासनाओंके संस्कार जागृत हो जाते हैं और अनुहें नाटकके पात्र-विशेषके सा तन्मय बना देते हैं। अनुकी अिस तन्मयता, कविके साथ अिस सा. प.-५

आत्मीयताको, ही साधारणीकरण कहते हैं और यही रस-दशा भी है। तात्पर्य यह कि रसकी स्थिति दर्शकमें ही होती है।

यह तो निश्चित ही है कि नाटककी प्रत्येक क्रियाका अपना अेक अद्वेष्य है। नाटककारको अिस बातका ध्यान रखना चाहिए कि अकारण ही कोअी क्रिया न दिखाओ जाओ। प्रत्येक क्रियाके अिसी अद्वेष्यसे रसकी अुत्पत्तिमें सहायता मिलती है।

वैसे देखा जाओ तो नाटक रूपकका ही अेक भेद है। किन्तु यह शब्द अब अितना प्रचलित हो गया है कि रूपकके लगभग सभी भेदोंके लिये अिसी नामका प्रयोग किया जाता है। रूपकके दस भेद नाटकके प्रकार हैं— १. नाटक २. प्रकरण ३. भाण ४. व्यायोग ५. वीथी ६. समवकार ७. प्रहसन ८. डिम ९. अीहामूग और १०. अंक। विषय-भेदके अनुसार नाटक कभी प्रकारके हो सकते हैं। जिनमें अंतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रहसन और अेकांकी मुख्य हैं।

अंतिहासिक नाटकोंका प्रधान अद्वेष्य किसी अतीतकी ज़लक दिखाना होता है और अंसा करते समय कल्पनाका भी अुपयोग किया जाता है। वैसे नाटकोंमें कल्पनाके आधारपर कहीं-कहीं परिस्थितियोंकी भी रचना अिसलिये कर ली जाती है कि जिनसे छूटे हुओ अंशोंकी कड़ी मिलाओ जा सके। अथवा किसी चरित्रकी कोअी खास बात प्रकाशमें लाओ जा सके।

धार्मिक नाटकोंमें किसी धार्मिक कथा-विशेषको लेकर तत्कालीन धार्मिक परिस्थितियों तथा पात्रगत विशेषताओंका अल्लेख किया जाता है। धार्मिक प्रचार अवं प्रसारके लिये अिन नाटकोंकी विशेष अपयोगिता होती है।

सामाजिक नाटकोंमें सामाजिक रुद्धियोंके प्रति विद्रोह किया जाता है, और अनुसे अत्पन्न समस्याओंको अपरिस्थित कर, अनके दुष्परिणामोंका भी दिग्दर्शन कराया जाता है।

राजनीतिक नाटकोंकी रचनाओं किसी राजनीतिक समस्याको सुल-ज्ञानेकी दृष्टिसे समय-समयपर होती रहती है। अनुमें काल-विशेषकी राजनीतिक विषय परिस्थितियोंका दिग्दर्शन कराया जाता है।

प्रहसन हास्यरस प्रधान नाटक होता है जिसका मुख्य अद्वैश्य हास्यको मूलरस स्थिर रखते हुआ किसी विशेष ध्येयका प्रतिपादन होता है। प्राचीन-कालमें यह नाटकका ही एक अंग माना जाता था। पर आजकल तो यिसने एक स्वतंत्र रूप धारण कर लिया है। प्रहसनमें एक ही अंक होता है।

विधर थोड़े समयसे ऐकांकी नाटकोंका भी प्रचलन बढ़ता जा रहा है। ऐकांकी नाटक जीवनके एक अंगकी परंपरासे चले आये हुआ सुख-दुःख-विपादकी एक ज्ञाँकी है। ये गद्य-प्रधान होते हैं, और मनोविश्लेषण तथा समस्याओंकी ओर संकेत करना यिनका प्रधान अद्वैश्य होता है। कहानी ही की तरह अनका रूप और आकार छोटा होता है। अनका अद्वैश्य जीवन और सदियोंके अतिहासकी विवेचना नहीं, अपितु केवल कुछ घटनों और मिनटोंमें अठनेवाली हृदयकी प्रवृत्तिकी ज्ञाँकी दिखा देना होता है। बड़े नाटकोंकी तरह विशद विवेचनकी असुमें गुंजाइशा नहीं। किसी विज्ञ लेखकने ठीकही लिखा है कि 'यदि बड़े नाटकको एक विस्तृत अद्यान कहा जाए तो ऐकांकी नाटकको एक गुलबस्ता कहा जाएगा।' कहानीहीकी तरह ऐक घटना, एक परिस्थिति और एक अद्वैश्यको लेकरही ऐकांकीकी रचना होती है।

ऐकांकी नाटकोंमें पात्रोंकी संख्या बहुत कम होती है। अनकी संख्या चार या पाँचसे अधिक नहीं होती। सभी पात्रोंका नाटककी घटनासे पूरा संवंध होता है। केवल मनोरंजनके लिये पात्रोंकी संख्याको बढ़ाना अचित नहीं होता।

कथोपकथनमें भी पात्र अुपदेशका स्वाँग न भरने लगें। छोटे अेकांकी-नाटकोंमें व्याख्यान, अुपदेश और लभ्वी वाक्यावलीके लिये कोअी स्थान नहीं। कथोपकथन सरल और स्पष्ट होना चाहिए। कथोपकथन ऐसा हो जो पात्रोंके भावोंको स्पष्ट रूपसे प्रकट कर सके।

अूपर दिये हुओ विवेचनसे हम यह पाते हैं कि 'अेकांकी नाटककी प्रणयन-कला नाटककारसे पूर्ण-नाटककी तुलनामें कहीं अधिक कलाकी माँग कर रही है।

नाट्य-कलाने यहीं विश्वास नहीं लिया। अच्छे-अच्छे अुपन्यासोंके नाटकीय रूप (सिनेमियो) प्रकाशित हुओ हैं। रेडियोका भी नाटककी कायापर असर पड़ा। रेडियोके सहारे लोग अपने कमरोंमें बैठे रहकर भी नाटकका आनंद लेते हैं। रेडियोपर ध्वनित किये जानेवाले ऐसे नाटकोंको 'ध्वनिरूपक' कहते हैं। अिसका अपना स्वतंत्र टेक्नीक है। रंगभंचकी पूर्ति अिसमें ध्वनिके द्वारा होती है।

गीति-नाट्योंमें [पूरा संवाद अथवा कथोपकथन कवितामें ही होता है। वैसे देखा जाओ तो गद्यके प्रचारसे पहले नाटक भी कविताओंमें ही लिखे जाते थे। अुसी परंपराको आज भी कुछ लेखक निभाते जा रहे हैं। हरीकृष्ण 'प्रेमी' का 'स्वर्ण विहान' ऐसा ही एक गीति-नाट्य है। आजकल रेडियोसे काफी गीति-नाट्य प्रसारित किये जाते हैं।

अिसी तरह नाटकके एक और भेद 'स्वोक्षितपरक' (मोनोलॉग) का भी चलन बढ़ रहा है।

## गद्य-गीत

'गद्य-गीत' शब्द ही अिस बातको बताता है कि यह गद्य और पद्यके दीनकी कोजी चीज है। न तो शुद्ध गद्य ही और न शुद्ध पद्य ही। किसीने ठीक कहा है कि 'गद्य जो अपनी सीमामें नहीं रहा पद्य की ओर बढ़ गया, गीत जो अपनी परिधि नहीं छू सका, गद्यकी ओर परिभाषा लौट आया; दोनों मिलकर गद्य-गीत बन गया।' गद्य-गीतके संबंधमें मुशी ब्रेमचन्द्र ओक स्थानपर कहते हैं 'हमारा ख्याल है... कि गद्यगीत स्वतन्त्र वस्तु है और कवि जो कुछ पद्यमें नहीं कह पाता, वह गद्य-गीतोंमें कहता है। कविता भावना-प्रधान रचना है, और गद्य-गीत अनुभूति-प्रधान।' कहनेका तात्पर्य यह कि गद्य-गीतके स्वरूपके बननेमें गद्यने पद्यसे कुछ ऐकार किया और पद्यने गद्यको कुछ दिया, और अिस तरह ग्रहण-प्रदानकी प्रक्रियाने हिन्दीमें ऐक नवीन फैलीको जन्म दिया।

अिस ग्रहण-प्रदानमें जो कुछ लिया-दिया गया, असका भी हम विचार कर लें। कवितामें भिन्न-भिन्न छंदोंका प्रयोग किया जाता है। गद्य-गीतमें छंदका कोई बन्धन नहीं; हाँ, असमें काव्यकी भावुकता और रस-संचारिणी शक्ति अवश्य होती है। अिससे यह सिद्ध हुआ कि गद्य-गीतमें गद्यकी प्रधानता होती है जिसके परिणाम स्वरूप असकी गणना गद्य-साहित्यके अन्तर्गत ही की जाती है। असे जो गीत कहा जाता है असका कारण यह

है कि अुसमें गीतकी कुछ विशेषताओंका समावेश हो जाता है। गीतकी भाँति ही गद्य-गीत आकारमें लघु होता है। गीतकी तरह ही अुसमें अेक भाव, अेक वृत्ति, अेक वातावरण, अेक विचारका निवाहि आदिसे अन्ततक होता है। गद्य-गीत यद्यपि छंदके नियमोंसे बँधा हुआ नहीं होता, फिर भी अुसमें वाक्यांशों या वाक्योंकी आवृत्ति विस प्रकार होती है कि अुसमें छंदका ही आनन्द आता है।

हिन्दीमें गद्य-गीतके लेखक अभी अँगुलियोंपर गिनने योग्य हैं। पर वह समय दूर नहीं जब विस अंगकी पूर्ति भी अधिक मनोयोग और अुत्साहसे होगी।

गद्य लिखते समय लेखकके भावोंका आवेश जब तीव्रतम हो जाता है तब अुसके द्वारा लिखी गयी पंक्तियाँ स्वतः चमकने लगती हैं। विसके पीछे अेक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक रहस्य है और वह यह कि लेखक प्रत्येक क्षण विचार-प्रधान नहीं रहता, विश्लेषण करना, अथवा सिद्धांतकी स्थापना करना ही चाहे अुसका अुद्देश्य रहता हो पर आखिर अुसके भी हृदय तो होता ही है और विस कारण अुसकी पंक्तियोंपर भी भावुकताका रंग चढ़ जाता स्वाभाविक ही है। धार्मिक ग्रंथोंमें यह बात विशेष रूपसे परिलक्षित होती है। अुदाहरणके रूपमें हम यह कह सकते हैं कि यदि बाधिविल धर्म-ग्रंथ न होता तो गद्य-काव्यका अुदाहरण प्रस्तुत कर सकता था। फिर भी, निस्सन्देह यह कहा जा सकता है कि गद्य-गीतकी अपनी अेक स्वतन्त्र कला है।

गद्य-गीतमें कल्पना, भावुकता और रसात्मकता रहनेपर भी अुसे कविताके अन्तर्गत नहीं समिलित किया जा सकता। हमने यह देखा है कि कवितामें छंदोमय लयका हीना आवश्यक है और यह प्रमुख तत्व छंदोमय लय गद्य-गीतमें नहीं होती। किन्तु अेक बात तो ही है ही कि गद्य-प्रधान होने पर भी हम अुसे गीत तो कहते ही हैं और अुसका कारण यह है कि अुसमें गीतकी निम्नलिखित विशेषताएँ प्रधानतासे पायी जाती हैं—

१. गीत साधारणतया बड़ा नहीं होता है। लघुत्व अुसका एक आवश्यक गुण है। गीतकी यह विशेषता गद्य-गीतमें भी पायी जाती है।

२. गीत ही की तरह गद्य-गीतमें भी एक ही भाव, एक ही अनुभूति, एक ही वातावरण और एक ही वृत्ति तथा विचारका आदिसे अंत तक निर्वाह होता है।

३. गीतकी ही भाँति गद्य-गीत भी रसमय होता है। अुसमें भी अनुभूतिकी तीव्रता और निरंतरता विद्यमान रहती है।

४. गद्य-गीतकी रचनामें भी विशिष्ट व्यमताकी आवश्यकता होती है।

५. गीतकी रचना छंदमें होती है किन्तु गद्य-गीतमें छंदका वंधन नहीं होता। पर अुसमें वाक्यों और वाक्यांशोंकी आवृत्ति अिस तरह होती है कि अुसमें एक विशेष प्रकारकी लय पैदा हो जाती है।

## निबन्ध

हिन्दीका आजका युग गद्यका ही युग कहा जाता है। गद्यने नाटक, अपन्यास, कहानी आदि साहित्यके ललित अंगमें ही अपनेको अधिक विकसित किया, किन्तु गद्य-काव्यका सच्चा रूप तो हमें निबन्धमें ही देखने को मिल सकता है। निबन्ध ही एक ऐसा भाष्यम् है जो गद्यको अस्के सच्चे रूपमें हमारे सामने प्रस्तुत कर सकता है। आचार्य शुक्लने अिस संवर्धनमें यथार्थ ही कहा है कि 'यदि गद्य कवियोंको कसौटी है तो निबन्ध गद्यकी कसौटी है।'

अिसमें संदेह नहीं कि हिन्दीने संस्कृत साहित्यसे बहुत कुछ लिया है और वैसे देखा जाए तो अस्का विकास एक प्रकारसे असीके आधारपर हुआ है। पर निबन्धके क्षेत्रमें हिन्दीको संस्कृत साहित्यसे विशेष कुछ नहीं मिला। अिसका कारण यह है कि वर्तमानकालमें जिस अर्थमें हम निबन्ध शब्दका प्रयोग करते हैं अस अर्थमें संस्कृत साहित्य स्वयं निबन्धोंसे शून्य है। असमें कथा, कहानी, नाटक, आलोचना तथा अिसी प्रकारके साहित्यके अन्य अंग तो हैं, पर निबन्ध नहीं है।

हिन्दी साहित्यमें निबन्धका विकास अंगरेजी साहित्यके आधारपर हुआ। हमारे यहाँ सदा ही गद्यके क्षेत्रमें वैज्ञानिक विश्लेषण और दार्शनिक-

चित्तनकी प्रधानता रही है। प्राचीन निवन्धोंमें शुष्क ताकिक चित्तन और वैज्ञानिक विवेचनकी प्रधानता है। अनुमें रसात्मकता नहीं है, और न अनुमें लेखकका व्यक्तित्व ही प्रतिफलित हुआ है।

प्राचीन कालमें छापनेकी कलाको लोग नहीं जानते थे। अब समय भोज-पत्रोंपर या ताड़के पत्तोंपर लिखा करते थे। अिसके बाद अन्हें अिकट्ठा करते, सॉवारते और अिकट्ठा सीकर पुस्तकके अर्थ और रूपमें बनाते थे। अिस बाधनेकी कियाको ही निवन्ध परिभाषा या प्रबन्ध कहा जाता था। धीरे-धीरे अिस शब्दके अर्थमें परिवर्तन होता गया और निवन्ध शब्दका अर्थ हो गया—‘अेक अंसा लेख, जिसमें अनेक विचारों, मतों या व्याख्याओंका सम्मिश्रण या ग्रथन हो।’

नागरी-प्रचारिणी-सभाने अपने हिन्दी शब्द-सागरमें अिस शब्दका अर्थ देते हुअे लिखा है, “बन्धन वह व्याख्या है, जिसमें अनेक मतोंका संग्रह हो।” अिस तरह निवन्धसे तात्पर्य अंसे लेखोंसे हैं जिनमें विचार परंपराके साथ-साथ लेखक अपने विचारों और मनोवृत्तियोंको अपनी भाषा और अपनी शैलीमें व्यक्त करता है।

प्रबन्ध शब्दका अर्थ निवन्ध शब्दके अर्थसे अधिक व्यापक है। प्रबन्ध शब्दका अर्थ है—कभी वस्तुओं या वातोंका अेकमें ग्रथन, अेक दूसरेसे सम्बद्ध वाक्य-रचनाका विस्तार, लेख या अनेक सम्बद्ध पद्योंमें पूरा होनेवाला काव्य। पुराने जमानेमें यह शब्द अपने मौलिक अर्थमें अन समस्त लेखों या रचनाओंके लिये प्रयोगमें आता था जो किसी विषय अथवा कथाको शास्त्रीय ढंगसे गद्य अथवा पद्यमें प्रस्तुत करते थे। अिस अर्थमें भी अंगरेजी साहित्यके प्रभावके कारण परिवर्तन हो गया और अब ऐसी रचनाओं अंतर्गत कही जाती है जिनमें “लेखक प्रतिपाद्य विषयको लेकर असके स्वरूप, अपयोग, महत्व आदिको विखाता हुआ असकी भूत्पत्ति तथा विवेचनके साथ अपनी भाषा और अपनी शैलीमें अपने विचारोंका स्पष्टीकरण करता है।”

हिन्दीमें आलोचनात्मक तथा गवेषणा (खोज) पूर्ण रचनाओं प्रबन्ध ही समझी जानी चाहिए। परंतु अधिर अिन्हें भी निबन्ध कहा जाने लगा है।

लेखका अर्थ तो निबन्ध और प्रबन्धसे भी अधिक व्यापक है। लेखका अर्थ है—लिखी हुअी सामग्री। अिस शब्दसे किसी विशेष विषयकी अथवा ढंगकी रचनाका ज्ञान नहीं होता। अंग्रेजीका आर्टिकल (Article) शब्द लेखका अर्थ देने लगा है।

भूपर दिये हुओ विवेचनसे हम यह समझ सकते हैं कि— निबन्ध अेक तरहका स्वगत-भाषण ही है क्योंकि अिसके द्वारा लेखक अपने मनकी बात ही तो कहता है चाहे वह अुसकी वैयक्तिक अनुभूति हो, अभिध्यक्षितका भावना हो या कोओ अेक आदर्श हो। निबन्धमें लेखकका अेक प्रकार निजी रूप अधिक प्रत्यक्ष और स्पष्ट रहता है।

अंग्रेजीके असे (Essay) के यही लक्षण माने जाते हैं। निबन्धका आकार छोटा होता है। अुसमें जीवन या समाजके किसी अेक पक्षकी अभिध्यक्षित या विवेचना रहती है। निबन्ध-लेखक अपने दृष्टिकोणके अनुसार विश्वके विविध रूपोंमेंसे किसी अेककी विवेचना करता है। प्रयेत्क लेखमें अुसके लेखकका व्यक्तित्व झलकता रहता है। लेखमें अपने मत अथवा दृष्टिकोणको प्रतिपादित करते समय अुसकी निजी सम्मति और दृष्टिकोणकी ही प्रधानता रहती है। कहनेका तात्पर्य यह कि निबन्धकारको अपनी व्यक्तिगत प्रतिभाके प्रकाशनका विशेष अवसर रहता है। अपनी व्यक्तिगत प्रतिभाके सहारे ही वह साहित्यके अिस अंशको अितना चमत्कार-पूर्ण और अत्युल्लङ्घन बना देता है।

निबन्ध, आख्यायिका और प्रगीत-काव्यमें काफी समानता है। आख्यायिकाका सूजन किसी अेक विशिष्ट अुद्देश्यके प्रतिपादनके लिअ होता है। अुस अुद्देश्यको प्रतिपादित कर देनेके बाद वह समाप्त हो जाती है। अूसी

तरह निवन्ध भी किसी ओके विशिष्ट अद्वेश्यकी पूर्ति के लिये लिखा जाता है और उसी अद्वेश्यकी पूर्ति के बाद वह समाप्त हो जाता है।

जिस तरह अपन्यास के किसी ओके अध्याय को हम कहानी नहीं कह सकते असी तरह दर्शनिक या साहित्यिक ग्रंथ के किसी ओके अध्याय या अंश को हम निवन्ध नहीं कह सकते। असका तो कहानीकी ही भाँति अपना ओके स्वतंत्र अस्तित्व है।

अपर्युक्त विवेचन के आधार पर कुछ लोग निवन्ध की परिमाणा अस प्रकार भी करते हैं—‘निवन्ध गद्य-काव्य की वह विधा (प्रकार) है जिसमें कि लेखक ओके सीमित आकारमें अस विविध रूप जगत के प्रति अपनी भावात्मक तथा विचारात्मक प्रतिक्रियाओं को प्रकट करता है।’

यह तो सभी जानते हैं कि सभ्यता के विकास के साथ-साथ मनुष्य की समस्याओं भी बढ़ती जा रही हैं और समय का अभाव सभी को महसूस होने लगा है। परिणामतः मनुष्य में कम से कम समय में अधिक से अधिक जानने की

प्रवृत्ति जोर पकड़ती गयी। अस दिशा की असकी चेष्टा-  
अद्वेश्य और निरंतर अनुन्ति होती गयी। निवन्ध भी ओके ऐसा ही साधन है।

निवन्ध के सहारे पाठक संक्षेप में किसी विषय का ज्ञान प्राप्त करता है। अस दृष्टिकोण को हम पाठक का दृष्टिकोण कहेंगे वहाँ लेखक की ओर से यह कहा जा सकता है कि वह कम से कम में विचारों को अस ढंग से पाठक के सामने रख देना चाहता है कि जिससे पाठक असके दृष्टिकोण को समझ जाए और अससे प्रभावित भी हो जाए। अपने से दूसरों को प्रभावित करने की शक्ति अत्यन्त करने में आरंभ से ही काफी अभ्यास की आवश्यकता होती है। निवन्ध के जरिये लेखक की विचार-शक्ति और लेखन कला की अनुन्ति होती है। वह अपने लेखों द्वारा पाठक में किसी विषय के प्रति रुचि अत्यन्त करता है।

अपनी योग्यताके प्रदर्शनकी अपेक्षा भावोंका प्रदर्शन ही लेखकके निवन्धोंका मुख्य अद्देश्य होना चाहिए। मनुष्य जो कुछ देखता, सुनता और

**निवन्धका महत्व** अनुभव करता है असुसेअसके ज्ञानकी वृद्धि तो होती है पर अस अनुभूति अथवा ज्ञानको लिपिबद्ध कर देनेपर

आनेवाली संतति अस ज्ञानके संचित कोषसे लाभ गुठा सकती है। दिनभरमें हम तरह-तरहकी मौखिक बातें करते हैं, समय और आवश्यकताके अनुसार अपनी कही हुयी ओक ही बातको बदलते रहते हैं। कहनेका तात्पर्य यह कि मौखिक बातमें स्थिरताका जो गुण नहीं होता वह लिखित रूपमें हो जानेपर असमें आ जाता है और फिर वह आनेवाली पीढ़ियोंके लिये सदियोंतक मार्गदर्शकका काम करता है। अतः निवन्धका महत्व अवर्णनीय है।

संघेपमें यदि हम निवन्धके गुणोंका वर्णन करता चाहें तो कह सकते हैं कि 'निवन्ध हमें लिखना सिखाता है, हमारी मानसिक शक्तियोंका विकास करता है, हमारी विचारधाराको शुद्ध और संयमित करता है और असे स्थायी बनानेमें सहायक होता है।'

बार-बार लिखते रहनेका अभ्यास करनेपर विचार और भाव सरल अंव सुन्दर रूपमें प्रकाशित किये जा सकते हैं; अनकी धूमिलता हट जाती है, अनमें ओक स्पष्टता आजाती है। तात्पर्य यह कि निवन्ध, लेखकको अमरत्व प्रदान करते हैं। और अिस माध्यमके जरिये विद्वानोंकी विद्वत्ता साधारण जनता तक पहुँचती है जिससे वे अस विद्वत्तासे लाभ गुठा सकते हैं। यही नहीं, निवन्धोंके जरिये लोक-हचिका भी परिक्षार होता है तथा समाजका स्तर ऊँचा गुठता है।

हमने यह देखा है कि सीमित समयमें सीमित शब्दों द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना सम्बंधी विचारोंको लिपिबद्ध कर देनेका नाम ही निवन्ध है। अतः निवन्धके विषयोंकी सीमा निश्चित करना कठिन है।

**निवन्धका विषय** कुछ भी हो सकता है। आकाशके तारोंसे लेकर धूलके कणोंतक निवन्धके अंसंख्य विषय हो सकते हैं। सरल विषयोंपर सबसे पहले

**निवन्ध** लिखे जा सकते हैं। असीको दूसरे शब्दोंमें यों भी  
**निवन्धके विषय** कह सकते हैं कि जिन विषयोंको हम प्रति दिन देखते हैं या

जो हमारे अत्यंत निकटके हैं अन विषयोंपर लिखनेका हम पहले प्रयास करें और ज्यों-ज्यों लिखनेका हमारा अभ्यास बढ़ता जाओ त्यों-त्यों हम अंसे विषयोंपर भी लिख सकते हैं कि जिनपर लिखनेके लिये विशेष मनन अंवं चिन्तनकी आवश्यकता होती है। दया, लज्जा, सौंदर्य, साहस, प्रेम आदि ऐसे ही विषय हैं।

**शीर्षक** शब्द संस्कृतके 'शीर्ष'से बना है; जिसका अर्थ है अग्रभाग, छोटी, सिरा, मस्तक। निवन्धके सम्बन्धमें अस शब्दका अर्थ होगा 'किसी विषयका

वह परिचायक संक्षिप्त शब्द या पद जो बहुधा पुस्तक, समाचारपत्र, विज्ञापन, लेखादिके अूपर लिखा रहता है।'

**निवन्धका शीर्षक** शीर्षकमें निवन्धका पूरा भाव छिपा रहता है। शीर्षकके पढ़ते ही निवन्धके विषयका तुरन्त ही पता चल जाता है। चूंकि शीर्षकमें निवन्धका सारा निचोड़ अठाकर रख देना होता है, अतः शीर्षक बनाना सरल काम नहीं है। अपयुक्त शीर्षक देनेकी योग्यता प्राप्त करनेके लिये सतत प्रयत्न करते रहनेकी आवश्यकता है। शीर्षक जितना ही गंभीर और स्वाभाविक होता है अतनी ही तेजीसे वह पाठकको निवन्ध पढ़नेकी ओर आकर्षित करता है अतः शीर्षकके चुननेमें अत्यन्त धीर्ज अंवं समझदारीसे काम लेना चाहिये। शीर्षक, विषयके अनुरूप, छोटा तथा अर्थ-पूर्ण होना चाहिये।

हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि अत्यन्त संक्षेपमें अपनी भावनाओं और विचारोंको व्यक्त करनेका काम अंक अत्यन्त कठिन कार्य है। यदि

तूसरे शब्दोंमें कहना चाहें तो कह सकते हैं कि यह तो 'गागरमें सागर भरना' है। अिसमें लेखक तभी सफल हो सकता है जब वह विषयकी सीमा, और-लेखन दौलीमें सामज्जस्य स्थापित कर सकतेमें समर्थ हो। निवन्धके आकारका निर्णय तो अधिकांशतः विषयकी सीमा निर्धारित करनेके बाद ही किया जा सकता है। विषय लेखकसे जितना माँगता हो अुतना ही अुसे देना पड़ता है और देना चाहिये। अिसीके आधारपर विस्तारकी परिधि निश्चित होती है। यह सब कुछ होनेपर भी ओक बात नितान्त सत्य है कि जो निवन्ध जितने ही कम पृष्ठोंमें परन्तु भाव-पूर्ण शब्दोंमें अधिकसे-अधिक जानकारी देते हुये लिखा जाएगा वह अुतना ही अुत्तम निवन्ध माना जाएगा। अुसमें व्यक्त विचारोंके आधारपर लेखककी प्रतिभा तथा अुसके व्यक्तित्वका पता चलेगा।

बूपर दी गयी बातोंसे यह तो पता चल ही जाता है कि निवन्ध सफल है या असफल अिसका निर्णय अुसमें दी हुयी सामग्री अथवा जानकारीके आधारपर ही हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि यह जानकारी अथवा सामग्री कहाँसे ओक्त्रित की जा सकती है। अिसमें भिन्न-भिन्न साधनोंको काममें लोया जाता है— १. निरीक्षण २. पर्यटन ३. स्वाध्याय और ४. सत्संग।

१. अपने ज्ञान-भंडारकी वृद्धिका सबसे बड़ा साधन है निरीक्षण। हमें हर चीजको सजग रहकर देखना चाहिये और अुसके मर्मको समझनेका सतत प्रयत्न करना चाहिये। प्रकृतिके सौंदर्यको यदि हम आँख खोलकर देखते रहें तो निश्चय ही वह हमें कुछ न कुछ विशेष प्रेरणा देगा। अुसी तरह पक्षियोंका प्रतिदिन होनेवाला कलरव, प्रतिदिन होनेवाले सूर्योदय और सूर्योस्तका वह अनुपम सौंदर्य, फूलोंकी अलौकिक सुरंग आदि सासारकीं सभी

वस्तुओं और घटनाओंको यदि हम जागरूक रहकर देखें तो निश्चय ही हमें तरह-तरहकी प्रेरणाओं मिलेंगी और असके आधारपर हमारे ज्ञानमें वृद्धि होगी ।

२. ज्ञानवृद्धिका दूसरा साधन है पर्यटन । पर्यटन और निरीक्षण साथ-साथ होते हैं । बहुतसे स्थानोंपर धूमनेसे हम अधिकसे अधिक तथा तरह-तरहके लोगोंके सम्पर्कमें आते हैं । अतः किसी भी विषयकी हमारी जानकारी बढ़ती है । यदि हमने कभी हवाओं-यात्रा न की हो तो स्वभावतः हम असका सही वर्णन नहीं कर पाएंगे और न ऐसी यात्रा करते समय होनेवाले अनुभवोंका ही यथातथ्य चित्रण कर सकेंगे । जिसने-समुद्र देखा ही न हो, वह कैसे असकी विशालताका अथवा असके संबंधकी अन्य बातोंका चित्रण कर सकेगा । पूर्णिमाकी चाँदनी रातमें ताजमहलका अनुपम सौंदर्य देखनेपर ही तो असका सजीव वर्णन किया जा सकेगा ।

३. ज्ञानके बढ़ानेका तीसरा साधन स्वाध्याय है । लेखकके लिये यह सदा संभव नहीं होता कि वह बहुत अधिक पर्यटन कर सके । समयके साथ-साथ अिसमें खर्चका प्रश्न भी अुठता है । पर्यटन खर्चीला होनेके कारण जहाँ यह संभव न हो वहाँ स्वाध्याय ही अनुत्तम है । यह बहुत बड़े अंशमें पर्यटनकी कमीको पूरा कर देता है । स्वाध्यायसे विचारोंमें प्रीढ़ता आती है तथा अनका संस्कार होता है ।

अध्ययनसे केवल मनोविनोद ही होता हो औसी बात नहीं है । अससे ज्ञान भी प्राप्त होता है । अतः ज्ञानकी वृद्धि चाहनेवालोंको ऐसे ही साहित्यका अध्ययन करना चाहिये जिसमें भाषाके साथ-साथ भाव भी औच्ची कोटिके हों ।

४. सत्संगका हमारे जीवनपर बहुत बड़ा असर पड़ता है । कभी-कभी अन्य साधनोंका हमपर असर नहीं हो पाता । पर सत्संग चमत्कारिक ढंगसे हमारे विचारोंमें रहन-सहनमें परिवर्तन कर देता है ।

सभी समय न तो हम अध्ययन ही करते हैं और न पर्यटन ही सभीके लिए संभव होता है। अतः हमें अैसे लोगोंके साथ रहता चाहिए जिनका ज्ञानका भंडार बहुत बड़ा हो, जो सज्जन हों। सज्जनोंके साथ पवित्र वाता-वरणमें रहनेपर हमारे चरित्रपर, हमारे सोचनेके ढंगपर, हमारे भावोंपर असका बड़ा ही अनुकूल परिणाम होगा।

अूपर दिया हुआ विवेचन निवंधकी सामग्री जुटानेकी दृष्टिसे हमारी सहायता करता है। पर सामग्रीके साथ-साथ असके अपयोग करनेके ढंगकी भी जानकारी आवश्यक है। यह तो पहले ही कहा जा निवंध-रचनाके चुका है कि निवंध-लेखनमें कुशलता प्राप्त करना सतत तत्व प्रयत्नोंपर निर्भर है; फिर भी यह तभी संभव है जब लेखक निवंध रचनाके तत्वोंसे भी पूरी तरह परिचित हो। प्रधान रूपसे निवंध-रचनाके तीन तत्व होते हैं—१. प्रस्तावना २. विवेचन और ३. परिणाम।

१. अूपन्यास, कहानी आदिका अध्ययन करते समय आपने यह देखा होगा कि सभी जगह आरंभ या प्रस्तावनाके सुन्दर तथा प्रभावशाली होनेपर अत्यधिक जोर दिया गया है। यह अेक अंसा अंश है जो पाठकको सहजहीमें अपनी ओर आकर्षित करलेता है तथा पाठकमें पूरी रचना पढ़नेकी जिजासाको अनुपन्न करता है। शीर्षकके बाद यही अंश महत्वपूर्ण होता है। अतः लेखके आरंभमें इस अंशमें कुछ अैसे वाक्योंको लिखना चाहिए जिससे पाठकोंका ध्यान विषयकी ओर आकर्षित हो जाए। यह अंश अतिना महत्वपूर्ण है कि असीपरसे पाठक लेखककी लेखनीकी शक्ति तथा असकी योग्यताकी जाँच कर लेता है। विषयके अनुरूप भूमिका बनानेमें ही लेखककी कुशलताका पहला परिचय मिलता है।

प्रस्तावनामें प्रास्ताविक-अंश बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। प्रस्तावनाका आकार छोटा हो। क्योंकि बहुत बड़ी भूमिकामें

कोधी आकर्षण नहीं रह जाता है। प्रस्तावना आकर्षक हो, सुरुचिपूर्ण हो तथा निवंधके मुख्य विषयसे असका गहरा संवंध हो। ऐसा न हो कि वह विषयसे बहुत दूर जा पड़े।

प्रस्तावनाको आकर्षक बनानेके लिये कुछ लेखक प्राकृतिक दृश्यसे निवंधकी भूमिकाका प्रारंभ करते हैं जिसमें क्रतु-वर्णन, प्रकृति-वर्णन या यात्रा-वर्णन आदि होते हैं। कभी-कभी किसी बड़े कवि या लेखककी किसी कविता या लेखसे महत्वपूर्ण अद्वितीय भी दिये जाते हैं। किसी धार्मिक सिद्धांत अथवा लोकोक्तिका भी प्रयोग किया जाता है। ऐसी भूमिकाका प्रयोग अधिकतर धार्मिक, सामाजिक अथवा विवेचनात्मक विषयोंवाले निवंधोंमें होता है। कभी-कभी किसी कहानी या अतिहासिक घटनासे भी निवंधकी भूमिका बाँधी जाती है। ऐसी भूमिका अधिकांशतः सामाजिक अथवा व्याख्यात्मक निवंधोंमें अनुपयोगी होती है। कभी-कभी निवंधके विषयकी परिभाषासे ही भूमिकाका आरंभ होता है (विशेषकर वैज्ञानिक अथवा गवेषणात्मक-स्तोजपूर्ण-निवंधोंमें)। तुलनात्मक या विवेचनात्मक, निवंधोंमें विषयके प्रतिकूल विषय लेकर निवंधकी प्रस्तावना तैयार की जाती है। विषयकी आवश्यकता अब अनुपयोगिता दर्शाते थे भी भूमिकाका आरंभ किया जाता है। और कहीं-कहीं तो विषयको लेकर अकदम आरंभ कर दिया जाता है। लेखक अपनी योग्यता, प्रतिभा तथा विषयकी आवश्यकताके अनुसार भूमिका बना सकता है।

२. विवेचन निवंधका मुख्य अंश है। विषयका प्रतिपादन और रस-परिपाककी दृष्टिसे निवंधकी सफलता अिसी अंशपर निर्भर होती है। अिस अंशमें लेखककी योग्यता तथा असकी प्रतिभाका पता लग जाता है। अिस अंशमें सफलता प्राप्त होनेके लिये कुछ साधारणसे नियमोंकी ओर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिये। लिखनेसे पहले विषयपर थोड़ी देरतक विचार करनेकी अत्यन्त आवश्यकता है। विषयके संबंधमें अवतक व्याख्या जानकारी सा. प.-६

है जिसे मालूम कर, संकेत रूपमें लिख लेना चाहिए और नभी बात याद आनेपर अुसे फिर नोट कर लेना चाहिए। जिस तरह मनन करनेपर जो सामग्री संकेतोंके रूपमें अिकट्ठी हो जाए अुसे क्रमवार लगा लिया जाए और भूमिकाके बाद अनु-पर क्रमवार विचार प्रकट किये जाए। प्रत्येक संकेतका अेक-अेक अनुच्छेद (पैरा) बनाया जाए। यह ध्यान रखना चाहिए कि आवश्यक बातोंपर ही जोर दिया जाए। अनावश्यक बातोंको अनावश्यक महत्व प्राप्त न हो। दिये जानेवाले संकेतमें और अधिक बल तथा प्रभाव लानेके लिये बीच-बीचमें किसी प्रसिद्ध लेखक अथवा कविकी रचनाओंसे अद्वरण भी दिये जा सकते हैं। यह ध्यान रखना चाहिए कि विषयका प्रतिपादन करते समय कोअी औसी बात तो नहीं कही जा रही है जो अपने ही द्वारा अेकवार कही हुअी बातके विरुद्ध पड़ती हो अर्थात् विचारोंमें विरोध न आने पाए। अपने ही विचारोंका अपने ही द्वारा खंडन न हो जाए। आदिसे अन्ततक निवन्धका विषय औसा कसा रहे कि पाठकका चित्त अुससे हटने न पाए वरन् अुसमें रम जाए।

३. परिणामको निवन्धका अंत भी कहा जा सकता है। जिस अंतमें पाठक अपने विवेचनसे किस परिणामपर पहुँचना चाहता है अुसे व्यक्त किया जाता है। अतः निवन्धका अंत औसा होना चाहिए जिससे पाठककी निवन्धके विषय सम्बन्धी सारी जिज्ञासा शान्त हो जाए। परिणामवाले अंशको अधिक लम्बा बनानेकी आवश्यकता नहीं है। अेक ही अनुच्छेदमें यदि निवन्धका सारांश प्रकट कर दिया जाए तो अच्छा है। कभी-कभी भूमिकाके शब्दोंको दुहराकर ही निवन्धका अन्त कर दिया जाता है। पर यह तभी संभव है जब भूमिकामें ही निवन्धके विषयका अद्वेश्य नणित हो। कभी-कभी लेखक, निवन्धमें कोअी परिणाम नहीं निकालता। वह केवल प्रतिपाद्य विषयपर प्रत्येक दृष्टिसे विचार करके मौत हो जाता है और निर्णय पाठकोंपर छोड़ देता है।

प्रत्येक साहित्यिक रचनामें भाव और भाषाकी प्रधानता होती है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा लेखक या वक्ता अपने विचारोंको प्रकट करता है। अतः ऐसी भाषाका प्रयोग किया निबन्धकी जाना चाहिए जो हमारे विचारोंको सही-सही रूपमें भाषा पाठक अथवा श्रीताके सामने अपस्थित कर दे। ऐसा होनेके लिये यह आवश्यक है कि भाषा व्याकरणके नियमानुकूल हो, अच्छकोटिकी हो तथा ऐसी हो कि जिसका प्रयोग अच्छकोटिके लेखकों द्वारा अनकी रचनाओंमें किया जाता रहा हो। निबन्धकी भाषा शुरूसे अन्ततक अेक ही प्रकारकी रहे। वह प्रवाह-युक्त हो। विषयको बोधगम्य बनानेकी दृष्टिसे लम्बे तथा मिश्र वाक्योंके स्थानपर छोटे-छोटे वाक्योंका प्रयोग अधिक अच्छा होता है। भाषा सरल अंदर सुनोध हो। किलज्ज्ञ भाषासे पाठकका जी शूद्र जाता है। निबन्धकी भाषापर लेखकके व्यक्तित्वकी छाप होनी चाहिए। भाषा स्वयं पुकारकर कह दे कि मैं अमुक लेखककी हूँ। भावोंके अनुकूल भाषामें अतार-चढ़ाव होनेसे प्रभावकी अुत्पत्ति होती है।

विषयोंकी विविधताकी दृष्टिसे निबन्धका क्षेत्र अत्यन्त व्यापक कहा जा सकता है। वस्तुतः संसारकी कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसपर निबन्ध न लिखा जा सकता हो। विषयकी विभिन्नताकी निबन्धके दृष्टिसे निबन्धोंके चार प्रकार माने जा सकते हैं—  
भेद १. वर्णनात्मक निबन्ध २. कथात्मक या विवरणात्मक निबन्ध ३. विचारात्मक या विवेचनात्मक निबन्ध और ४. भावात्मक निबन्ध। छोटे-मोटे कुछ और भी भेद हैं जैसे विश्लेषणात्मक, विवादात्मक आदि, पर प्रधान भेद चार ही हैं।

१०. वर्णनात्मक निबन्धोंमें वर्णनकी प्रधानता होती है। अन निबन्धोंमें वर्णन किये जानेवाले पदार्थकी बहुत विस्तृत विवेचना की जाती है। जिस

प्रकारके निवंधोंमें प्राकृतिक अथवा अप्राकृतिक पदार्थोंका वर्णन होता है। अुदाहरणार्थ नदी, पहाड़, झरना, समुद्र, वायु, रेल, तार, जहाज, नगर, साइकिल, ग्रामोफोन, दियासलाभी आदि। यात्रा, प्रदर्शनी, त्योहार और जीवनकी मनोरंजक घटनाओंपर भी वर्णनात्मक निवंध लिखे जा सकते हैं।

२. कथात्मक या विवरणात्मक निवंधोंके अंतर्गत कथाओं, घटनाओं, घटनाओं, महापुरुषोंके जीवन वृत्तांतों, नरेशोंकी शासन-पद्धतियों आदिका अल्लेख हो सकता है। अंसे निवंधोंमें वास्तविक घटनाओंके साथ काल्पनिक घटनाओंका भी समावेश किया जा सकता है। वर्णनात्मक और कथात्मक निवंधोंका अंतर बताते हुओं अेक लेखकने लिखा है “वर्णनात्मक निवंध चित्र-लेखनसे संबंध रखता है। चित्रकी तरह अपने समस्त अंगोंका रहस्य पाठकोंके सामने खोलकर रख देता है। प्रतिपादा विषयसे संबंधित सभी बातोंका अुसमें सविस्तर यथातथ्य वर्णन होता है। कथात्मक निवंधमें कार्यकारणका संबंध दिखाते हुओं अेक घटनाके बाद दूसरी घटनाका वर्णन होता है।

३. विचारात्मक या विवेचनात्मक निवंधोंमें अमूर्त विषयोंपर विचार प्रकट किये जाते हैं। अुदाहरणार्थ चिता, आशा, क्रोध, धैर्य, दया, अहिंसा, भाव, मनोविकार आदि। दार्शनिक, आध्यात्मिक तथा मनोवैज्ञानिक विषयोंकी विवेचना भी अन्हीं निवंधोंके अंतर्गत आती है। अिस प्रकारके निवंधोंके लिखनेमें गंभीर अध्ययन, मनन और जीवनमें प्राप्त गंभीर अनुभवोंकी आवश्यकता होती है। सर्वश्री रामचंद्र शुक्ल, श्यामसुन्दरवास तथा जैनेन्द्रजीके निवंध अिसी कोटि के निवंध हैं।

४. भावात्मक निवंधोंका संबंध भावनासे अर्थात् हृदयसे होता है। अंसे निवंधोंमें बुद्धितत्वकी अपेक्षा भावतत्व प्रधान होता है। अन्हें हम

कवित्वपूर्ण निवंध भी कह सकते हैं। डा. रघुवीरसिंह, अध्यापक पूर्णसिंह पद्मसिंह शर्मा आदिके निवंध अिसी शैलीके अंतर्गत आते हैं।

तर्क-वितर्कको लेकर विषयका जिन निवंधोमें निरूपण किया जाता है अनुहृत हम तार्किक निवंध कहते हैं। ऐसे निवंधोमें लेखक अपने मतके अनुसार विरोधी अथवा संगत मतका तर्क और दृष्टान्तसे खंडन-मंडन करता है। धार्मिक, सामाजिक, दार्शनिक तथा राजनीतिक विषय अिसी श्रेणीके अंतर्गत आते हैं।

सफल निवंध लेखक बननेके लिये निरीक्षण, अध्ययन, चिन्तन और अभ्यासकी अत्यंत आवश्यकता है।

---

## समालोचना

जन साधारण समालोचना शब्दसे गुण और दौषिंशके विवेचनका ही अर्थ लगाते हैं। साहित्यमें भी अिसका लगभग यही अर्थ चलता है। हिन्दीका

समालोचना शब्द संस्कृतकी 'लुच्' धातुसे बना है। 'लुच्' अध्युत्परितं तथा का अर्थ है देखना, समीक्षा करना। यह वही धातु है जो अर्थ 'लोचन' शब्दमें है। अिस तरह आलोचनाका मुख्य व्यवेत्र साहित्यके तरह-तरहके पक्षोंकी समीक्षा, सूक्ष्म-विवेचन ही है। आलोचनामें कविता, नाटक तथा अुपन्यासकी व्याख्या तो की ही जाती है, स्वयं आलोचनात्मक ग्रंथोंकी भी व्याख्या की जा सकती है। 'सम्पूर्ण' साहित्यको यदि जीवनकी व्याख्या मानें तो आलोचनाको अुस व्याख्याकी व्याख्या' कहा जा सकता है। अतः किसी भी ग्रंथका समीक्षात्मक ढंगसे अध्ययन करके, दी गयी सामग्रीका विश्लेषण करके तथा अुसके संबंधमें कुछ निर्णय करके जो मत बनता है, अुसके प्रकट करनेको ही आलोचना कहा जाएगा।

अिस तरह आलोचनाका मुख्य व्यवेत्र साहित्यके विविध पक्षोंकी समीक्षा अथवा सूक्ष्म विवेचना ही है। आलोचक कवि या लेखककी

साहित्यिक कृति (रचना) को समझकर दूसरोंको समझानेका प्रयत्न करता है। 'समालोचक साहित्यका प्रहरी (पहरेवार) है; ठीक वैसा ही समालोचकका कार्य जैसा पत्रकार समाजका।' जिस प्रकार जागरूक प्रहरी केवल अन्हीं व्यक्तियोंको भीतर जाने देता है जिन्हें सचमुच भीतर जानेका अधिकार है अथवा जो जाने योग्य हैं; वृसी तरह समालोचक भी लेखककी असी कृतिको साहित्यके क्षेत्रमें प्रवेश करने देता है अथवा पनपने देता है जो अचित हो। यदि संक्षेपमें कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि वह 'साहित्यका रखष्टक है।' साहित्यकी प्रत्येक गतिविधिपर वह अपनी आलोचनात्मक ओवं तीखी दृष्टि रखता है।

कुछ विद्वानोंके विचारोंके अनुसार आलोचकोंका कार्य भी कलाकारोंके समान ही कियात्मक है। 'कलाकार कला-पूर्ण वस्तुके निर्माणके पहले अपनी हृचिके अनुसार संसार अथवा कल्पना-बंधनोंसे सामग्री अकेत्र करेगा, अनमें चुनाव करेगा, अनकी अपयोगिता-अनुपयोगिता देखेगा और चूनी हुआ चीजोंमें सौंदर्यकी सृष्टि करके अन्हें मोहक रूप देकर हमारे हृदयको छूनेका प्रयास करेगा।'

आलोचककी दृष्टि व्यापक होती है सीमित नहीं, और वह सहानुभूति और समवेदनापूर्वक साहित्यका निरीक्षण करता है। अिसी कारण वही समालोचक सम्मानित होता है जिसने हमसे स्नेहका संबंध स्थापित कर लिया। आलोचककी श्रेष्ठता भी अिसीमें है कि हमारे हृदयको वह अपनी स्नेहपूर्ण दृष्टिसे प्रभावित किया करे। आलोचक त्रिकाल-दर्शी है, दृष्टा, नृषि और कवि। अितनी बड़ी जिम्मेदारीको निभानेके लिअे आलोचकके लिअे सबसे पहले विषयका ज्ञान अपेक्षित है। विना विषयके ज्ञानके पुस्तकके गुण दोषोंपर विवेचन करना कैसे संभव होगा! साधारणतः कुछ लोगोंका अनुमान है कि कोई भी आलोचक हो सकता है। अिस अनुमानसे आलोचना-क्षेत्रमें बड़ी विषमता फैल गयी है।

बूपरके विवेचनसे यह तो स्पष्ट हो ही गया है कि आलोचकका कार्य सरल नहीं है। वह अत्यन्त कठिन कार्य है और अप्रिय भी। यूरोपीय-साहित्यके क्षेत्रमें संभवतः आलोचक वर्गही अक ऐसा आलोचकके वर्ग रहा है जिसे सबसे अधिक अपमानित ही नहीं आवश्यक गुण निरानुत भी होना पड़ा। हिन्दी-साहित्यमें भी यह दृश्य कुछ कम देखनेमें नहीं आता। आलोचककी अप्रिय स्थितिका वर्णन करते हुअे अक लेखकने ठीक ही कहा है 'संसारमें बड़े-बड़े साहित्यकों, राजनीतिज्ञों, नेताओं और ज्ञानिकारियों तथा सुधारकोंके स्मारक स्थापित किए जाते हैं, परन्तु किसी समालोचकके सम्मानमें अभी तक तो कोअी स्मारक बना हुआ देखनेमें नहीं आया।'

यद्यपि अलोचकका सम्मान नहीं हो पाया फिर भी असे असा नहीं कहा जा सकता कि साहित्यमें समालोचकका स्थान कम महत्वपूर्ण है। वह सुन्दर और असुन्दर रचनाओंमें भेद करके साहित्यके मूलमें कार्य करनेवाली प्रवृत्तियोंकी खोज करता है और अस तरह साहित्यके पथ-प्रदर्शकका कार्य करता है। अपनी असे जिम्मेवारीको सफलता-पूर्वक निभानेके लिके समालोचकमें कुछ विशिष्ट गुण होने आवश्यक हैं। अक पाश्चात्य विद्वानने अुसमें निम्नलिखित गुणोंका होना आवश्यक माना है १. सुनिश्चितता २. स्वातंत्र्य ३. सूक्ष्म ४. श्रेष्ठ विचार ५. अनुसार ६. हाविक-अनुभूति ७. गम्भीरता ८. ज्ञान तथा ९. अथक परिश्रम।

साधारणतया श्रेष्ठ आलोचकको निस्पृह होनेकी आवश्यकता है। असे ही हम दूसरे शब्दोंमें विराग कहेंगे। रागहीन आलोचक ही पक्ष-पातहीन आलोचक होगा। और वह अपने सोचने-समझनेमें स्वतंत्रतापूर्वक अपनी बुद्धिका अुपयोग कर सकेगा। न तो वह किसी वादमें ही फैसेगा और न अुसे अन्य कोअी शक्ति ही प्रभावित कर पाएगी। लेकिन आलोचना

करते समय अुसे जहाँ ओर विरागी होना है, वहीं अुसे रचनाकार तथा अुसकी रचनाके प्रति श्रद्धा औवं सहानुभूतिसे भी काम लेना है। अुसे तिर्मम नहीं होना है। आलोचकके मुख्यधर्मकी विवेचना करते हुओ ओर विज्ञ साहित्यिकने कहा है, “संसार तथा जीवनके विशिष्ट विचारोंका मुख्यद्विपूर्ण संचय अथवा अुनका सम्यक् ज्ञान प्राप्त कराना, जिसके फलस्वरूप सौलिक तथा सत्य विचार-धाराका अविरल प्रवाह होता रहे।” अुसी तरहसे वाद विशेषके प्रपञ्चसे बचनेकी सलाह देते हुओ यह भी कहा गया है कि, <sup>१</sup> ‘श्रेष्ठ आलोचना न तो किसी वर्ग अथवा वाद-विशेषका आदर अथवा प्रचार करेगी और न अुसमें लिप्त हो जाएगी।’

कलाकारकी आत्मातक पहुँचनेके लिये आलोचको श्रद्धा तथा सहानुभूतिको लेकर ही चलना होता है। अिसके बिना न तो वह कलाकारकी आत्मातक ही पहुँच पायेगा और न अपने अुद्देश्यमें ही सफल हो सकेगा, वरन् रागद्वेषमें पड़कर निश्चय ही पथब्राह्म हो जाएगा।

निष्पक्षता समालोचकका दूसरा बड़ा गुण है। पक्षपातभरी आलोचना कभी भी आलोचना नहीं कही जा सकती। व्यक्तिगत राग या द्वेषसे प्रेरित होकर की गयी आलोचना स्तुति या निन्दा-मात्र ही कही जाएगी। अिस तरहकी आलोचनासे सत्साहित्यका बहुत बड़ा अहित होनेकी सम्भावना होती है।

आलोचकका ज्ञान बहुत विस्तृत होना चाहिये अर्थात् समालोचकमें विद्वत्ताका होना अत्यन्त आवश्यक है। अपनी भाषाके साहित्यके ज्ञानके साथ अुसे अन्य भाषाओंके साहित्यका ज्ञान होना भी आवश्यक है, तभी वह सुन्दर और सही समालोचना कर पायेगा। अन्यथा अुसकी समालोचना ठोस नहीं हो पायेगी और वह अकांगी होगी। अुसे साहित्यकी सभी समस्याओंका

<sup>१</sup> आलोचना इतिहास तथा सिद्धान्त ले०-डॉ. अस. पी. खन्ना

पूरा ज्ञान होना चाहिए। आलोच्य ग्रंथ अंव रचनाके गुण-दोषोंकी तहतक पहुँचनेकी क्षमता किसी आलोचकमें तभी आ सकती है जब कि वह पैसी दृष्टि रखता हो। और विद्वत्तासे ही यह पैसी दृष्टि प्राप्त हो सकती है। अतः आलोचकको विद्वान् होना चाहिए।

विद्वत्ता आदि अन्य गुणोंके साथ-साथ आलीचकमें स्वाभाविक प्रतिभाका भी होना आवश्यक है। स्वाभाविक प्रतिभाके बिना पांडित्य तथा अन्य गुण विशेष अपेक्षागी नहीं होते। स्वाभाविक प्रतिभाके बलपर ही आलोचक अपने कथन और निर्णयको युक्तियुक्त बनानेमें समर्थ हो सकता है।

अतः सब गुणोंके अतिरिक्त आलोचककी रुचि मँजी हुओ। होना चाहिए। अुसे अपने अदृश्यका ज्ञान होना चाहिए। अपने पक्षपात हीन निर्णयको प्रकट करनेका अुसमें साहस होना चाहिए। अपने निर्णयको प्रकट करनेका अुसका ढंग रोचक होना चाहिए जिससे सहजहीमें पाठकके हृदयमें वह अपने प्रति सहानुभूति अनुप्तन्न कर ले। आलोचनामें माधुर्य-पूर्ण शैलीका पूरा निर्वाह होना चाहिए अर्थात् कलाकारके समान वह स्वयं भी श्रेष्ठ तथा सुन्दर और चित्ताकर्षक शैलीमें अपने विचारोंको पाठकोंके सामने रखे। यिससे अुसकी लोक-प्रियता बढ़ेगी। चित्ताकर्षक शैली न रहनेके कारण कभी आलोचक अपनी लोकप्रियता नहीं बढ़ा सके।

भूपर दिये हुओ विवेचनसे अतिना तो स्पष्ट हो ही गया है कि साहित्यके अन्य अंगोंकी भाँति समालोचना भी अुसका एक प्रभुत्व अंग है। यदि यिस

आलोचनाके अंगका पूरा विकास न हुआ हो तो साहित्य आजके युगमें अपूर्ण औंव अविकसित ही समझा जाएगा। समालोचनाका प्रकार

वयेत्र अब बहुत विस्तृत हो चुका है। साहित्यके विभिन्न अंग और अनुके मूल्य-निर्धारणके अतिरिक्त अुसके मूलमें कार्य करनेवाली प्रवृत्तियोंका विश्लेषण करना भी समालोचनाका ही कार्य है।

साहित्य-समालोचनाके दो अंग होते हैं अेक तो शास्त्र, दूसरा परीक्षण । शास्त्रके अंतर्गत साहित्यके विभिन्न अंगों काव्य, नाटक अपन्यास, कहानी, निवंध आदिके रचनात्मके नियमोंका वर्णन रहता है । परीक्षणमें साहित्यकी अुसके निश्चित सिद्धांतोंके आधारपर परख होती है । कभी-कभी निश्चित सिद्धांतोंकी अुपेक्षा करके भी यह परीक्षा की जाती है ।

परीक्षा करनेकी विविध प्रणालियोंको लेकर आलोचनाके कभी भेद किये गये हैं जिनमेंसे मुख्य ये हैं—

१. आत्म-प्रधान आलोचना ( Subjective Criticism )
२. सैद्धांतिक आलोचना ( Speculative Criticism )
३. व्याख्यात्मक आलोचना ( Inductive Criticism )
४. निर्णयात्मक आलोचना ( Judicial Criticism )
५. तुलनात्मक आलोचना ( Comparative Criticism )
६. मनोवैज्ञानिक आलोचना ( Psychological Criticism )

१. आत्म-प्रधान आलोचना भावपूर्ण होती है । इसमें आलोचकके हृदयका अल्लास व्यक्त होता है । लेखक या कविकी रचनाका जैसा प्रभाव आलोचक पर पड़ता है असे वह असी रूपमें व्यक्त करता है । इस तरहकी आलोचनामें आलोचक किसी विशेष प्रकारकी पद्धतिको नहीं अपनाता । वह अपनी रुचिके अनुसार ही ग्रंथकी आलोचना करके अपना निर्णय देता है ।

कुछ साहित्यिक इस तरहकी आलोचनाको विशेष अुपयोगी नहीं मानते । कुछ अन्य साहित्यिक अैसे हैं जो इस प्रकारकी आलोचनाको अुपयोगी मानते हैं । अैसे लोगोंका कहना है कि किसी भी रचना या कृतिकी अच्छाई और दुरांशीका मापदंड आलोचककी रुचिसे बढ़कर और क्या हो सकता है ।

आत्म-प्रधान आलोचना का एक सुन्दर अद्वाहरण यह है—

“यदि ‘सूर-सूर तुलसी ससी, बुड़गन केसवदास’ है, तो बिहारी ‘पीयूष-वर्ण मेघ’ है, जिसके अद्य होते ही सबका प्रकाश आच्छन्न हो जाता है, फिर जिसकी वृष्टिसे कवि-कोकिल कुहकने, मन-मयूर नृत्य करने और चतुर चातक चुहकने लगते हैं। फिर वीच-बीचमें जो लोकोत्तर भावोंकी विद्युत् चमकती है वह हृदय छेद जाती है।”

बिहारी सत्तसधीके सम्बन्धका यह दोहा भी असी श्रेणीकी समालोचनाके अन्तर्गत आता है—

सत्तसधीके दोहरे, उपों नाविकके तीर ।

देखनमें छोड़े लगे, धाव करें गम्भीर ॥

२. सैद्धान्तिक आलोचनाको दूसरे चब्दोंमें हम आदशास्त्रिक आलोचना भी कह सकते हैं। अिसमें आलोचनाके सिद्धान्तोंको निश्चित कर लिया जाता है और फिर अन्हीं निश्चित सिद्धान्तोंके आधारपर किसी रचना अथवा कृतिको कसीटीपर कसा जाता है। अिन नियमों या सिद्धान्तोंके प्रतिपादनमें आलोचक अपनी रुचिको अधिक महत्व प्रदान नहीं कर सकता। असे या तो प्राचीन शास्त्रीय नियमोंके प्रकाशमें नये नियम बनाने होते हैं या अेकदम नये नियम ।

कुछ साहित्यिकोंका ऐसा मानना है कि अिस तरहसे सिद्धान्तोंकी ‘वेडियों’ को पहनाकर लेखककी आत्माको पूरी तरहसे समझना बहुत कठिन है। बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि सिद्धान्तोंके अनुसार जो बातें कभ महत्वपूर्ण कियाजी देती हैं अथवा निरर्थक समझकर छोड़ दी जाती हैं वे ही अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। वही साहित्यका प्राण होता है। फिर भी अितना तो मानना होगा कि आखिर कुछ सिद्धान्तोंको स्थिर किए बिना तो हम बिना किसी निश्चित मार्गके अधर-अधर भटकते ही फिरेंगे।

सर्वश्री श्यामसुन्दरदासका साहित्यालोचन, रामदहिन मिश्रका काव्यालोक, रामचन्द्र शुक्लकी चिन्तामणि, गुलाबरायजीका सिद्धान्त और अध्ययन आदि पुस्तकें सैद्धान्तिक आलोचनाके अन्तर्गत आती हैं।

इ. व्याख्यात्मक आलोचनामें आलोचक सब प्रकारके सिद्धान्तों या आदर्शोंका त्याग करके कविकी अन्तरात्मामें प्रवेश करता है। असके आदर्शों, अुद्देश्यों तथा विशेषताओंकी व्याख्या करता है। अिस तरहकी आलोचनामें व्याख्या या विश्लेषणकी ही प्रधानता होती है। आजके युगमें आलोचनाका यैं प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है। व्याख्यात्मक आलोचना करनेवाला आलोचक अन्वेषक अधिक होता है। वह न्यायाधीशका काम नहीं करता। वह तो रचनाके अुद्देश्य, असकी विशेषताओं तथा कवि या लेखकके आदर्शों, प्रेरणाके बुद्धगम स्थानों आदि की सूक्ष्म चर्चा कर देता है। व्याख्यात्मक आलोचनामें यह माना जाता है कि सभी कवि या लेखक एक ही प्रकृतिके नहीं होते। सबकी प्रकृति भिन्न-भिन्न होती है अतः सभी कवियोंको एक ही नियम या माप-दंडसे नापना अचित नहीं।

कहनेका तात्पर्य यह कि व्याख्यात्मक आलोचनाके अन्तर्गत रचनाओंकी परीक्षा निर्जीव नियमों द्वारा नहीं की जाती। प्रकृतिके अन्य रूपोंकी ही तरह साहित्यको भी विकासशील माना जाता है अतः आलोचक वैज्ञानिककी भाँति असकी व्याख्या करता है। असे निर्णय देनेकी आवश्यकता नहीं होती। वह तो एकमात्र यही बताता है कि रचनामें क्या व्यक्त किया गया है और अमुक रचनाके करनेमें रचनाका अुद्देश्य क्या था। व्याख्यात्मक आलोचनाका यह अदाहरण देखिए—

‘हृदयके पारबी सूरने सम्बन्ध-भावनाकी शक्तिका अच्छा प्रसाद दिखाया है। कृष्णके प्रेमने गोपियोंमें अितनी संजीवता भर दी है कि कृष्ण क्या कृष्णकी मुरली तकसे छेड़-छाड़ करनेको थुनका जी चाहता है। हवासे

लड़नेवाली स्त्रियाँ देखी नहीं तो कम-से-कम सुनी बहुतोंने होंगी, चाहे अनकी जिन्दादिलीकी कद्र न की हो। मुरलीके सम्बन्धमें कहे हुओ गोपियोंके बचनोंसे दो मानसिक तथ्य अपलब्ध होते हैं— आलम्बनके साथ किसी चस्तुकी सम्बन्ध-भावनाका प्रभाव तथा अन्यन्त अधिक या फालतु अुमंगके स्वरूप। मुरली सम्बन्धिनी अकितयोंमें प्रधानता पहली बात की है, यद्यपि दूसरे तत्वका भी मिश्रण है।<sup>9</sup>

४- निर्णयात्मक आलोचनाको दूसरे शब्दोंमें शास्त्रीय आलोचना भी कहा जा सकता है। क्योंकि आलोचक, साहित्यसे संबंध रखनेवाले शास्त्रीय या सैद्धांतिक नियमोंके आधारपर किसी कृतिकी आलोचना या अुसके गुण दोषोंको बताते हुअे अुसका मूल्य निर्धारित करता है। अैसा करते समय अुसका दृष्टिकोण न्यायाधीश जैसा होता है क्योंकि वह निश्चित मानदंडके आधारपर ही किसी कृतिको कसकर अुसके विषयमें अपना निर्णय देता है। अुसका यह निर्णय आलोचनाके निर्धारित तत्वोंपर ही आधारित होता है।

कुछ लोग शास्त्रीय नियमोंको अुतना महत्व नहीं देते। वे रचनाको पढ़नेपर अपनेपर पढ़नेवाले प्रभावको ही विशेष महत्व देते हैं और असी प्रभावके आधारपर अपने निर्णय करते हैं।

कुछ आलोचक ऐसे होते हैं जो शास्त्रीय नियमोंसे भी परे होकर रचनाओंके संबंधमें निर्णय देते हैं। यद्यपि अन्हें आलोचना संबंधी शास्त्रीय नियमोंका पूरा ज्ञान होता है फिर भी वे अपना निर्णय करते समय कलाकारकी मौलिक तिज्ञाको भी पूरी तरह ध्यानमें रखते हैं। अिस श्रेणीके आलोचक सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं।

नियमोंसे अेकदम् जकड़ दिखे जानेपर स्वतंत्र प्रतिभा और काव्यशैलीके विकासका मार्ग रुक जाता है।

<sup>9</sup> 'भ्रमर-गीत सारकी भूमिका' आचार्य रामचंद्र शुक्ल

सैद्धांतिक आलोचनाके ग्रंथ मम्मट और आचार्य विश्वनाथने लिखे हैं।

शास्त्रीय नियमोंके आधारपर आलोचना लिखनेवालोंमें पं. महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा भिश्रवन्धुओंकी गिनती की जा सकती है।

सूर संबंधी नीचे दिया हुआ प्रसिद्ध दोहा निर्णयात्मक समालोचनाके अंतर्गत आता है—

सूर सूर तुलसी ससी, अुडगण केसवदास।

अबके कवि लघोत सम, जहँ-तहँ करत प्रकास॥

५. तुलनात्मक आलोचनामें दो अलग-अलग कवियोंकी ओक ही विषयपर लिखी हुभी रचनाओंकी तुलना करते हुओ विवेचना प्रस्तुत की जाती है। तुलनात्मक आलोचनामें आलोचक दोनों रचनाओंका विस्तृत अध्ययन करके अनुकी अलग-अलग समानताओं तथा असमानताओं सामने रखते हुओ किसी ओक निर्णयपर पहुँचता है। किन्तु अपना यह निर्णय देते समय आलोचकों अर्थात् सजग रहनेकी आवश्यकता है। असे यह पूरा ध्यान रखना होगा कि अपना निर्णय देते समय कहीं वह पक्षपात तो नहीं कर रहा है क्योंकि आलोचकका अपनी किसी विशिष्ट रूचिके कारण किसी लेखक विशेषकी ओर झुकाव हो जाना स्वाभाविक है। अतः यिस दोषसे बचनेके लिये कुछ लोग अपना कोअभी निर्णय न देते हुओ केवल समान सहानुभूतिकी दृष्टिसे तुलना मात्रको ही पाठकोंके सामने रख देते हैं। तुलनात्मक आलोचनाका नीचे लिखा अुदाहरण देखिए—

‘सूरदास हिन्दीके अन्यतम कवि हैं। अनके जोड़का कवि गोस्वामी तुलसीदासको छोड़कर दूसरा नहीं हुआ। अन दोनों महाकवियोंमें कौन बड़ा है, यह निश्चयपूर्वक कह सकना सरल कार्य नहीं। भाषापर अवश्य तुलसीदासका अधिकार अधिक व्यापक था। सूरदासने अधिकतर ब्रजकी

चलती भाषाका ही प्रयोग किया है। तुलसीने बज और अवधी दोनोंका प्रयोग किया है और संस्कृतका पुट देकर अनुको पूर्ण साहित्यिक बना दिया है। परन्तु भाषाको हम काव्य समीक्षामें अधिक महत्व नहीं देते। हमें भावोंकी तीव्रता तथा व्यापकतापर विचार करना होगा। तुलसीने राम-चरितका आश्रय लेकर जीवनकी अनेक परिस्थितियों तक अपनी पहुँच दिखाई है। सूरदासके 'छण्णचरित' में अनुमी विविधता नहीं, किन्तु प्रेमकी मंजु छविका जैसा अन्तर-बाह्य चित्रण सूरदासजीने किया है वह अद्वितीय है। .....पर शुद्ध कवित्वकी दृष्टिसे दोनोंका समान अधिकार है। दोनों ही हमारे सर्वश्रेष्ठ जातीय कवि हैं।<sup>१</sup>

तुलनात्मक आलोचनामें आलोचकको पूर्ण वैज्ञानिक सिद्धांतोंका अनुसरण करना और अनासवत होकर सहानुभूतिपूर्ण हृदयसे दोनों पक्षोंकी समीक्षा करनी चाहिए।

६. मनोवैज्ञानिक समालोचनाका प्रकार हिन्दीके लिये वैसे नया ही है। जैसाकि नामसे ही पता लग जाता है औसी समालोचनाके अंतर्गत रचनाओंके कारणों, अद्वैयों और आदर्शोंका संबंध अस्के लेखककी मनो-वृत्ति अथवा चित्तवृत्तिके साथ जोड़ा जाता है। क्योंकि रचनाओंके रूपका, युसमें प्रतिपादित आदर्शोंका मूलज्ञोत तो कवि या लेखकका हृदय ही तो होता है। अतः अस्के अस तरहके चित्रणमें कारणीभूत तत्कालीन आर्थिक सामाजिक अवें राजनीतिक परिस्थितियोंका भी अन्वेषण होता है।

एक अद्वाहरण देखिए—

"बच्चनका कवि जीवनके अल्लाससे भी अल्लसित हुआ है और विषादसे भी विषण। अनुकी रचनाओंमें जीवनके परिस्थिति-मूलक चित्र अनेक भरे पहुँ हैं। अपनी प्रिय पत्नीके देहान्तके बाद कविकी वृत्तियाँ जीवन और

<sup>१</sup> 'हिन्दीसाहित्य' डॉ. श्यामसुन्दरदास

जगतकी नश्वरतापर प्रहार करने लगीं और 'अेकान्त-संगीत' तथा 'निशा-निमन्त्रण' के रूपमें अनकी सारी वेदना मुखरित हो गयी। अपने घनीभूत विषादसे अनके दरध हृदयकी वाणी विकल हो थी है।"

( सुधांशु )

अुपर्युक्त प्रकारोंके अतिरिक्त ऐतिहासिक समालोचना प्रगतिचादी आलोचना, आदि प्रकार हैं। अनमेंसे अन्य प्रकारोंकी अपेक्षा ऐतिहासिक समालोचना विशेष प्रसिद्ध है। असके अतिरिक्त परिवर्तित होती हुबी परिस्थितियों तथा विचार धाराओंके आधारपर भी साहित्यकी आलोचना की जाती है। साथ ही परिस्थितियों तथा विचारधाराओंका साहित्यपर कैसे-कैसे क्या-क्या असर पड़ा अिसका भी विचार किया जाता है। अदाहरणार्थ—

'भवित आन्दोलनकी जो लहर दविष्ठणसे आयी अुसीने अत्तर भारतकी परिस्थितिके अनुरूप हिन्दू-मुसलमान दोनोंके लिये अेक सामान्य भवित-मार्गकी भी भावना कुछ लोगोंमें जमायी।' ....

आलोचनाके बेत्रके विस्तारके कारण आजकल आलोचक सभी प्रणालियोंको अपनाता हुआ संपूर्ण तत्वोंको ग्रहण करता है और अपनी इच्छ-वैशिष्ट्यके कारण कभी-कभी किसी अेक तत्वको अपनी आलोचनामें अधिक महत्व दे देता है। कहनेका तात्पर्य यह कि साहित्यमें आलोचक तथा आलोचना ग्रंथों और साहित्यकी आवश्यकता है, और रहेगी। आलोचना या आलोचक कलाकारोंका भिन्न है, शत्रु नहीं। वह साहित्यकारका पथ-प्रदर्शन करता है, कमजोरियोंकी और संकेत करता हुआ साहित्यकी आवश्यकताओंको भी बताता है। वह कलाकारोंको अधिक अर्थ-पूर्ण बनाता है और कभी-कभी कलाकारोंको समने लाता है जो संभवतः कलाकारको स्वप्नमें भी न सूझे हों।

'हिन्दी साहित्यका ऐतिहास'—रामचन्द्र शुक्ल

## सूचनिका (रिपोर्टज़ )

रिपोर्टज़— शब्द वास्तवमें फँसीसी भाषाका है और बहुतसे और शब्दोंकी ही तरह हिन्दीमें आया है। अिसे हम अंग्रेजीके 'रिपोर्ट' शब्दका समानार्थी या पर्यायवाची शब्द मान सकते हैं। हिन्दीकी सर्वसाधारण ग्रामीणोंकी बोलचालमें अिसे ही 'रपट' कहते हैं। धानेमें 'रपट' लिखानेवाला अुसमें अपनी ओरसे अितनी बातें मिला देता है कि वास्तविक बात या सच्ची बात प्रायः छिपन्सी जाती है। अखबारोंके लिबे जो रिपोर्ट लिखी जाती है अुसमें यद्यपि सर्वांगमें असत्य तो नहीं होता फिर भी जिस रूपमें वह पाठकके सामने रखी जाती है अुसमें काफी चटपटापन होता है। यदि ऐसा न हो तो लोग अखबार पढ़ना छोड़ ही दें। पर रिपोर्टजिका अपना रूप ऐसा नहीं होता। वह अिससे बहुत भिन्न है। साहित्यकी श्रेणीमें आजानेके कारण अुसमें सत्य, शिव, सुन्दरम् का समावेश हो जाता है।

किसी भी घटनाका ऐसा वर्णन करना कि अुसमें निहित सत्य पाठकको सहजहीमें ज्ञात हो जाए, रिपोर्टज कहलाएगा। यद्यपि अिसमें कल्पनाका भी आश्रय लिया जाता है, फिर भी अेक-भाव कल्पनाके आधारपर ही कोअी सफल रिपोर्टज-लेखक नहीं हो सकता। अिस कलाका विशेष प्रयोग, प्रचार अेवं विकास अिस महायुद्धमें हुआ। साहित्यका अिसे सबसे लचीला रूप

माना गया है। रिपोर्टजि दो पंक्तियोंका भी हो सकता है और कभी पृष्ठोंका भी। साहित्यके अंगका विशेष संबंध पत्रकार-कलासे है। रिपोर्टजि लंबे नहीं होने चाहिए। अधिक लंबे रिपोर्टजिको समाचार पत्रोंमें स्थान मिलना कठिन हो जाता है अतः घटनाका संवेषणमें रोचक विवरण अपस्थित करना ही रिपोर्टजिको रोचक और अष्टसिद्धिके अपयुक्त बनानेकी कला है। अिसके लिये कभी-कभी असे छोटी-मोटी कहानीका रूप भी देदिया जाता है।

कहानी और रिपोर्टजिमें प्रधान अन्तर यह है कि कहानीमें एक ही घटनाको प्रधान मानकर असके चारों ओर पात्रोंका चरित्र-चित्रण किया जाता है पर रिपोर्टजिमें ऐसा नहीं होता। रिपोर्टजिमें कभी घटनाओंका समावेश करके भी अनुका सम्मिलित प्रभाव अत्यन्त करनेका प्रयत्न किया जाता है। रिपोर्टजि-लेखकके सामने तो स्थानकी सबसे बड़ी समस्या होती है। अतः असके लिये तो संवेषणमें बहुत अधिक कहनेकी कलामें प्रवीण होना अत्यन्त आवश्यक है। साथ ही असे अिस बातके लिये भी सजग रहना होता है कि वह घटनावलीका ठीक-ठीक और मार्मिक चित्र तो अपस्थित कर रहा है न! रिपोर्टजि-लेखको सफलता प्राप्त करनेके लिये पत्रकार भी होना होता है और कलाकार भी। वह अपने चारों ओरके गतिशील जीवनकी वास्तविक घटनाओंका अितिहासकार है। अतः असके लिये यह भी आवश्यक है कि वह असी बातपर लेखनी अठाऊे जिसे खुद अपनी आँखोंसे देख चुका हो और असकी सही जानकारी ले चुका हो।

घटनाओंका विवरण प्रस्तुत करते समय असे तीन बातोंका विशेष ध्यान रखना होता है—

१. असे अस घटनाकी पूरी जानकारी होनी चाहिए जिसका कि वह वर्णन कर रहा है।

२. वह घटनामें भाग केनेवाले पात्रोंका, चाहे वे कल्पित हों या यथार्थ, बाहरी रेखा-चित्र अपस्थित कर दे। और

३. रिपोर्टर्ज-लेखकको सजग व सचेष्ट होकर घटनामें निहित स्वार्थों तथा असके पात्रोंकी मानसिक गतिविधियोंका विश्लेषण करना चाहिए।

अपने व्यक्तिगत स्वार्थोंसे ही नहीं बरत् सांसारिक स्वार्थोंसे भूपर अठकर ही घटनाओंका सच्चा वर्णन किया जा सकता है। तभी यह कला निखर सकती है। सच्चा वर्णन करनेके लिये घटनाओंको आँखोंसे देखना भी आवश्यक है अन्यथा फिर रिपोर्ट और रिपोर्टमें कोअधी विशेष अन्तर नहीं रह जावेगा। कभी-कभी जोखम अठकर प्राणोंकी बाजी लगाकर असे कठिनायियोंके बीच जाकर स्थितिकी वास्तविकताका पता लगाना होता है।

कुछ हिन्दी लेखकोंने बंगालके अकालके समय, भारतीय-विभाजन और काश्मीरकी समस्याके अवसरपर वास्तविक घटनाओंका पता लगाकर सुन्दर रिपोर्टजके रूपमें अन्हें प्रस्तुत किया। अभी हिन्दीमें प्रकाशचन्द्र गुप्त, रामेशराव, प्रभाकर भाचवे, हंसराज रहवर आदि बहुत थोड़े रिपोर्टर्ज लेखक हैं।

---

## जीवनी और रेखाचित्र

जीवनी—अितिहास-साहित्यका एक प्रसिद्ध अंग जीवनियोंका लिखा जाना है। जीवनी लिखनेकी परिपाटी पुरानी होती हुआई भी हिन्दीके लिखे अकदम नयी है। वैसे देखा जाए तो सारा साहित्य ही मनुष्यका अध्ययन है पर जीवनी, आत्म-कथा तथा संस्मरणोंमें वह अध्ययन सत्य और वास्तविकताकी कुछ अधिक गहरी छाप लेकर आता है। ‘अितिहासके निर्माणकी जबसे मनुष्यको चिन्ता हुआ, तबसे ही जीवनी-निर्माणका युग भी प्रारंभ हुआ। जीवनी घटनाओंका अंकन नहीं वरन् चित्रण है।

साहित्य-शास्त्रियोंने जीवन-चरित्रोंके कभी प्रकार बताए हैं पर अनमें से जीवनी, आत्म-कथा और संस्मरण ये ही तीन प्रकार प्रधान रूपसे साहित्यमें प्रचलित हैं।

जीवनी कोई दूसरा आदमी लिखता है, आत्म-कथा स्वयं लिखी जाती है और संस्मरणमें जीवनके किसी भी महत्वपूर्ण भाग या घटनाका अल्लेख होता है।

आत्म-कथा—अधिर बहुत थोड़े दिनोंसे आत्म-कथा लिखनेकी परिपाटीसी चल पड़ी है। वास्तवमें एक निश्चल और निष्कपट व्यक्तिकी

आत्म-कथा हमें बहुत कुछ देनेवाली सिद्ध हो सकती है। औसी आत्म-कथाका मुकाबला दूसरे द्वारा लिखी हुभी जीवनी नहीं कर सकती। कहनेका तात्पर्य यह कि साधारण जीवन-चित्रसे आत्म-कथामें कुछ विशेषता होती है। आत्म-कथा लिखनेवाला जितना अपने विषयमें जानता है अतना दूसरा क्या जान सकता है? परन्तु कभी-कभी औसा भी होता है कि अपनी जो चीज दूसरेके ध्यानमें सरलतासे आ जाती है वह आत्म-गत होनेके कारण अपने ध्यानमें नहीं आ पाती। अतः औसा होना भी संबंध होता है कि आत्म-कथामें कहीं-कहीं तो आवश्यकतासे अधिक स्वयंकी प्रशंसासाकी प्रवृत्ति दिखाई देती है और कहीं-कहीं शील-संकोचवश ठीकसे जानकारी नहीं दी जाती।

आत्मकथाओं दो प्रकारसे लिखी जा सकती हैं— १. श्रेणी संबद्ध और २०. फुटकर निबंधोंके रूपमें। संबद्ध रूपमें राजेंद्रबाबू तथा क्ष्याम सुन्दर दासजीकी आत्म-कहानी और स्फुट निबंधोंके रूपमें बाबू गुलाबरायजीकी 'मेरी असफलताओं' गुलेखनीय हैं।

**संस्मरण**—हिन्दीमें संस्मरण लिखनेकी कलाका अभी प्रारंभ ही है। अपने जीवनकी बीती बातोंको वर्षें बाद याद करके लिखनेको संस्मरण कहते हैं। बनारसीदास चतुर्वेदी, आनंद कौसल्यायन, राहुलजी, कन्हैयालाल मिश्र, स्वामी सत्यदेव परिव्राजक आदि लोगोंने कुछ संस्मरण अवश्य लिखे हैं।

**रेखा-चित्र**—चित्रकार जिस तरह अपनी कूचीके सहारे कोओी चित्र बनाता है अुसी तरह साहित्यकार अपने शब्दों द्वारा किसी वस्तुका औसा सजीव वर्णन करता है कि जिससे अुस वर्णित वस्तुका चित्र पाठकोंके सामने छूलने लगता है। वह जहाँ जो रंग भरना चाहता है, अपनी वर्णन-शक्तिके द्वारा वही रंग भर देता है। अतः अुसके शब्द और अनकी रचना औसी सजीव होनी चाहिये कि वह ठीक वही चित्र पाठकके सामने भी अपस्थित करदे जो

लेखकके मनमें है। यह कोअी सरल कार्य नहीं है। यह भारी साधनाका कार्य है।

रेखा-चित्र या स्केच, निबन्ध और कहानीके वीचकी चीज है। ऐसा कुछ लोगोंका मानना है, पर वास्तवमें रेखा-चित्र न निबन्ध है और न कहानी। असका अपना अलग ही अस्तित्व है। जिस आदमीको जीवनके विविध अनुभव नहीं हुओ, जिसने आँख खोलकर दुनियाको नहीं देखा, जो संसारके भले बुरे लोगोंके संपर्कमें नहीं आया, जिसने अकांतमें बैठकर जिन्दगीके भिन्न-भिन्न प्रश्नोंपर विचार नहीं किया, वह भला क्या सजीद चित्रण करेगा? अतः सजीद-चित्रण करनेकी शक्ति प्राप्त करनेके लिये जीवनके विविध अनुभवोंकी नितान्त आवश्यकता है।

यही नहीं, जिस वस्तु अथवा व्यक्तिका चित्रण किया जाता है असका स्पष्ट चित्र पहले लेखकके अपने हृदयमें होना चाहिये तभी वह असका सही वर्णन कर सकेगा। अिसमें वह वास्तविकता और कल्पना दोनोंका अुचित अुपयोग कर सकता है, करता है।

रेखा-चित्रमें जहाँ एक ओर लेखकका, किसी व्यक्ति विशेष अथवा किसी वस्तु संबंधी अपना अध्ययन होता है वहाँ हूसरी ओर व्यक्ति अथवा वस्तु विशेषका वास्तविक चित्रण भी रहता है। साथ ही असमें अिस बातका भी अल्लेख होता है कि वह लोगोंको अथवा असे कैसी लगती है।

जड़ वस्तुओंके अलावा रेखा-चित्र अँसे चेतन प्राणियोंपर भी लिखे जा सकते हैं जो बोल नहीं सकते पर अपनी भावनाओंको, सुख-दुखको अिशारोंके सहारे प्रगट करते हैं।

रेखा-चित्रका सबसे महत्वपूर्ण विषय है मनुष्य। व्यक्तिका रेखाचित्र अंकित करनेवाले लेखकका अुद्देश्य पाठकके सामने अपने अभीष्ट पात्रका अेक स्पष्टचित्र अंकित करना मात्र है।

यद्यपि रेखा-चित्र, जीवनी और संस्मरणकी कलाका भेद अर्थात् सूक्ष्म है, फिर भी यह नितान्त सत्य है कि रेखा-चित्रकी कला जीवनी और संस्मरणकी कलासे बिलकुल भिन्न है।



# कुछ पठनीय पुस्तकें

---

- |  |   |
|--|---|
| १. साहित्यालोचन—                             | डॉ. दयामसुन्दरदास                                 |
| २. रूपक रहस्य—                               | "   |
| ३. आलोचना अितिहास<br>तथा सिद्धान्त—          | डॉ. अंस. पी. खन्ना                                |
| ४. हिन्दी नाट्य-चित्रन—                      | श्री शिखरचन्द्र जैन                               |
| ५. साहित्य-विवेचन—                           | { श्री योगेन्द्रनाथ मलिक<br>श्री क्षेमचन्द्र सुमन |
| ६. साहित्याचलोकन—                            | श्री विनयमोहन शर्मा                               |
| ७. सिद्धान्त और अध्ययन—                      | श्री बाबू गुलाबराय अंग. अ.                        |
| ८. हिन्दी कहानियोंकी शिल्प-<br>विधिका विकास— | डॉ. लक्ष्मीनारायणलाल                              |
| ९. हिन्दी अुपर्यास—                          | श्री प्रतापनारायण श्रीवास्तव                      |
| १०. रस गंगाधर—                               | श्री पुरुषोत्तम शर्मा चतुर्वेदी                   |
| ११. विश्वसाहित्य—                            | श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी                      |
| १२. ओकाकी कला—                               | श्री प्रो. रामचरण महेन्द्र                        |
-

## समितिके कुछ महत्वपूर्ण प्रकाशन

### भारतीय वाङ्मय भाग १, २, ३,

प्रथम भागमें संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपग्रेंश तथा द्वितीय भागमें हिन्दी, अंगूष्ठ और तृतीय भागमें बंगला, अडिया, असमिया भाषाओंके संविष्ट अितिहास संगृहीत हैं। मूल्य भाग १, तथा ३ प्रत्येक २) रु., भाग द्वासरा १।)

### राष्ट्रभाषाका व्याकरण

लेखक :— डॉ. किशोरीदास चाजपेयी

राष्ट्रभाषा हिन्दीके प्रयोगोंको समझनेमें हिन्दी भाषा-भाषियों तथा अन्य लोगोंको जो कठिनाइयाँ होती हैं अनुका इस पुस्तकमें अत्यंत सरल अंवं रोचक विवेचन किया गया है। मूल्य—१।

### मराठीका वर्णनात्मक व्याकरण

लेखक :— प्रो. न. चि. जोगळेकर, अम. अ.

मराठी भाषाकी अनुपत्ति, विकास तथा मराठी साहित्यके संविष्ट अितिहासके साथ-साथ, असके व्याकरणको पुस्तकमें रोचक शैलीमें समझाया गया है। मूल्य २।)

### नागरिक शास्त्र और भारतीय संविधान

लेखक :— श्री रंजन, अम. अ.

यह पुस्तक विद्यार्थियोंको साधारण जनताके नागरिक कृतव्य, अधिकार और अन्तरदायित्वसे परिचय करानेवाली अन्तम पुस्तक है। मूल्य—१।।

### फ्रेंच स्वयं-शिक्षक

लेखक :— डॉ. सत्यकेतु विद्यालंकार

इस पुस्तककी सहायतासे विद्यार्थी सहजहीमें फ्रेंच भाषाका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मूल्य ५।





मुख्य लकड़ी  
अंगू

१-

२-